हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक बुधवार, दिनांक 08 अप्रैल, 2015 को अध्यक्ष, श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में कौंसिल चैम्बर, शिमला-171004 में 11.00 बजे पूवाह्न आरम्भ हुई।

प्रश्न काल

तारांकित प्रश्न

08.04.2015/1100/केएस/एजी/1

प्रश्न संख्याः 2051

श्री रविन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के द्वारा जो सूचना सभा पटल पर रखी गई है उसमें इन्होंने "क" भाग में बताया है कि 17751 विशेष बच्चे प्रदेश में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और उनके लिए 137 विशेष प्रशिक्षित शिक्षक नियुक्त किए गए हैं। एक तो 17751 बच्चों के लिए 137 विशेष प्रशिक्षित शिक्षक यानि 128 बच्चों के पीछे एक शिक्षक बैठता है। क्या यह उनकी शिक्षा को पूरा करने के लिए काफी है?

दूसरा, अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जैसे मंत्री जी ने यहां सूचना दी है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा सुन्दरनगर में जो इस तरह का स्कूल चलाया जा रहा है, उसमें 106 लड़कियां शिक्षा ग्रहण कर रही है, उनके लिए भी केवल मात्र 10 शिक्षक है और हिमाचल प्रदेश बाल कल्याण परिषद् के माध्यम से--

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

8.4.2015/1105/ag/av/1

प्रश्न संख्या :2051 ---------- क्रमागत

श्री रविन्द्र सिंह जारी ----------

और हिमाचल प्रदेश बाल विकास परिषद के माध्यम से एक-एक स्कूल क्रमशः ढली (शिमला) और दाड़ी (धर्मशाला) में चलाया जा रहा है तथा उनमें 127 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। उनके लिए 17 विशेष प्रशिक्षित शिक्षक नियुक्त किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में ऐसे विशेष शिक्षा प्राप्त शिक्षक जिन्होंने जमा दो के बाद दो वर्ष का डिप्लोमा कर रखा है उनको क्या इस वर्ग के विद्यार्थियों के लिए जो शिक्षकों की कमी है, भर्ती करने के लिए आप कोई विशेष नीति की योजना रखते हैं या उन्हें भर्ती करने का प्रबंध करेंगे?

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पहला प्रश्न यह किया है कि 17751 विशेष बच्चों के लिए जो 137 विशेष प्रशिक्षित शिक्षक

नियुक्त किए गए हैं क्या वे पर्याप्त हैं या नहीं? मैं इस मान्य सदन को भी बता देना चाहता हूं कि ये जो 17751 विशेष बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनमें वे बच्चे भी शामिल हैं जो mildly or moderately affected you can say, कई मानसिक रूप से ऊभर नहीं पाते और शिक्षा ग्रहण करने में उनका कॉनफिडैंस लैवल नहीं होता। इनमें वे बच्चे भी शामिल हैं जो अपने को किसी प्रकार से थोड़ा-बहुत अक्षम समझते हैं। मगर ऐसे बच्चों को सामान्य स्कूलों में पढ़ाने की व्यवस्था भी है। If you see the policy given by 'Sarva Shiksha Abhiyan', इसमें आप क्लीयरली देखेंगे कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत और जो उच्च शिक्षा प्रदान की जा रही है उसके अंतर्गत भी इस प्रकार के विशेष बच्चे हैं। उनको शिक्षा देने का एक अच्छा तरीका है जो कि बड़ा डिटेल्ड है। यदि माननीय सदस्य चाहें तो मैं उन्हें यह सूचना लिखित रूप में भी दे सकता हूं क्योंकि there are very detailed guidelines given by Government of India as well as Government of Himachal Pradesh accordingly. माननीय सदस्य का दूसरा प्रश्न

8.4.2015/1105/ag/av/2

आर.सी.आई से सम्बंधित है कि जिनके पास डिग्री और डिप्लोमा है परंतु उनको हम नहीं लगा सकते क्योंकि कुछ गाइडलाइन्ज ऐसी हैं जो especially sort of affected children है उनको स्पैशल चिल्ड्रिन कहा जाता है। उनको हम रीहैबिलिटेशन कौंसिल ऑफ इण्डिया के माध्यम से ही शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। जिसको बेसिकली कहा गया है कि to regulate the manpower development programme in the field of education of children with special need. It deals with training policies and programme for the rehabilitation of people with disability. यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न भी है कि किस प्रकार से ऐसे बच्चों को राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने के लिए सक्षम बनायें। आपने दूसरा प्रश्न इसी से सम्बंधित किया है कि जो दस विशेष प्रशिक्षित शिक्षक ट्रेनिंग दे रहे हैं क्या वे काफी है। इसमें मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जो दस विशेष प्रशिक्षित शिक्षक शिक्षा दे रहे हैं उनमें हमने और लाने का प्रयास किया है। <u>उसमें 27 पद सृजित किए हैं जो शीघ्र ही भर दिए जायेंगे।</u> ढली और दाड़ी; ये दोनों चाइल्ड वैल्फेयर कौंसिल के पास हैं और इनको ग्रांट इन एड दी जाती है। सुंदर नगर का विभाग के पास है और उसमें मैं समझता हूं कि जितने भी ट्रेन्ड टीचर हैं they are sufficient to impart training.

श्री रविन्द्र सिंह श्री बी जे द्वारा जारी

08.04.2015/1110/negi/jt/1

प्रश्न संख्याः 2015.. जारी..

श्री रविन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, जो एक विशेष वर्ग हमारे समाज का है ताकि वे भी राष्ट्र के मुख्य धारा में शामिल हों उसके लिए सरकार ने क्या प्रयास किए और क्या प्रयास होने चाहिए, यह प्रश्न उनके बारे में है। माननीय मंत्री महोदय ने यहां पर जवाब दिया है कि 17751 ऐसे बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इनमें से कुछ मानसिक रूप से अक्षम हैं और कुछ अन्य रूप से अक्षम हैं । इन्होंने कहा कि कुछ सामान्य स्कूलों में ये बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो इन 17751 बच्चों में से ऐसे कितने बच्चे हैं जो सामान्य स्कूलों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं ताकि बाईफरकेशन हो जाए। क्योंकि 127 अध्यापकों के पीछे 17751 बच्चों की संख्या बहुत भारी लगती है । इसमें आपका जवाब आ जाए तो ठीक लगेगा कि इतने बच्चों के पीछे इतने शिक्षक हैं और इतने बच्चे सामान्य स्कूलों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं । एक तो मैं यह आपसे जानना चाहता हूं। दूसरा, वर्ष 2011 में ऐसे ही विशेष शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी, क्या उसी तर्ज़ पर फिर से विभाग ऐसे शिक्षक, जो हिमाचल प्रदेश में मौजूद हैं, जिन्होंने डिप्लोमा कर रखी है, क्या उनकी भर्ती करेगी? क्या प्रदेश सरकार ऐसे बच्चों को शिक्षा उनके घरद्वार पर प्राप्त हो प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर ऐसा विद्यालय खोलने का विचार रखती है ?

अध्यक्षः माननीय मंत्री जी अगर सूचना है तो दे दीजिए।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की चिन्ता से अवगत हूं। मैं बता देना चाहता हूं कि जो मुख्य उद्देश्य इस सारे प्रयास का है that there are three aggregations. पहली चीज़, हम बच्चों को फिजिकली रि-हेबिलिटेट करना चाहते हैं। दूसरा, एजुकेशन-वाइज़ उनको रि-हेबिलिटेट करना चाहते हैं। तीसरा, इकोनोमिकली उनको रि-हेबिलिटेट करना चाहते हैं। इन सब चीज़ों के प्रयास के लिए जो आपने कहा कि हमारे पास 17751 बच्चे माइल्ड एण्ड मॉडरेट डिसएबिलिटी वाले हैं जिन्हें मेन स्ट्रिम में लाने के लिए सामान्य विद्यालयों में पढ़ाया जा रहा है। यहां विशेष प्रशिक्षित शिक्षक केवल सप्लीमेन्टरी टीचिंग के काम

08.04.2015/1110/negi/jt/2

में लगाए गए हैं। अतः शिक्षा विभाग के मत में यह संख्या पर्याप्त है। जो सिवेयर डिसएबिलिटी वाले बच्चे हैं, मैंने आपको बता दिया है कि वे सुन्दरनगर में, ढली में और दाड़ी में हैं। उनके लिए भी हम और ज्यादा ट्रेंड टीचर्ज़ का प्रावधान कर रहे हैं और जैसे मैंने आपको बताया, 27 और पद सृजित किए गए हैं। आखिरी प्रश्न जो आपने किया है, वह था कि जिन लोगों ने ऑलरेडी बी.एड किया है, डिप्लॉमा किया है क्या उनको आसपास के स्कूलों में लगा सकते हैं? If they do the diploma and they are B.Ed., why not. They can always be employed, but they have to do this diploma as per the RCI regulations. That is what I want to say.

Concluded.

08.04.2015/1110/negi/jt/3

प्रश्न संख्याः 2052.

श्री यादविन्द्र गोमाः अध्यक्ष महोदय, जो सूचना सभापटल पर रखी गई है, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि यहां पर रिक्त पद 36 के करीब दिखाया गया है जिसमें अधिकतर एम.ओज. की पोस्ट खाली पड़ी हुई है और स्टॉफ नर्स की पोस्ट खाली पड़ी हुई है। मेरे प्रश्न का इन्होंने यह जवाब दिया है कि रिक्त पदों का भरा जाना एक निरन्तर प्रक्रिया है। मैं जानना चाहता हूं कि कब तक इन पदों को भरा जाएगा? "ग" भाग के उत्तर में इन्होंने कहा है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लम्बागांव की जो भूमि हैं वह विभाग के नाम पंजीकृत नही है। तो इस ज़मीन को पंजीकृत करने के लिए विभाग कब तक प्रक्रिया शुरू करेगा? जो जयसिंहपुर का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र है, वहां पर अभी हाल ही में माननीय मुख्य मंत्री जी के कांगड़ा प्रवास के दौरान 50 बिस्तरों का शिलान्यास रखा गया जिसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। मेरी उनसे आग्रह रहेगी कि यहां पर जल्द से जल्द स्टॉफ नियुक्त किया जाए ताकि वहां पर लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले।

श्रीमती यू.के.द्वारा जारी...

08.04.2015/1115/यूके/जेटी/ 1

प्रश्न संख्याः 2052---जारी----

श्री यादवेन्द्र गोमा ---जारी---

और एक लास्ट क्वैश्चन है, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खैरा, जिसको 5-6 साल पूर्व PHC से स्तरोन्त्त करके CHC का दर्जा दिया गया । मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में इस बात को लाना चाहूंगा कि इस PHC का दर्जा बढ़ चुका है लेकिन इसकी बिल्डिंग अभी भी PHC लैवल की है । तो इसके बारे में भी माननीय मंत्री जी कब तक प्रक्रिया शुरू करेंगे?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जो मैने कहा कि 36 पोस्टें खाली हैं । इनमें जितनी फंक्शनल पोस्टें हैं, जो बहुत जरूरी हैं प्राईमरी हैल्थ सैंटर के लिए वे लगभग सभी मौजूद हैं, कुछ डॉक्टरों के पद खाली हैं । जैसे जयसिंहपुर में भी दो डाक्टर की पोस्टें सैंक्शन्ड हैं, एक लगा हुआ है, एक खाली है । खैरा में CHC हैं जिसमें 4 सैंक्शन्ड पोस्टें हैं और 3 भरी हुई हैं तथा एक खाली है । इस तरह से एक PHC इनकी ऐसी है जहां कोई पोस्ट ही सैंक्शन्ड नहीं है । लेकिन जैसे इन्होंने कहा कि स्टॉफ नर्सों की पोस्ट नहीं हैं । विभाग ने यह फैसला लिया है कि जिन PHC में कोई बैड अभी नहीं लगा हुआ है, या सरकारी PHC बिल्डिंग नहीं है । वहां स्टॉफ नर्स देने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता । वहां से स्टॉफ नर्सिज को विदड्रॉ करके दूसरे हास्पिटल में जहां बैड स्ट्रैंथ उपलब्ध है, वहां दिया जा रहा है । जहां तक दूसरे पैरा-मेडिकल स्टॉफ की कमी है, डॉक्टरों की तो ओवरऑल शार्टेज है । लेकिन मैं इनको विश्वास दिलाऊंगा कि कम से कम हर PHC में एक डॉक्टर होना जरूरी है । उसके लिए विभाग प्रयासरत है और हम कोशिश करेंगे वैसे भी हर मंगलवार को डॉक्टरों के इन्टरव्यू हो रहे हैं डायरैक्टोरेट हैल्थ सर्विसिज़ में, तो उसके माध्यम से डॉक्टरों को लगाने का हम प्रबन्ध करेंगे । जहां तक इन्होंने कहा कि विभाग के नाम जमीन नहीं है, इनका तो बड़ा सौभाग्य है कि सिर्फ लम्बागांव में जहां PHC बनना है वहीं भूमि विभाग के नाम पर नहीं है । बाकी तो इनके सभी PHCs में जमीन विभाग के नाम पर है और उसमें PHCs बनाए जाएंगे । लम्बागांव में भी मैं चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी भूमि स्वास्थ्य विभाग के नाम पर करें ताकि वहां भी बिल्डिंग का प्रबन्ध किया जा सके ।

08.04.2015/1115/यूके/जेटी/ 2

प्रश्न संख्या : 2053

श्री जय राम ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, जो सूचना माननीय मंत्री जी के माध्यम से दी गयी है, आज मंत्री जी हैं नहीं, नहीं तो इसका बड़ा टैक्नीकल जवाब आता। अध्यक्ष महोदय, जो सूचना दी गयी, उसके अनुसार 26.12.2013 को टी0डी0 पॉलिसी एग्जिस्टेंस कराई है और साथ में इसके "सी" भाग में यह भी जवाब दिया गया है कि 14376 लोगों को इसमें बैनिफिट दिया गया। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो इसमें जिलावार डिटेल दी गयी है, उसमें एक नज़र में ही अगर हम इसको देखें तों इस पर बहुत ज्यादा जिसकी मैं चाहता हूं कि ये हमकों जानकारी दें। मंडी जिला में तो 6839 बैनिफिशरीज़ हैं, यह पूरे प्रदेश का हाइएस्ट नम्बर है। जिसमें देवदार की संख्या काफी ज्यादा है, 5358 है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, जैसे कांगड़ा जिला मंडी से भी बड़ा जिला है फिर भी वहां पर बैनिफिशरीज़ की संख्या देखें तो 435 है। इसके साथ-साथ अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी देख रहा हूं कि ऊना जिले में बैनिफिशरीज़ की संख्या केवल मात्र दो है। उसके बाद सोलन जिला, जहां पर देवदार भी होता है, कायल और चील भी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी बैनिफिशरीज़ का नम्बर 17 है। यह अन्तर इतना ज्यादा क्यों है? एक तो मैं यह जानना चाहता हूं। क्योंकि मंडी में ज्यादा हैं मेरा इसमें कोई विरोध नहीं है। विषय यह है कि जो बाकी जिलों में भी टी0डी0 राईट्स के मुताबिक लोगों को यह सुविधा मिलनी चाहिए थी। उनको यह सुविधा क्यों नहीं मिल पाई? एक तो मैं इसकी जानकारी चाहता हूं। दूसरे मैं यह भी जानना चाहता हूं कि कौन लोग हैं जो पात्र हैं, कौन लोग हैं जो कुपात्र हैं? उसके साथ-साथ में

एसएलएस द्वारा जारी----

08.04.2015/1120/sls-ag-1

प्रश्न संख्या : 2053 ...जारी

श्री जय राम ठाकुर...जारी

उसके साथ-साथ जो कुपात्र हैं; कुपात्र शब्द उनके लिए जो पात्र नहीं हैं ...(व्यवधान)...

अध्यक्ष : जय राम ठाकुर जी, आप सप्लीमैंटरी नहीं कर रहे हैं बल्कि आप सूचना दे रहे हैं। आप प्रश्न पूछिए।

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न ही तो पूछ रहा हूं।

अध्यक्ष : इतनी लंबी सप्लीमैंटरी नहीं होनी चाहिए। You took three minutes.

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न को एक्सप्लेन तो करना ही पड़ेगा। ...(व्यवधान)...

Speaker: No, no. You must ask the relevant question which the Hon'ble Minister can easily reply.

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि कौन पात्र हैं और कौन पात्र नहीं हैं? इस अधिकार को प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्ति के पास कितनी ज़मीन होनी चाहिए? एक बार टी.डी. की स्वीकृति के पश्चात एक व्यक्ति कितना वाल्यूम ले सकता है? अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी बातें मैं आपकी अनुमति से इसके बाद पूछूंगा।

अध्यक्ष : टी.डी. के रूल्ज बनें हैं। मंत्री जी आप बोलिए। आप विस्तार से बता दीजिए ताकि इसके पश्चात सप्लीमैंटरी का सवाल ही पैदा न हो।

उद्योग मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य काफी वरिष्ठ सदस्य हैं और मंत्री भी रह चुके हैं। इन्हें काफी चीजों की जानकारी भी होगी। जैसा कि बताया गया है,

08.04.2015/1120/sls-ag-2

14376 लोग इससे लाभान्वित हुए हैं। इसमें कुल संख्या 17747 है और कुल वाल्यूम 45429 है। आपने पूछा है कि कहीं ज्यादा तो कहीं कम संख्या क्यों है। जहां पर यह राईट्स होंगे, वहीं पर तो यह अधिकार मिलेगा। जहां पर रिकॉर्डिड राईट्स ही नहीं हैं क्योंकि डैफिनिशन में यह बड़ा क्लीयर है - "Right Holders" - means a person

who has a right of timber recorded in the Record of Rights in the Forest Settlement Act. फोरैस्ट सैटलमैंट में जिनके हक-हकूक हैं, उन्हीं को यह टी.डी. मिलेगी। जिन चार जिलों में यह राईट्स मिले हैं इनमें मण्डी पहले नंबर पर है, शिमला नंबर दो पर है। इसके बाद कुल्लू है और एक किन्नौर जिला हैं जहां पर राईट्स ज्यादा हैं। आपको तो इस बात से खुश होना चाहिए कि मण्डी में जिन लोगों ने अपने राईट्स के अनुसार क्लेम किया, सरकार ने उनको बड़ी शीघ्रता से टिंबर राईट्स के मुताबिक आबंटन किया। आपको इसका स्वागत करना चाहिए कि लोगों ने जो मांग की, उसके मुताबिक आबंटन हुआ। ऊना में राईट्स नहीं हैं। अगर होते तो हम भी लेते। अब राईट्स ही नहीं हैं तो हम क्या कर सकते हैं। ...(व्यवधान)...

श्री रविन्द्र सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री महोदय ने सभी जिलों की सूचना दी है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि अभी तक जिलों में पैंडैंसी कितनी है? सभी जिलों में जिन लोगों ने टी.डी. के लिए अप्लाई कर रखा है, उनकी लंबित संख्या कितनी है? दूसरे, क्या सरकार प्रदेश हित में निर्णय लेगी कि जैसे सड़कों की वाइडनिंग का काम या नई सड़कों क बनाने का काम या और ऐसे कार्यों में जहां जंगल बीच में आते हैं, यह सुनिश्चित किया जाए कि उनको वहीं से टी.डी. दी जाए ताकि सड़कों का निर्माण भी न रुके, काम भी चलता रहे और साथ में बैनेफिसरीज को भी लाभ मिलता रहे। क्या आप संबंधित रूल्ज में ऐसा संशोधन करेंगे?

Industry Minister: This is suggestion for action. हम विचार करेंगे।
..(व्यवधान)... पैंडैंसी की सूचना मैं आपको इसी सैशन में उपलब्ध करवा दूंगा।
...(व्यवधान)...

08.04.2015/1120/sls-ag-3

अध्यक्ष : इस प्रश्न पर काफी सूचना दी जा चुकी है। टी.डी. के रूल्ज और प्रक्रियाएं हैं जो इन्होंने बता दी हैं। Next question. ...(व्यवधान)... इसका जवाब आ गया है और इसके रूल्ज बनें हैं। श्री अजय महाजन जी, आप अपना प्रश्न पूछें। ...(व्यवधान)... अजय महाजन जी, आप बोलिए। ...(व्यवधान) You speak your question. (Interruption) I am not going to take a longer time to one question. It is already 11.30 am. We have not disposed of two questions even. You must

also realize that the time of this House is very precious and for smaller things you can go on and ask him the supplementary after 12.00 noon. It is enough you see. I have to judge that what is satisfied or what is not. The Hon'ble Minister has given satisfactory answer and you must be satisfied with the answer. (Interruption) We are not going to deal with one question in one hour. Mind it. (Interruption) I have to dispose of other questions also. Other Hon'ble Members are also waiting for that. You should not insist for one question for one hour. This is wrong. When I see that the answer is satisfied then I must stop that there. You may have 112 supplementaries that doesn't matter for us.

जारी ...श्री गर्ग जी

08/**04/2015/1125/RG/AG/1**

प्रश्न सं. 2053---क्रमागत

प्रो. प्रेम कुमार धूमल : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न कोई भी सदस्य अपने सैटिसफैक्शन के लिए करता है, आपके सैटिसफैक्शन के लिए नहीं करता। जिसने प्रश्न किया है जब तक वह माननीय मंत्री जी के उत्तर से संतुष्ट नहीं है, तो वह क्या करे और आप कह रहे हैं कि 'मैं सैटिसफाइड हो गया।' तो क्या प्रश्नकाल में आप सारे प्रश्न करेंगे?

अध्यक्ष : धूमल साहब, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि how long one question should take in one hour? बताइए। कितनी सप्लीमैंट्री हमें अलॉऊ करनी चाहिए?

प्रो. प्रेम कुमार धूमल : कई बार तो पार्लियामेंट में एक क्वैश्चन पर पूरा क्वैश्चन अवर चला जाता है और यह कोई पहला प्रश्न थोड़े ही है। इतनी देर में तो जवाब आ जाना था।

अध्यक्ष : यह दूसरा प्रश्न है, we are only disposing of. देखिए बात यह है।

प्रो. प्रेम कुमार धूमल : पहले आप मेरी बात तो सुन लीजिए।

Speaker: This Question Hour is limited for answer by the Hon'ble Ministers. लेकिन अगर सैटिसफैक्शन नहीं है, तो he can write to the Minister and get the information in his office.

प्रो. प्रेम कुमार धूमल : अध्यक्ष महोदय, यह 'हिमाचल प्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम' में ही है कि जो प्रश्न करता है उसको दो सप्लीमैंट्री पूछना तो वैसे ही अलॉऊ है।

अध्यक्ष : मैंने इनको अलॉऊ किया।

प्रो. प्रेम कुमार धूमल : आपने दूसरा सप्लीमैंट्री पूछने का मौका कहां दिया?

अध्यक्ष : मैंने इनको मौका दिया।

प्रो. प्रेम कुमार धूमल : आपने इनको सिर्फ एक ही मौका दिया है और इतनी देर में तो सप्लीमैंट्री क्वैश्चन हो भी जाना था जितना इसमें टाईम वेस्ट किया गया है। अब आप इनको एक सप्लीमैंट्री क्वैश्चन के लिए अलॉऊ करिए।

Speaker: Mr. Ravinder Singh had a supplementary.

प्रो. प्रेम कुमार धूमल : जिस सदस्य का मूल प्रश्न होता है वह दो अनुपूरक प्रश्न कर सकता है। जो प्रश्नकर्ता है अगर वह चाहे, तो आपकी परमीशन से दो सप्लीमैंट्री कर सकता है। इसलिए आप इनको एक और सप्लीमैंट्री क्वैश्चन अलॉऊ कीजिए।

अध्यक्ष : तो बाकी सदस्य प्रश्न न करें।

08/04/2015/1125/RG/AG/2

प्रो. प्रेम कुमार धूमल : यह कैसे हो सकता है? इस कुर्सी को आप पहली बार सुशोभित नहीं कर रहे हैं यहां बहुत से स्पीकर्ज रह चुके हैं।

अध्यक्ष : नहीं, एक प्रश्न के लिए कितना टाईम दिया जाए?

प्रो. प्रेम कुमार धूमल : अगर आप इस तरह बहस करेंगे, तो प्रश्न का उत्तर कौन देगा?

अध्यक्ष : देखिए, आप एक क्वैश्चन के लिए ही एक घण्टे लगे रहें, तो ऐसी बात कभी-भी नहीं होती। अगर ----(व्यवधान)--- Other information can be had from the Minister in his office. Question Hour is not for that.

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्न पूछने वाले को कम-से-कम दो सप्लीमैंट्री हमेशा अलॉऊ कर दी जाती हैं। इसीलिए आपसे मेरा निवेदन है कि मुझे एक सप्लीमैंट्री पूछने का मौका और दिया जाए।

अध्यक्ष : मेरी बात सुनेंगे आप, मेरा निवेदन है कि when I decide that the answer is satisfactory...

श्री जय राम ठाकुर : आपने डिसाइड किया, बात ठीक है, लेकिन यह क्या बात हुई?

अध्यक्ष : जब मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल कम्पलीट अन्सर आ गया, तो I have not allowed. (Interruption) I won't allow.

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, आप संतुष्ट हो गए हैं, लेकिन हम संतुष्ट नहीं हैं, सारा विपक्ष संतुष्ट नहीं है और प्रदेश इसके बारे में जानना चाहता है। इसमें बहुत बड़ी धांधली हो रही है।

Speaker: When I feel that the answer is given satisfactorily why should I allow the supplementary? (Interruption) Not allowed.

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मुझे एक बार सप्लीमैंट्री क्वैश्चन के लिए अलॉऊ किया जाए।

Speaker: I won't allow you.

Prof. Prem Kumar Dhumal: We walk-out against your decision.

(विपक्ष के सदस्य नारेबाजी करते हुए सदन से बहिर्गमन कर गए।)

-/2

08/04/2015/1125/RG/AG/3

प्रश्न सं. 2054

श्री अजय महाजन : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि मैंने आज जो प्रश्न किया है, दो दिन पहले ये चकोतेदारों को नियमित करने का प्रस्ताव लाए हैं, लेकिन मैं आपके माध्यम से इनसे यह जानना चाहता हूं कि इन्होंने चकोतेदारों का जो नंबर दिया है उसकी क्या बेस लाईन है, यह कौन सी डेट है और जो लोगों ने पंचायतों से लीज ली थी और जो चकौते लिए थे उसमें क्या अन्तर है और चकोतेदारों को नियमित करने का क्या प्रोसीजर होगा?

एम.एस. द्वारा जारी

08/04/2015/1130/MS/JT/1

प्रश्न संख्या: 2054 क्रमागत-----

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री: अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम उठाया है। यह जो चकोताधारक थे उन्हें पंजाब के वक्त में पंचायतों ने जो कॉमन लैण्ड थी या शामलात भूमि थी, वह लोगों को आगे पट्टे पर दी थी और उनको चकोतादार का नाम दिया था और कुछ भूमि पट्टेदार के नाम पर थी। उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जिन-जिन को भी रेवेन्यु रिकॉर्ड में चकोतादार या पट्टाधारक लिखा होगा, उसमें समय-सीमा का कोई प्रावधान नहीं है। पंजाब से जो क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में आए थे, उस वक्त पंचायतें पट्टे पर या चकोता पर जमीनें लोगों को दे देती थी और उनकी एंट्री होती थी। लेकिन हिमाचल प्रदेश में जो शामलात का ऐक्ट था, उसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। उस प्रावधान को लाने के लिए हमने उसमें संशोधन किया है। अब

जितने भी चकोतादार या पट्टाधारक रेवेन्यु रिकॉर्ड में होंगे, उन सबको हम मालिक बनाने काम शुरू कर रहे हैं।

श्री अजय महाजनः अध्यक्ष जी, क्योंकि हमारे क्षेत्र में भी बहुत चकोतेदार हैं इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसकी प्रक्रिया कब तक शुरू हो जाएगी?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, अभी हमने ऐक्ट में संशोधन किया है और उसके अंतर्गत हम रूल बनाएंगे। रूल के मुताबिक फिर मोडेलिटी फाइनलाइज की जाएगी कि उनको किस आधार पर, फ्री होल्ड पर बनाया जाए या कुछ लेकर के जैसे नौतोड़ रूल्ज हैं, उसके मुताबिक उनसे कुछ लिया जाए। इस पर सारी प्रक्रिया के बाद, जैसे मैंने कहा कि इसके लिए स्कीम बनाई जा रही है तथा इस पर जल्दी ही कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। जहां तक माननीय सदस्य ने कहा है कि उन्होंने लगभग 1300 दिखाया है। मैंने यह क्लीयर कर दिया है कि जिनकी चकोतादार या पट्टाधारक के रूप में रेवेन्यु रिकॉर्ड में एंट्री होगी, उन सबको हम इस स्कीम के तहत कवर करेंगे।

अध्यक्षः अब तो काफी हो गया है।

08/04/2015/1130/MS/JT/2

श्री अजय महाजनः अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी से यह आग्रह करना चाहता हूं कि जिन लोगों ने उन चकोतों के ऊपर घर बनाए थे क्या वे भी नियमित किए जाएंगे?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष जी, हमने साफ तौर पर कहा है कि उन लोगों ने जो जमीन कल्टीवेशन के काबिल की है, उस जमीन पर यदि घर या गौशाला बनाई है, उन सबको नियमित कर दिया जाएगा।

प्रश्न समाप्त/

08/04/2015/1130/MS/JT/3

प्रश्न संख्याः 2055

अध्यक्षः प्रश्न संख्याः 2055 माननीय सदस्य, श्री रिखी राम कौंडल।

(**अनुपस्थित**)

08/04/2015/1130/MS/JT/4

प्रश्न संख्याः 2056

श्री मनोहर धीमानः (कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछा)

08/04/2015/1130/MS/JT/5

प्रश्न संख्याः 2057

अध्यक्षः प्रश्न संख्याः 2057 माननीय सदस्य, श्री रणधीर शर्मा एवं श्री सतपाल सिंह सत्ती।

(**अनुपस्थित**)

08/04/2015/1130/MS/JT/6

प्रश्न संख्याः 2058

श्री पवन काजलः अध्यक्ष महोदय, यह जो सूचना सभा पटल पर रखी गई है, इससे मैं सहमत हूं कि कांगड़ा शहर में सीवरेज योजना का काम चल रहा है और प्रश्न के 'ख' भाग में लिखा था कि यदि हां, तो कब तक पूर्ण होगा। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह आश्वासन चाहता हूं कि इसका जो पहले काम विभाग द्वारा कहा गया था कि दिसम्बर 2014 तक in all respect पूरा कर दिया जाएगा, इसके बावजूद भी इस योजना के कार्य को दिसम्बर 2016 तक आपने कहा है। इसके अलावा जो कांगड़ा शहर

में सीवरेज का पिछले 10 वर्षों से काम चल रहा है, वह बीच के पांच वर्षों में जो ये बाहर जाने वाले हैं(विपक्ष) उनके समय में बिल्कुल बंद रहा है।

जारी श्री जे0के0 द्वारा-------

08.04.2015/1135/जेके/जेटी/1

प्रश्न संख्याः 2058ः-----जारी-------

श्री पवन काजलः-----जारी-------

इसमें एक प्रश्न है कि जो पाईप सीवरेज की बिछाई गई उसमें 700-800 मीटर पाईप ऐसी बिछी है जिसमें कोई चैम्बर नहीं बना है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो पाईप बिछी है उसके बीच में चैम्बर नहीं है तो जब भविष्य में यह सीवरेज लाईन जनता को समर्पित कर दी जाएगी क्या यह सही ढंग से चल पाएगी?

दूसरे, इसमें ज़ोन-1, 2 और 3 हैं। इसमें एक ज़ोन चला दिया गया है। उन पाईपों को डालने के लिए जो कंकरीट के रास्ते आई.पी.एच. विभाग द्वारा बनाए गए थे वे रास्ते तीन महीने के बाद ही उखड़ गए।

अध्यक्षः माननीय सदस्य आप संक्षेप में बोलिए।

श्री पवन काजलः अध्यक्ष महोदय, मैं संक्षेप में ही बोल रहा हूं। मैं यह जानना चाहता हूं कि 700 मीटर की लाईन में कोई भी चैम्बर नहीं बनाया गया है। क्या उसके बीच में चैम्बर बना दिए जाएंगे? मैं माननीय मंत्री जी से आश्वासन चाहता हूं।

शहरी विकास मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जो कांगड़ा की सीवरेज स्कीम है इसकी वर्ष 2003 में 9 करोड़ 27 लाख की डी.पी.आर. बनी थी। उसके बाद इसकी रिवाइज्ड 14 करोड़ 50 लाख की डी.पी.आर. बनी । इसको तीन ज़ोन्ज में विभाजित किया गया। वर्ष 2016 तक आई.पी.एच. विभाग इसको कम्पलीट करके दे देगा। जहां तक आपने कहा कि कई जगह चैम्बर्ज नहीं बने हैं। वह पाईप लाईन कॉंट्रेक्टर द्वारा ले की गई है। इसकी जांच करवा दी जाएगी। वहां एक ज़ोन की कम्पलीशन हो गई है। उससे 250 कनैक्शन दिए

गए हैं। यह विलम्ब इसलिए हुआ कि जो हाऊस टू हाऊस कनैक्टिविटी थी वह आई.पी.एच. विभाग नहीं कर रहा था। उसकी धनराशि हमने पिछले वर्ष दिसम्बर में नगर परिषद् कांगड़ा को दे दी है और हाऊस टू हाऊस

08.04.2015/1135/जेके/जेटी/2

कनैक्टिविटी का कार्य वे देख रहे हैं। माननीय सदस्य, मैं आपको आश्वासन देता हूं कि शीघ्रातिशीघ्र यह कार्य पूरा हो जाएगा।

प्रश्न समाप्त।

08.04.2015/1135/जेके/जेटी/3

प्रश्न संख्याः 2059

श्री कुलदीप कुमारः अध्यक्ष महोदय, यह जो बेमौसमी बारिश हुई है इससे वैसे तो सारे प्रदेश में फसलों को नुकसान हुआ है लेकिन 3 तारीख को मेरे विधान सभा क्षेत्र में किन्नू,लवाहरा, चौहार, सलोई, वंडक्सी, प्रम्ब आदि लगभग 11 गांव थे, जिनमें बहुत ज्यादा तूफान चला। इन गांवों में लगभग तीन घण्टे बारिश होती रही। एक घण्टा तक ओलावृष्टि होती रही। इन गांवों में लगभग एक घण्टे तक एक-डेढ़ फुट तक ओलावृष्टि हुई। वहां के किसानों की सारी की सारी फसल बर्बाद हो गई। सारी की सारी गन्दम बह गई। उसके बाद ओलावृष्टि हुई और एक-डेढ़ फुट तक ओलावृष्टि हुई। इन 11 गांवों के किसानों की सारी की सारी फसलों को नुकसान हुआ है। इनके गांवों में जो फलदार पेड़ थे जिनमें फल लगने थे, चाहे आम था, चाहे आड़ू था और चाहे दूसरे फल थे उनको भी भारी नुकसान हुआ है। वहां पर ऐसी ओलावृष्टि हुई है जिससे वहां उन गांवों में भारी नुकसान हुआ है।

अध्यक्षः माननीय सदस्य आप अपनी सप्लीमेंटरी कीजिए।

श्री कुलदीप कुमारः अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न बहुत ही जरूरी है। मैं, माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उन गांवों में जो नुकसान हुआ है।

श्री एस.एस. द्वारा जारी---------

प्रश्न संख्याः 2059 क्रमागत

श्री कुलदीप कुमार क्रमागतः
फसलों का नुकसान हुआ है, उसको नैचुरल कैलामिटी के अन्तर्गत घोषित किया जाए और उसमें कुछ स्पेशल राहत प्रदान की जाए, ये मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार किसान और बागवान हितैषी है और हाल ही में हुई बेमौसमी बरसात व बर्फ के कारण प्रदेश में उत्पादित फसलों व फलदार पौधों को लगभग 48 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। इसमें गेहूं, सरसों की फसलों को अधिक नुकसान हुआ है। दलहन फसलों को भी नुकसान हुआ है। इसके अतिरिक्त बागवानी क्षेत्र में गुठ्ठेदार पौधों में फूल निकलने के समय भारी वर्षा व ठंड के कारण फलों की सैटिंग प्रभावित हुई है जिससे फलों का उत्पादन प्रभावित हो सकता है। लाहौल-स्पिति को छोड़कर सभी जिलों में फसलों, फलदार पौधों को नुकसान हुआ है। नुकसान का ब्यौरा हमने 31 मार्च, 2015 तक दिया है। जहां तक इन्होंने कहा है कि ओलावृष्टि हुई है, यह ठीक है कि हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में बहुत ज्यादा ओलावृष्टि हुई है और तूफान चलने से निचले क्षेत्रों में गन्दम की फसलों को भी नुकसान हुआ है। बरसात अभी तक जारी है और हमने सभी जिलाधीशों/तहसीलदारों को अपने-अपने क्षेत्र में डेली रिपोर्ट देने के लिए कहा है और अभी नुकसान का निरन्तर आंकलन किया जा रहा है। विभागों को यह भी हिदायत दी है कि नुकसान भरपाई हेतु हर सम्भव कदम उठाए जाएं। जैसे मैंने कहा कि हमारी सरकार किसान-बागवान हितैषी है, उनको हर सम्भव हम मदद करेंगे। रिलीफ मैनुअल के अनुसार राहत राशि 50 प्रतिशत से अधिक नुकसान पर ही दी जाती है और जहां कुछ फसलों का बीमा हुआ है वहां बीमा के अन्तर्गत भी उन फसलों को कवर किया जायेगा। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार इस बारे में गम्भीर है और हर सहायता करने के लिए तैयार है।

अध्यक्षः अगला प्रश्न, श्री राम कुमार। --(व्यवधान)-- Enough, ये रिलीफ दे रहे हैं, रिलीफ देंगे तब पूछना। --(व्यवधान)--जब ये रिलीफ देंगे तब इनसे पूछना कि क्या दे रहे हैं।

श्री कुलदीप कुमारः अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न बड़ा ज़रूरी है। मैंने जिन-जिन गांवों का नाम लिया है वहां बड़ा नुकसान हुआ है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, इन्होंने ऊना क्षेत्र के कुछ गांवों का नाम लिया है, उन गांवों की रिपोर्ट भी डिप्टी कमिश्नर से मंगवा ली गई है। यह ठीक है कि कई जगह ओलावृष्टि इतनी हुई है कि तीन-चार इंच तक ओला पड़ा है और उससे फसल को नुकसान हुआ है। ये सभी का आंकलन करने के लिए हमने जिलाधीश और तहसीलदारों को हिदायत दी है और जैसे ही रिपोर्टें आयेंगी उसके मुताबिक उनको रिलीफ दिया जायेगा।

अध्यक्षः आपको सारे हिमाचल प्रदेश को देखना पड़ेगा।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैंने पूरे हिमाचल की बात की है। ये तो कुछ गांवों की बात कर रहे हैं।

अध्यक्षः तो इनके गांव भी साथ आ गए। --(व्यवधान)-- बस, काफी हो गया। Kuldeep Kumar Ji, what do you want to say?

श्री कुलदीप कुमारः जो स्पेशल मैंने कहा कि वहां बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, फलों का नुकसान हुआ है। --(व्यवधान)--

अध्यक्षः ये कह रहे हैं कि आंकलन करवा कर उसका मुआवजा दे देंगे।

श्री कुलदीप कुमारः मुआवजा जो मैनुअल के हिसाब से है उससे काम नहीं चलेगा। क्या मंत्री जी स्पेशल राहत की कोई घोषणा करेंगे?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः हमारे लैंड रेवेन्यू मैनुअल के मुताबिक जो रिलीफ दिया जाता है, 50 परसैंट से ज्यादा रिलीफ जो है हमने बीघे के हिसाब से रखा है। जहां

शत-प्रतिशत नुकसान होता है उसका रेट ज्यादा है। अगर इनका शत-प्रतिशत नुकसान हुआ है तो हमारे मैनुअल के मुताबिक उनको रिलीफ दे दिया जायेगा।

श्री महेश्वर सिंहः सर, प्रश्न का उत्तर नहीं आया है। जो राजस्व मैनुअल है उसमें क्षतिपूर्ति के लिए कोई राहत राशि नहीं है। आपने कहा है - जी हां, सरकार हिमाचल प्रदेश आपदा प्रबन्धन एवं राहत नियमावली के अनुसार राहत देने का विचार करेगी।

08.04.2015/1140/SS-AG/3

उसका तो स्वागत है अगर आप विचार कर रहे हैं। लेकिन जिसका आप रैफरेंस दे रहे हैं वहां जब प्रावधान है ही नहीं तो डी0सी0 कैसे देगा? इसलिए क्या आप इसके लिए विशेष प्रबंध करेंगे? उसमें राहत राशि कहां लिखी हुई है? वह तो जान जाए तब मिलती है, फसल के ऊपर नहीं है।

जारी श्रीमती के0एस0

08.04.2015/1145/केएस/एजी/1

प्रश्न संख्या 2059 जारी---

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, फसल के ऊपर भी जैसे मैंने कहा 50 परसेंट से ज्यादा जो नुक्सान होता है, उसके बारे में कहना चाहता हूं कि कृषि/बागवानी फसलों को नुक्सान 50%से 75% नुक्सान होने पर 300 रुपये प्रति बीघा के हिसाब से, 75% से अधिक नुक्सान होने पर 500 रुपये प्रति बीघा (प्रति परिवार को अधिकतम सात हजार रुपये से ज्यादा नहीं दिए जाते हैं) और इसी तरह रिलीफ मैनुअल में राहत राशि का प्रावधान है उसके मुताबिक केवल कृषि एवं बागवानी फसलों के लिए ही राहत राशि का प्रावधान है अगर उसके अलावा और आएगा तो इस पर सरकार विचार करेगी। कृषि बागवानी एवं वार्षिक पौधारोपण फसलों के लिए 3000 रुपये प्रति बीघा वर्षा पर निर्भर क्षेत्रों के लिए, 6000 रुपये प्रति बीघा पूर्ण रूप से सिंचित क्षेत्रों के लिए यह आर्थिक सहायता 500 रुपये से कम नहीं होगी तथा यह केवल बुआई वाले क्षेत्रों तक ही सीमित होगी। बारहमासी फसलें जो हैं, उनमें 8000 रुपये प्रति बीघा सभी प्रकार की बारहमासी फसलों के लिए यह आर्थिक सहायता एक हजार रुपये से

कम नहीं होगी। इसी तरह अध्यक्ष महोदय जो सूचना आ रही है उसके मुताबिक प्रदेश सरकार रेवन्यू विभाग Memorandum of Understanding is being prepared and we are going to submit it to the Government of India. Of course, two Ministers from the Government of India had visited Himachal Pradesh and we presented our case to them. Fortunately, the Government of India, before they came to Himachal Pradesh, released

08.04.2015/1145/केएस/एजी/2

more than Rs. 63 crores for the State of Himachal Pradesh. That is also a good sign and we would be able to provide relief to the affected farmers/orchardists.

Concluded

08.04.2015/1145/केएस/एजी/3

प्रश्न संख्याः 2061

श्री राम कुमारः अध्यक्ष महोदय, अपने प्रश्न के "क" भाग में मैंने पूछा था कि क्या सरकार E.S.I. अस्पताल बद्दी को अपने अधीन लेने का विचार रखती है? माननीय मंत्री जी ने कहा कि जी, नहीं। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि जब यह हॉस्पिटल बना था उस समय जो प्रदेश सरकार ने जमीन उपलब्ध करवाई थी उसकी कीमत कई गुना हो गई है तो जो पैसा केन्द्र सरकार ने खर्च किया है, उससे ज्यादा हमारा शेयर हो गया है तो मैं माननीय मंत्री जी से आश्वासन चाहता हूं कि सरकार इस पर विचार करेगी?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, ई.एस.आई. योजना हिमाचल प्रदेश में 1977 के तहत लागू हुई है और इस योजना के अंतर्गत जो उद्योग में कार्यरत्त बीमा कृत व्यक्ति इस स्कीम के अंतर्गत आते हैं, उनमें पांच-छः किस्म का उनका ट्रीटमैंट किया जाता है और ई.एस.आई. कॉर्पोरेशन इस हॉस्पिटल को बड़े ठीक तरीके से चला रही है, सभी सुविधाएं उपलब्ध हो रही है। तो why we should take this hospital and spend our money on the running of this hospital. So, there is no

proposal under consideration of the State Government to take over this ESI Hospital which is running very smoothly and providing quality medical facilities to the people.

Concluded

08.04.2015/1145/केएस/एजी/4

प्रश्न संख्याः 2062

अध्यक्षः श्री सुरेश भारद्वाज (**अनुपस्थित**)

08.04.2015/1145/केएस/एजी/5

प्रश्न संख्याः 2063

अध्यक्षः श्री कृष्ण लाल ठाकुर (**अनुपस्थित**)

08.04.2015/1145/केएस/एजी/6

प्रश्न संख्याः 2064

अध्यक्षः श्री नरेन्द्र ठाकुर (**अनुपस्थित**)

अगला प्रश्न श्रीमती अ0व0 की बारी में-

8.4.2015/1150/jt/av/1

<u>प्रश्न संख्या :2065</u>

श्री किशोरी लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो निलामी हुई क्या उसकी सूचना सम्बंधित ग्राम पंचायत को दी गई थी।

उद्योग मंत्री (प्राधिकृत) : अध्यक्ष महोदय, यह कारखाना वर्ष 1996 से बंद है। इसकी मशीनरी इत्यादि सबकुछ निलाम की जा चुकी है। अब तो इसको रिवाईव करने का भी कोई प्रस्ताव नहीं है। अब इसकी सूचना माननीय सदस्य को ही दे देते हैं।

अध्यक्ष : नहीं, माननीय सदस्य पूछ रहे हैं कि क्या इसकी सूचना सम्बंधित ग्राम पंचायत को दे दी गई थी?

उद्योग मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जब ऑक्शन हुई थी तो उस समय सार्वजनिक सूचना निकाली गई थी। पंचायत को सूचना देने का अलग से कोई प्रावधान नहीं है परंतु यदि माननीय सदस्य कहेंगे तो इनको भेज देंगे।

श्री किशोरी लाल : अध्यक्ष महोदय, गत्ता फैक्ट्री (बैजनाथ) में करोड़ों रुपये की मशीनरी लगी हुई थी जिसकी निलामी से लाखों रुपये आए। यह तो 'माले मुफ्त, दिले बेरहम' वाली बात हुई है।

उद्योग मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं इस कारखाने के बारे में बताना चाहूंगा कि यह कारखाना वर्ष 1984-85 में शुरु किया गया और इस कारखाने में उस समय 70 लाख रुपये लगे थे। इसका मकसद सेब की पेटियों के लिए गत्ते का कारोबार करने का था। मगर वहां लोगों से कोई उत्साहवर्धक प्रस्ताव नहीं आए जिसके कारण फैक्ट्री लगातार घाटे में जाती रही। जिस कारण उसे वर्ष 1996 में बंद किया गया। इससे पहले वर्ष 1995 में प्रयास हुए कि वहां पर तारपीन फैक्ट्री लगा दी जाए। उसके लिए 18 लाख रुपये की राशि खर्च हुई मगर वहां भी कच्चे माल की व्यवस्था नहीं हुई। इसलिए वह प्रस्ताव भी रद्द करना पड़ा। उसके बाद वहां फाइबर शीट का जिसमें फाइल कवर और फोल्ड इत्यादि के निर्माण का फैसला किया गया। मगर घाटा

8.4.2015/1150/jt/av/2

बढ़ता गया और वर्ष 2002 तक वह दो करोड़ रुपये तक पहुंच गया। इसको चलाना किसी भी तरह सम्भव नहीं है। जहां तक माननीय सदस्य ने निलामी में आई राशि की बात की है तो वहां सिर्फ नकारा मशीनरी ही निलाम हुई है जो कि चलने योग्य नहीं थी। निलामी से 8,84,600/- रुपये की राशि प्राप्त हुई है। यह कारखाना चलने की स्थिति में

ही नहीं है, उसके लिए समय-समय पर प्रयास भी कर लिए गए हैं तो इसे बंद करने में ही राज्य की भलाई थी।

समाप्त

8.4.2015/1150/jt/av/3

प्रश्न संख्या :2066

अध्यक्ष : श्री रविन्द्र सिंह(**अनुपस्थित**)।

प्रश्न संख्या :2067

अध्यक्ष : श्रीमती सरवीन चौधरी (**अनुपस्थित**)।

प्रश्न संख्या :2068

अध्यक्ष : श्री सुरेश कुमार (**अनुपस्थित**)।

प्रश्न संख्या :2069

अध्यक्ष : श्री विक्रम सिंह जरयाल(**अनुपस्थित**)।

8.4.2015/1150/jt/av/4

प्रश्न संख्या :2070

श्री यादविन्द्र गोमा : अध्यक्ष महोदय, जो सूचना सभा पटल पर रखी गई है उसके अनुसार पंचरुखी बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय के अंतर्गत लिपिक के दो पद खाली हैं और दो ही मंजूर है। पर्यवेक्षक के 7 पद है और उसमें से 5 खाली है। इसी तरह से बाल विकास परियोजना कार्यालय लम्बागांव में लिपिक के दो ही पद है और दोनों खाली है। पर्यवेक्षक के 13 पद है जिसमें से 7 खाली है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि इन पदों को कब तक भरा जायेगा? इन पदों को जल्दी भरा जाए

ताकि इनके कारण आंगनबाड़ी के कार्यक्रम या प्रोसैस में जो अवरोध पैदा हुआ है वह सुचारु रूप से काम कर सकें। प्रश्न के 'ग' भाग में जैसे कि आपने जवाब दिया है कि जी, नहीं। इन कार्यालयों के लिए अभी कोई भी भूमि उपलब्ध नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि इन दोनों बाल विकास परियोजनाओं की स्थापना 15-20 वर्ष पहले हुई है। विभाग ने आज तक इनके लिए न तो भूमि का चयन किया है और न ही इनके लिए बिल्डिंग का कोई प्रावधान है। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि विभाग इनके लिए भूमि का चयन करके कब तक बिल्डिंग बनाने हेतु बजट का प्रावधान करेगा?

मंत्री का उत्तर श्री बी जे द्वारा जारी

08.04.2015/1155/negi/jt/1

प्रश्न संख्याः 2070.. जारी..

सामजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाया है और मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि बाल विकास परियोजना पंचरूखी और लम्बागांव के अन्तर्गत जो रिक्त पद हैं उनको भरने के लिए अभी हाल ही में, 27 मार्च,2015 को हमने भूतपूर्व सैनिक प्रकोष्ठ हमीरपुर और सबोर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड हमीरपुर को पत्र भेजे हैं। जैसे ही चयन बोर्ड की भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है, आपके रिक्त पद भर दिए जाएंगे। इसी प्रकार से सांख्यिकी सहायक के भर्ती एवं पदोन्नति के बारे में भी रिक्त पद भरने की प्रक्रिया जारी है और यह पद शीघ्र ही भर दिया जाएगा।

समाप्त

08.04.2015/1155/negi/jt/2

अध्यक्षः अगला प्रश्न- 2071 - श्री जय राम ठाकुर- एबसेन्ट.

08.04.2015/1155/negi/jt/3

प्रश्न संख्याः 2072.

श्री अजय महाजनः स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि इन्होंने यह एश्योरेंस दी है कि the proposal is under consideration for BMO office in Nurpur. इसके तर्क में, मैं यह कहना चाहता हूं कि नूरपुर जो हमारी बहुत इम्पोर्टेन्ट सब-डिवीजन है और एक सेन्टर-प्वाइंट है, वहां पर जो प्रपोजड ब्लॉक है, this will cover 274 villages, 46 Panchayats, 275 AWCs, 21 HSCs and 9 PHCs. सिविल हॉस्पिटल बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि इसको जल्दी से जल्दी कंसीडर करें।

Health & Family Welfare Minister: Speaker, Sir, recently, we have created one more medical block in Fatehpur (Fatehpur constituency). I think, there is a justification. In Indora Block, we have only CHC Indora, PHC, Badukhar and PHC, Parak. Whereas in Gangath Block, there are 16 PHCs covered in it. So, that is why I said that there is a proposal with the Government to rationalize the blocks so that every block should have equal number of primary health centres and health sub centres.

Concluded.

08.04.2015/1155/negi/jt/4

Speaker: Next question- **2073** - श्री नरेन्द्र ठाकुर- **Absent.**

Speaker: Next question- **2074** - श्री सतपाल सिंह सत्ती - **Absent.**

Speaker: Next question- **2075**- श्री रणधीर शर्मा - **Absent.**

Speaker: Next question- **2076**- श्री सुरेश भारद्वाज़- **Absent.**

08.04.2015/1155/negi/jt/5

प्रश्न संख्याः 2077.

श्री राम कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो हमारे आंगनवाडी केन्द्र भवनों के बिना शेष बचे हैं उनमें कब तक कार्य शुरू हो जाएगा और इनके लिए कब तक बजट प्रावधान किया जाएगा?

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री : अध्यक्ष महोदय, दून विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत कुल 210 आंगनवाडी केन्द्र आते हैं जिनमें से 28 आंगनवाडी केन्द्र विभागीय भवनों में, 71 आंगनवाडी केन्द्र नीजि भवनों में, 111 आंगनवाडी केन्द्र महिला-मण्डल, सामुदायिक भवन, जिला परिषद, मन्दिर, पंचायत घर, प्राथमिक पाठशाला, जंजघर, युवक मण्डल, विभागीय भवन, स्वास्थ्य भवन और आंगनवाडी कार्यकर्ता के घर में भी चल रहे हैं। 210 आंगनवाडी केन्द्र जो कि विभिन्न भवनों में चल रहे हैं उनका विवरण माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को दे देता हूं; महिला-मण्डल भवनों में 20 हैं, सामुदायिक भवनों में 31 हैं, नीजि भवनों में 71 हैं, नगर परिषद में 1 है, मन्दिर में 3 हैं, पंचायत घर में 8 हैं, प्राथमिक पाठशाला में 21 हैं, जंजघर में 22 हैं, युवक मण्डल भवनों में 3 हैं, विभागीय भवनों में 28 हैं, स्वास्थ्य केन्द्र में एक है और आंगनवाडी कार्यकर्ता के घर में एक है ।

जहां तक दूसरा प्रश्न माननीय सदस्य ने पूछा है कि कब तक बन जाएंगे, यह प्रक्रिया है, इस साल का हमारा लक्ष्य 160 भवनों का है, और 75:25 के अनुपात में...

श्रीमती यू.के.द्वारा जारी...

08.04.2015/1200/यूके/एजी/1

प्रश्न संख्याः 2077---जारी----

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री--जारी---

जो 160 आंगनवाड़ी भवन बनने हैं, उसमें 2.50 लाख रु0 जो पहले थे उसके स्थान पर 4.50 लाख रुपए हैं और ये भवन जैसे ही भूमि की उपलब्धता होती है, और साथ ही साथ में धन की उपलब्धता होती है, उसको ध्यान में रखते हुए शीघ्र ही बन जायेगा ।

प्रश्न काल समाप्त

08.04.2015/1200/यूके/एजी/2

सदन की समिति के प्रतिवेदन

अध्यक्षः अब सदन की समितियों के प्रतिवेदन होंगे ।

अब श्री खूब राम, सभापति कल्याण समिति, कल्याण समिति के प्रतिवेदन की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर भी रखेंगे ।

श्री खूब रामः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कल्याण समिति, (वर्ष 2014-15), समिति के द्वितीय मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2012-13) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर अष्ट्म कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2013-14) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित करताहूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं ।

08.04.2015/1200/यूके/एजी/3

नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

अध्यक्षः अब नियम 62 के अन्तर्गत ध्यानाकषर्ण प्रस्ताव होंगे । अब श्री बिक्रम सिंह जी अपना ध्यानाकषर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे तथा माननीय सिंचाई एवं जन-स्वास्थय मंत्री चर्चा का उत्तर देंगे ।

श्री बिक्रम सिंहः आदरणीय अध्यक्ष जी, जसवां-परागपुर विधान सभा क्षेत्र की लगभग 3-4 पंचायतें जो कि चिंतपुर्णी बाजार के साथ लगती हैं और चिंतपुर्णी बाजार में जो होटल सराय या आवास हैं, वहां पर सीवरेज की ठीक व्यवस्था न होने के कारण वहां के पेयजल स्त्रोत दूषित होते जा रहे हैं । इस विषय में वहां की पंचायतों ने आदरणीय मुख्य मंत्री जी को प्रस्ताव भी भेजे हैं । वर्ष 2009 से लगातार 2015 तक लगभग 20 प्रस्ताव

वहां के लोगों ने इस विषय के ऊपर भेजे हैं । क्योंकि इन दोनों पंचायतों के अन्दर अभी एक रिपोर्ट भी इंटिग्रेटिड वाटर शैड मैनेजमेंट प्रोग्राम के अन्तर्गत जिसको रूरल डवेलपमैंट डिपार्टमैंट की स्टेट लैवल नोडल एजेंसी ने अप्रूव भी किया है । उसने अपनी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट इन गांवों के विषय में रखी है और इसमें जिस एन0जी0ओ0 ने जो काम किया है, इस एन0जी0ओ0 की मीटिंग नवम्बर 2012 में केन्द्र से रूरल डवेलपमैंट डिपार्टमैंट के सेक्रेटरी आए थे, उनके साथ भी हुई है और उसकी रिपोर्ट यहां सरकार को भी भेजी गयी है । लेकिन इस पर यहां अभी तक कुछ नहीं हुआ है । मैं यहां पर मोटी-मोटी बातें जो इस एजेंसी के थ्रू आई है, उनके ऊपर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि घंघोट पंचायत में 18 कुएं हैं और इन 18 के 18 कुओं का पानी पीने योग्य नहीं रहा है । वहां पर 6 हैंडपम्प हैं, उन 6 हैंडपंपों का पानी भी ठीक नहीं है । इसके अलावा साथ में लगती सनोली पंचायत है जिसका एक गांव है शिवपुरी, उस गांव के अन्दर तो इतने बुरे हालात हैं कि स्त्रोत तो खराब है ही लेकिन यदि आपने उस गांव में जाना हो तो गाड़ी ले कर

08.04.2015/1200/यूके/एजी/4

तो क्या पैदल भी नहीं जा सकते । वहां पर इतना ज्यादा प्रदूषण है । जिसका बेसिक कारण यही है कि चिंतपुरणी में कहीं पर भी सीवरेज नहीं हैं, जिसके कारण से यह सारा हो रहा है । सनौली के अन्दर 8 कुएं हैं, इन 8 के 8 कुओं का पानी खराब हो गया है और पीने योग्य नहीं है । इन दोनों पंचायतों में पानी की पी0एच0 वहां पर ज्यादा है, 1.9 के करीब है । वहां पर टोटल डिज़ाल्व सॉलिड जो हैं वह बिलो नॉर्मल है, इलैक्ट्रिक क्नैक्टीविटी बिलो नॉर्मल है, इम्प्योरिटीज़ हाई हैं, बॉयो कैमिकल ऑक्सीजन डिमांड बहुत ज्यादा है । मैं यह भी बताना चाहूंगा कि जहां बॉयो कैमिकल ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा होती है उस के कारण से बहुत सी बीमारियां वहां फैलती हैं और कई बार तो महामारी फैलने का भी वहां पर डर रहता है । इन सारी चीज़ों के बारे में समय-समय के ऊपर पंचायतों के माध्यम से डी0सी0 साहब को, सरकार को आदरणीय मुख्य मंत्री जी को मैने पहले बताया है, यहां प्रस्ताव मेरे पास पड़े हैं । लेकिन पिछली बार भी यहां पर इस विषय के ऊपर चर्चा..

एसएलएस द्वारा जारी----

08.04.2015/1205/sls-ag-1

श्री बिक्रम सिंह...जारी

पिछली बार भी इस विषय पर चर्चा हुई थी लेकिन जो सरकार का जवाब आया था, आज भी उसी जवाब के अनुसार स्थिति है। उसमें भी यही लिखा था कि यहां पर 8.5 करोड़ रुपये की लागत से सीवरेज योजना बनेगी, 06.04.2012 को यह रिपोर्ट हमने मंगवा ली है और वहां पर हम जल्दी-से-जल्दी ट्रीटमैंट प्लांट लगाएंगे।

मैं चाहूंगा कि आप वहां के गांवों का सर्वे करवाएं कि वहां किस प्रकार से बीमारियां फैल रही हैं। वहां पर स्थिति इतनी खराब है कि लोग सोच रहे हैं कि वहां पर आंदोलन चलाया जाए और प्रशासन को वहां बुलाया जाए। लेकिन मैंने उन्हें समझाया है कि विधान सभा के अंदर आपकी बात रखी जाएगी। मुझे इस बात का विश्वास है कि जो कमियां हैं, इनको जल्दी ही दूर किया जाएगा और चिन्तपुर्णी के जो होटल हैं, आवास हैं, सरायें हैं, उनको जल्दी-से-जल्दी सीवरेज से जोड़ा जाएगा। जब तक वह सीवरेज से नहीं जोड़े जाएंगे तब तक वहां पर प्रदूषण बहुत ज्यादा रहेगा और जो नार्मल वॉटर वहां पर रहना चाहिए, जैसे 6.5 से 7.5 के बीच में उस पीने का पानी का पी.एच. लेवल रहना चाहिए, वह सारा-का-सारा बेसिक हो गया है। इस पानी के जितने भी पैरामीटरज़ हैं वह आम आदमी के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं हैं।

आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से नियम-62 के अंतर्गत अपना यह मामला उठाना चाहता हूं - " मैं, चिन्तपुर्णी बाजार में स्थित होटल, सरायें, आवास व अन्य व्यवसायिक संस्थानों में सीवरेज की उपयुक्त व्यवस्था न होने के कारण पेयजल स्त्रोतों के दूषित होने से उत्पन्न स्थिति की ओर माननीय सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।"

धन्यवाद।

08.04.2015/1205/sls-ag-2

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अभी श्री बिक्रम सिंह ठाकुर जी ने जो नियम-62 के अंतर्गत चिन्तपुर्णी बाजार में स्थित होटलों, सरायों, आवासों व अन्य व्यवसायिक संस्थानों में सीवरेज की उपयुक्त व्यवस्था न होने के कारण इनसे बह रहे

गन्दे पानी व कचरे से विकास खण्ड परागपुर की पंचायत गंगोट व समनोली के गांवों विषेशतः शिवपुरी व समनोली के पेयजल स्त्रोतों के दुषित होने से उत्पन्न गम्भीर स्थिति की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। उसके बारे में मैं बताना चाहती हूं कि माता चिन्तपुर्णी मन्दिर व आसपास के क्षेत्रों में सिंर्चाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रतिदिन लगभग 15.80 लाख लीटर पेयजल तीन स्त्रोतों के माध्यम से उपलब्ध करवाया जाता है।

1-	स्त्रोत न0 1 नलकूप दलवा़डी	3.80 लाख लीटर प्रतिदिन
2-	स्त्रोत न0 2 परकूलेशन वैल गांव प्रीतमवुकलां	8.50 लाख लीटर प्रतिदिन
3-	स्त्रोत न0 3 परकूलेशन वैल गांव दलवा़डी	3.50 लाख लीटर प्रतिदिन

कुलः- 15.80 लाख लीटर प्रतिदिन

यहां पर यह बताना उचित होगा कि चिन्तपूर्णी बाजार में स्थित होटलों व अन्य व्यापारिक संस्थानों से बह रहे गंदे पानी व कचरे से ग्राम पंचायत समनोली के अन्तर्गत गांव समनोली व गांव शिवपुरी में स्थित पेयजल स्त्रोतों के दूषित होने की संम्भावना नहीं है, क्योंकि ये पेयजल स्त्रोत पहा़डी के दूसरी तरफ गांव दलबा़डी व प्रीतमवुकलां में विपरीत दिशा में स्थित है। ग्रांम पंचायत गंगोट को पेयजल योजना क़डोआ स्थित गुरल से पानी की आपूर्ति की जाती है जिसका स्त्रोत परकूलेशन वैल है जो गुरल खड्ड पर स्थित है तथा इस कुंए में सिवरेज के पानी के मिलने की भी कोई सम्भावना नहीं है।

चिन्तपूर्णी बाजार में स्थित होटल व अन्य व्यापारिक संस्थानों से बह रहे गन्दे पानी व कचरे से उत्पन्न समस्या के स्थाई हल के लिए सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग ने माता चिन्तपूर्णी जी मन्दिर ट्रस्ट के अनुरोध पर 850 लाख रुपये अनुमानित लागत की मल निकासी योजना का प्राक्कलन बनाया, जिसके लिए धन माता चिन्तपूर्णी जी मन्दिर ट्रस्ट द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा। इस योजना की प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय स्वीकृति 850 लाख रुपये की अवर सचिव, (भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग) हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 16.04.2012 को प्रदान की गई । यह योजना तीन भागों में बनाई जानी प्रस्तावित है। तीनो जोनों में ट्रीटमैंट प्लांटों के निर्माण हेतु भूमि का चयन कर लिया गया है तथा भूमि के हस्तान्तरण हेतु प्रक्रिया जारी है। जोन-1 व 3 में ट्रीटमैंट प्लांटों के लिए चिन्हित भूमि के अधिग्रहण का मामला

उपायुक्त, जिला ऊना से उठाया गया है। जोन-2 में ट्रीटमैंट प्लांट के लिए चिन्हित भूमि उपायुक्त, जिला कांग़डा द्वारा विभाग के नाम हस्तान्तरित कर दी गई है।

माता चिन्तपूर्णी मन्दिर न्यास द्वारा विभाग को दिनांक 18.01.2014 को 10 लाख रुपये की धनराशी उपलब्ध करवाई गई है तथा शेष राशि अपेक्षित है। विभाग मल निकासी योजना चिन्तपूर्णी के निर्माण के लिए प्रयासरत है जिसके पूरा होने पर चिन्तपूर्णी बाजार में बह रहे गंदे पानी का निपटारा हो जाएगा।

जारी ...श्री गर्ग जी

08/04/2015/1210/RG/JT/1

सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्री----क्रमागत

इस योजना की प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय स्वीकृति 850 लाख रुपये की अवर सचिव(भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग), हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 16.04.2012 को प्रदान की गई। यह योजना तीन भागों में बनाई जानी प्रस्तावित है। तीनों जोनों में ट्रीटमेंट प्लांटों के निर्माण हेतु भूमि का चयन कर लिया गया है तथा भूमि के हस्तान्तरण हेतु प्रक्रिया जारी है। जोन-1 व 3 में ट्रीटमेंट प्लांटों के लिए चिन्हित भूमि के लिए अधिग्रहण का मामला उपायुक्त, जिला ऊना से उठाया गया है। जोन-2 में ट्रीटमेंट प्लांट के लिए चिन्हित भूमि, उपायुक्त, जिला कांगड़ा द्वारा विभाग के नाम हस्तान्तरित कर दी गई है।

माता चिन्तपूर्णी मन्दिर न्यास द्वारा विभाग को दिनांक 18.01.2014 को 10 लाख रुपये की धनराशि उपलब्ध करवाई गई है तथा शेष राशि अपेक्षित है। विभाग मल निकासी योजना चिन्तपूर्णी के निर्माण के लिए प्रयासरत है जिसके पूरा होने पर चिन्तपूर्णी बाजार में बह रहे गंदे पानी का निपटारा हो जाएगा। आपने जो मुद्दे उठाए हैं, हमने अपने हिसाब से उनका जवाब दे दिया है और मैं आशा करती हूं कि इसको पूरा किया जाएगा।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि चिन्तपूर्णी के अंदर तीन सीवरेज़ ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए जाने हैं जिनमें से एक कांगड़ा साइड में है और दो ऊना साइड में हैं। इनके लिए पर्याप्त धन का प्रावधान हो गया है और बहुत शीघ्रता के साथ, तेजी के

साथ इनका काम होगा और थोड़े ही अरसे के अंदर इस संपूर्ण समस्या का समाधान हो जाएगा।

श्री रिखी राम कौंडल : अध्यक्ष महोदय, हमारी बात तो सुन लिया करें।

अध्यक्ष : मेरे कहने का मतलब यह है कि आप बात करते हैं, तो आप उत्तेजित हो जाते हैं।

श्री रिखी राम कौंडल : अध्यक्ष महोदय, हम उत्तेजित नहीं होते, उत्तेजित आप हो जाते हैं।

अध्यक्ष : आप बात मान लिया करों, after all जब मुझे समझ आ गया, तो आप बात मान लिया करें। हां, बोलिए, आप क्या बोलना चाहते हैं?

08/04/2015/1210/RG/JT/2

श्री रिखी राम कौंडल : अध्यक्ष महोदय, 4 और 5 तारीख को हमारे यहां चोरियां हुई। दस चोरियां 4 तारीख को और दो चोरियां 5 तारीख को हुईं। मैंने नियम-62 के अन्तर्गत यहां ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था और उससे पहले जो जोधा राम की लाश जंगल में मिली, उसके बारे में भी मैंने विषय उठाया था, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है, तो उसमें माननीय मुख्य मंत्री जी ने जवाब दिया है कि लाश मिली है, लेकिन अभी पोस्ट-मॉर्टम होना बाकी है। उसकी वस्तुस्थिति क्या है? न तो हमारा वह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव यहां लगा और अब सिर्फ दो दिन सत्र को बाकी रह गए हैं। ये महत्वपूर्ण विषय रह जाएंगे। बिलासपुर में कानून-व्यवस्था की स्थिति बहुत ही खराब है। रोज़ चोरियां हो रही हैं, चार-चार बार एक-एक दुकान में चोरी हो रही है। अध्यक्ष महोदय, हम आपका संरक्षण चाहते हैं कि इस प्रदेश में यह जो स्थिति बिगड़ी है उसके बारे में चर्चा करने का हमारा अधिकार है। इसलिए हमने जो चर्चा करने के लिए नोटिस दिए हैं, वे सदन में लगाए जाएं।

अध्यक्ष : आपका नोटिस आया हुआ है और उसको हमने सरकार को उत्तर के लिए भेजा हुआ है। जब वह आ जाएगा, तो उस पर ऐक्शन लिया जाएगा।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जहां तक कानून-व्यवस्था का प्रश्न है इस माननीय सदन में उसके ऊपर पूरी चर्चा हो चुकी है। जहां तक माननीय सदस्य इस स्पेसिफिक केस की बात कर रहे हैं और उसकी मैंने ही इनको सूचना दी, उसके आगे क्या हुआ है, मैं कल अपने बयान में आपको बताऊंगा।

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष : आप बैठिए, एक मिनट मेरी बात सुनिए। पहले एक सैकण्ड मेरी बात सुन लीजिए। ऐसा है कि आप जो भी इशु चर्चा के लिए यहां देते हैं उसको हम स्टडी करते हैं और सरकार को उत्तर के लिए भेजते हैं। जब उसका जवाब आता है, तो वह हम लगा देते हैं। अगर वह संतोषजनक हो, तो उसमें बहस करने की कोई बात नहीं है।
श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, अब तो सत्र को मात्र दो दिन रह गए हैं। एक हफ्ता पहले मैंने बिलासपुर जिले में जो फोर लेन सड़क का कम्पनियां निर्माण कर रही हैं उनके कारण बिलासपुर की जनता को जो दिक्कतें या परेशानियां हो रही हैं, उस संबंध में नियम-63 के अन्तर्गत हमने चर्चा मांगी है। एक हफ्ता हो गया, अभी तक वह चर्चा नहीं लगी और अब सिर्फ दो दिन बाकी बचे हैं।

08/04/2015/1210/RG/JT/3

अध्यक्ष : कुछ इशुज हैं जो इस असैम्बली में हर समय डिसकस नहीं हो सकते हैं।

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं है।

अध्यक्ष : देखिए, रणधीर जी, आप मेरी बात सुनिए। मेरी तरफ से आपको पूरा समय दिया जाएगा। किसी बात के लिए कोई रोक नहीं है। मैं कभी किसी को मना नहीं करता, लेकिन जब आप उत्तेजित होकर बात करते हैं, आप मेरी मजबूरी समझिए, आप तो अपने आप इन्सिस्ट करते हैं---(व्यवधान)----जब आपके 62 का जवाब आएगा, -----जारी

एम.एस. द्वारा जारी

अध्यक्ष जारी----------
आपने जो नियम 62 के तहत चर्चा मांगी है, उसका जब जवाब आएगा तभी हम ऐक्शन लेंगे।

श्री रणधीर शर्माः अध्यक्ष जी, वहां पीने के पानी के स्त्रोत खराब हो गए हैं। फोर लेन कम्पनियों ने वहां पर जिस तरह से अवैध खनन को बढ़ावा दिया हैं, वे सारे मुद्दे हम सदन में उठाना चाहते हैं। हमें नोटिस दिए हुए एक सप्ताह का समय हो गया है लेकिन उस पर अभी तक चर्चा नहीं मिली है।

अध्यक्षः आप सदन में अभी इसे डिस्कस करने के बजाए लिखकर दीजिए, उसमें सरकार जवाब देगी।

श्री रणधीर शर्माः कल प्राइवेट मैम्बर्ज डे है। सर, सरकार कब जवाब देगी?

अध्यक्षः क्या हरेक मैटर इस असैम्बली में डिस्कस हो सकता है? हजारों मैटर्ज हैं, क्या उन पर यहां चर्चा हो सकती है?

श्री रणधीर शर्माः अध्यक्ष जी, आप आश्वासन दें कि उस पर परसों चर्चा हो जाएगी। इसके अलावा जो दो प्रश्नों पर आधे-आधे घण्टे की चर्चा करवाने का नियम है, उस पर भी मैंने चर्चा मांगी है। उस पर सरकार को कोई समय की बात नहीं है। उन प्रश्नों का तो उत्तर दिया हुआ है लेकिन उन पर भी चर्चा नहीं लग रही है।

अध्यक्षः अगर प्रश्न का उत्तर दिया हुआ है तो उसमें सरकार ने ही उत्तर दिया है।

श्री रणधीर शर्माः अध्यक्ष जी, उस पर आधे घण्टे की चर्चा का नियम है। उसके तहत मैंने चर्चा मांगी है।

अध्यक्षः अगर जरूरी होगा तभी देंगे। वह तो मैंने देखना है।

श्री रणधीर शर्माः अध्यक्ष जी, चर्चा कब देंगे? क्योंकि कल प्राइवेट मैम्बर्ज डे है और परसों सत्र का अंतिम दिन है। अध्यक्ष जी, हमें न्याय नहीं मिल रहा है। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि हमें आपका संरक्षण और न्याय मिले। हम जिन मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं वे हमारे कोई भी मुद्दे यहां पर चर्चा के लिए नहीं लग रहे हैं। (व्यवधान)

अध्यक्षः देखिए, हजारों मुद्दे एक घण्टे में खत्म नहीं हो सकते।

08/04/2015/1215/MS/AG/2

श्री रणधीर शर्माः अध्यक्ष जी, एक मिनट। जब हम प्रश्न पूछते हैं और सप्लीमैंट्री पूछते हैं तो आप कहते हैं कि सप्लीमैंट्री लिमिटिड करो, चर्चा ले आओ। हम चर्चा लाते हैं तो चर्चा आप लगाते ही नहीं हैं। हम कहां जाएं, कहां चर्चा करें?

अध्यक्षः कितनी चर्चा करानी है? चर्चा का भी एक एक तरीका होता है। हर चीज असैम्बली में डिस्कस नहीं हो सकती।

श्री रणधीर शर्माः अध्यक्ष जी, मैंने दो प्रश्नों पर चर्चा मांगी है। एक नियम 63 के अंतर्गत चर्चा मांगी है लेकिन किसी पर चर्चा नहीं हो रही है। हम कहां जाएंगे? अध्यक्ष जी, हमें आपका संरक्षण चाहिए।(व्यवधान)

अध्यक्षः मैं आपके लिए ही हूं और मैम्बर्ज के लिए हूं। सब कुछ आपके लिए ही है लेकिन सबकी इच्छापूर्ति नहीं हो सकती। (व्यवधान) कृपया बैठ जाइए।

डॉ0 राजीव बिंदलः अध्यक्ष महोदय, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है।

अध्यक्षः किस चीज का विषय है?

डॉ0 राजीव बिंदलः अध्यक्ष जी, 10 दिन पहले से लगातार मेरे चार इश्यूज जनाब के पास पैंडिंग हैं। प्रदेश के रेवेन्यु विभाग ने जो लोग तिब्बत से आए हुए हैं उनको रेगुलराइज करने का फैसला किया है। हमने कहा कि हिमाचलियों की जमीनें कब रेगुलराइज करेंगे? तिब्बतियों ने ऐन्क्रोचमैंट की है उनको भूमि देने के लिए सरकार

तैयार है लेकिन हिमाचल के करीब आदमी की किसी की 15 मीटर और किसी की 10 मीटर भूमि ऐन्क्रोचमैंट में आ रही है, उस संबंध में सरकार कुछ तय नहीं कर रही है। इस तरह से प्रदेश के जनहित का मुद्दा मैंने जनाब के सामने रखा। हजारों मामले ऐसे हैं जिनमें प्रदेश का वह गरीब आदमी जिसके पास 2 मीटर, 10 मीटर या 50 मीटर जमीन ऐन्क्रोचमैंट में है वह केसिज फेस कर रहा है और उसको लेकर के हमारे मामले (व्यवधान) और अध्यक्ष महोदय, हम जानते हैं कि जब उसमें हमने डिस्कशन मांगे, (व्यवधान)

श्री नीरज भारती(मुख्य संसदीय सचिव): क्या हमारे समय में ही हुई है? पहले नहीं हुई थी? आप लोग अपना समय याद कीजिए।(व्यवधान)

अध्यक्षः कृपया बैठ जाइए।(व्यवधान)

डॉ0 राजीव बिंदलः अध्यक्ष जी, आज कुल-मिलाकर आधे घण्टे का ऐजैंडा है और आधे घण्टे के ऐजैंडा में,

08/04/2015/1215/MS/AG/3

Speaker: Not to be recorded. यह गलत बात है। This is a wrong practice. आप विषय के बगैर ही बोल रहे हैं? (व्यवधान)बात सुनिए, जब विषय ही नहीं है। हर बात इस असैम्बली में नहीं सुनी जा सकती।

डॉ0 राजीव बिंदलः अध्यक्ष जी, हमारे विषय को जैसे मैंने बताया, (व्यवधान)

अध्यक्षः आप कौन से विषय की बात कर रहे हैं? आपका विषय है, इनका विषय है, उनका विषय है, किसका विषय रखना है? यह मैंने देखना है कि टाइम कैसे मैनेज करना है। आज गवर्नमैंट बिजनैस भी है। (व्यवधान) ऐसा है, हरेक विषय असैम्बली में नहीं रखा जा सकता।

डॉ0 राजीव बिंदलः अध्यक्ष जी, हमारा प्रोटैस्ट है कि हमारे विषय जानबूझकर लटकाए गए हैं ताकि परसों सत्र का अंतिम दिन है और हमारे विषय न आए।

Speaker: I don't believe in this allegation. मेरे पास जो चीज है, सामने है। मैंने मैनेज करना है। (व्यवधान)

जारी श्री जे0के0 द्वारा------

08.04.2015/1220/जेके/जेटी/1

.....(व्यवधान).....Please be silent. Your (Shri Jai Ram Thakur) subject is not on the agenda. Please sit down.

विधायी कार्य :

सरकारी विधेयकों पर विचार-विमर्श एवं पारण:

अध्यक्ष: अब सरकारी विधेयकों पर विचार-विमर्श एवं पारण होगा। माननीय सदस्य, श्री रणधीर शर्मा जी आप बैठिए। .....(व्यवधान)..... आप लोग बैठ जाइए। Please sit down. प्लीज बैठ जाइए। अब सरकारी विधेयकों पर विचार-विमर्श एवं पारण होगा। माननीय मुख्य मंत्री जी। .....(व्यवधान)..... ठीक है, मैं आपकी बात सुनता हूं। I will give you (Shri Jai Ram Thakur) time later on.

मुख्य मंत्री: अध्यक्ष महोदय, सरकार ने सदन में हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 7) पेश किया है, जिस पर आज बहस होनी है और इसको पारित करना है। यह बिल क्यों लाया गया है उसके बारे में मैं एक वक्तव्य देना चाहता हूं।

This amendment Bill aims to make provision to enable giving representation to the persons belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes and other appropriate interests in the managing committee of cooperative societies. This will be useful and beneficial when such Scheduled Castes/Scheduled Tribes and other appropriate interests do not

find representation in the managing committee of cooperative societies. In such a situation, the Registrar, Cooperative Societies, will

08.04.2015/1220/जेके/जेटी/2

rectify the situation by giving representation to such left out categories. In case the managing committee of the cooperative society already have representation from Scheduled Castes/Scheduled Tribes or other appropriate interests and groups, then such provision will be not be utilized. This is the purpose of this amendment Bill.

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 7) पर विचार किया जाए।

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 7) पर विचार किया जाए।

श्री सुरेश भारद्वाजः अध्यक्ष महोदय, सहकारी सोसाईटीज में महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन मिले, पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो प्रो0 प्रेम कुमार धूमल जी की अध्यक्षता में थी ,उसमें यह निर्णय कर दिया गया था और उस समय यह प्रोविज़न किया गया था। पंचायतों में भी 50 प्रतिशत का प्रोविजन उसी समय किया गया था। इसमें इन्होंने एक्ट में एक प्रोविजन किया है कि रजिस्ट्रार नोमिनेट करेगा, रजिस्ट्रार मतलब स्टेट गवर्नमैंट। जो स्टेट गवर्नमैंट बोलेगी वह रजिस्ट्रार नोमिनेट कर देगा, महिला को भी, अनुसूचित जाति को भी और अनुसूचित जनजाति को भी। उसमें जो एक प्रोविजन इन्होंने किया है 34-ए(4) जो कि सेकिण्ड पेज पर है - "The managing committee members appointed under this section may or may not be the members of the society but should possess all the qualifications prescribed for membership...." सहकारी सोसाटीज़ अपैक्स लैबल से लेकर नीचे ग्रास रूट लैवल तक जाती है। ग्रास रूट लैवल पर जो सोसाइटीज़ बनती है वह एक इन्ट्रस्ट के लोग आपस में मिलकर उस सोसाइटी को बनाते है। उसमें उसी जगह के लोग नोमिनेट

हों अगर नोमिनेट भी करना है सरकार चाहती है। Otherwise there is a Committee, इनकी सरकार में

08.04.2015/1220/जेके/जेटी/3

ही ऑल इण्डिया लैबल पर बनी थी । जिसको वैद्यनाथन कमेटी कहा जाता है जिसमें टोटल गवर्नमैंटलाइजेशन समाप्त हो जानी चाहिए थी। उसमें इंडिपैंडैंट इलैक्शन होगा और उसके द्वारा सोसाइटीज़ बनेगी।

श्री एस.एस. द्वारा जारी---------

08.04.2015/1225/SS-JT/1

श्री सुरेश भारद्वाज क्रमागतः
लेकिन अगर ये गवर्नमैंट का उसमें नोमिनेशन चाहते हैं तब भी यह प्रोविजन करके फिर बाहर के लोगों को भी उसमें नोमिनेट किया जा सकता है। अपैक्स लेवल पर तो मैं समझ सकता हूं कि अगर आप हिमफैड, कॉपरेटिव बैंक या कांगड़ा बैंक में यह प्रोविजन करें कि किसी भी व्यक्ति को पूरे प्रदेश से आप उसमें नोमिनेट कर सकें हालांकि कांगड़ा बैंक भी एक परटीकुलर एरिया का बैंक है, जोगिन्द्रा बैंक भी परटीकुलर एरिया का सैंट्रल बैंक है, उसी एरिया के बीच से उसमें नोमिनेशन होनी चाहिए और उसको कॉपरेटिव सोसाइटी का मेम्बर होना चाहिए। ऐसा अगर प्रोविजन करेंगे तो उससे रिप्रैजंटेशन एस0सी0, एस0टी0 या विमैन का हो सकेगा। उसी एरिया के लोगों में से करें। जो कॉपरेटिव सोसाइटी के मेम्बर नहीं हैं, कहीं बाहर के मेम्बर्ज़ हैं उनको आप किसी भी सोसाइटी में नोमिनेट कर देंगे तो मैं समझता हूं कि यह प्रोविजन गलत है। माननीय मुख्य मंत्री जी, मैं समझता हूं कि अगर इसको ठीक प्रस्पैक्टिव में लेंगे तो यह प्रोविजन इसमें करने की आवश्यकता नहीं है। इसको इससे निकाल दें। बाकी जो नोमिनेशन हैं, ठीक है सोसाइटी में आने चाहिएं। उसका मैं स्वागत करता हूं लेकिन ये प्रोविजन against the spirit of co-operative movement है इसलिए इसको इस ऐक्ट से निकाल दिया जाना चाहिए।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, इसमें इसका बड़ा लिमिटिड परपज़ है। कोई गवर्नमैंट सोसाइटी बनती है उसमें अगर शिडयूल्ड कास्ट, शिडयूल्ड ट्राईब, वीकर सैक्शन के

लोग इलैक्ट हो कर आ जाएं this provision doesn't apply. अगर किसी कॉपरेटिव सोसाइटी में ये जो मेम्बर बन कर आते हैं उनमें कोई शिडयूल्ड कास्ट, शिडयूल्ड ट्राईब नहीं है और उसके अंदर वीकर सैक्शन का नहीं है, in such eventuality, Government is seeking power to nominate people belonging to these classes in the cooperative societies. This is in the interest of the cooperative societies at large.

अध्यक्षः डॉ0 राजीव बिंदल जी, आप क्या बोलना चाहते हैं?

डॉ राजीव बिंदलः अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी, जो बिल लाए हैं इसमें दो विषय हैं। जहां पर एस0सी0, एस0टी0 और महिला मेम्बर नहीं हैं उनमें मूलतः एस0सी0, एस0टी0 के लिए और रिजर्वेशन की जा सकती है और जब कॉपरेटिव में

08.04.2015/1225/SS-JT/2

चुनाव हो तो वह रिजर्व सीट के रूप में चुनाव हो। उससे नोमिनेशन करके बाहर से व्यक्ति को डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और उन लोगों को राइट भी मिल जायेगा। एक तो इसलिए इसकी आवश्यकता नहीं रहती।

दूसरा, जो आप नोमिनेट करेंगे उनको वोटिंग राइट का प्रावधान इसमें है। उसमें वोटिंग राइट का प्रावधान इनको नहीं होना चाहिए। नगर-पालिकाओं में और बाकी जगह पर जो नोमिनेटिड मेम्बर्ज़ हैं उनको वोटिंग राइट नहीं है। कॉपरेटिव में जो चुनकर आए हुए लोग हैं, कहीं पर केवल पांच मेम्बर इलैक्ट हो कर आते हैं, दो मेम्बर नोमिनेट हो जाते हैं, वे उसकी मूल भावना को डोमिनेट करते हैं। उसके कारण कॉपरेटिव में जो नीचे से चुनाव लड़कर आए हुए लोग हैं उनका राइट स्नैच होता है। इसलिए इनको वोटिंग राइट किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए। ऐसा मेरा सुझाव है।

अध्यक्षः माननीय धूमल जी।

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः अध्यक्ष महोदय, जो दोनों आपत्तियां दर्ज करवाई गईं मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह रहेगा कि इनको कंसीडर करें। क्योंकि एक तो अगर

रिजर्वेशन देना है तो उस कैटेगिरी के लिए रिजर्वेशन इलैक्शन में हो और दूसरे कि कहीं से भी नोमिनेट कर दें तो वे किसको रिप्रैजेंट करेंगे? जिस बात की ओर श्री सुरेश भारद्वाज जी ने ध्यान दिलाया था, वैद्यनाथन कमेटी की रिक्मेंडेशन यह है कि कॉपरेटिव सोसाइटी टोटली फ्री हों from the government interference. सरकारी हस्तक्षेप उसमें न हो। आप चुनाव में प्रावधान नहीं कर रहे। उनकी बेसिक क्वालीफिकेशन है या नहीं है और मान लो अगर वहां शिडयूल्ड कास्ट और शिडयूल्ड ट्राईब का व्यक्ति है ही नहीं, जिस कैटेगिरी के लिए आप रिजर्वेशन कर रहे हैं तो फिर किस के लिए उसका बेनिफिट है? नोमिनेशन, जैसे सरकार को अधिकार है, म्युनिसिपल कारपोरेशन में आप करते हैं, म्युनिसिपल कमेटी में करते हैं लेकिन उनको जब चुनाव होता है तो वोट का राइट नहीं होता।

जारी श्रीमती के0एस0

08.04.2015/1230/केएस/जेटी/1

श्री प्रेम कुमार धूमल जारी---
तो वोट का अधिकार नहीं होता। तो नोमिनेट मैम्बर को यह अधिकार नहीं होना चाहिए। पहले तो मैं इस करके इसका विरोध कर रहा हूं क्योंकि it is in contradiction of Vaidyanathan Committee. और उसको केन्द्र की आपकी यू0पी0ए0 सरकार ने कानून बनाया था। Any Act which you will be enacting here against the Central Act will be rejected by the court. जो केन्द्रीय कानून है, उसके अगेंस्ट आप यहां कोई कानून नहीं बना सकते और केन्द्रीय कानून में यह व्यवस्था है कि सरकार के नोमिनेशन की जरूरत नहीं हो। लोग डायरैक्टली इलैक्टिड हो, ग्रास रूट से जुड़े हुए लोग चुनकर आएं और ऐसे लोग प्रतिनिधि बनें। तो अगर इस तरह नोमिनेटिड लोग बनेंगें तो जब भी इसको चैलेंज करेंगें तो यह रिजैक्ट हो जाएगा तो इसको पास करने का फायदा क्या है? मुझे लगता है इसको रीकंसिडर करके फिर गवर्नमैंट इस पर फैसला लें।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में मिसकंसैप्शन हो रहा है। पहली बात तो यह है कि there is no provision for reservation in elections to the cooperative societies at present. इसमें कोई रिज़र्वेशन की बात नहीं है और यह आवश्यक है कि अगर हम समाज के हर अंग को यह मौका देना चाहते हैं कि वह भी किसी संस्था का

मैम्बर बनें तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि अगर किसी कॉप्रेटिव सोसायटी के अंदर शैड्यूल कास्ट या शैड्यूल ट्राईब या किसी बैकवर्ड एरिया का आदमी मैम्बर इलैक्ट न हो, उस सूरत में सरकार को अधिकार

08.04.2015/1230/केएस/जेटी/2

होगा कि जिस क्षेत्र की यह सोसायटी है, उसी क्षेत्र से इस कमी को पूरा करने के लिए इन श्रेणियों में से किसी को नोमिनेट करें।

अध्यक्षः मुख्य मंत्री जी, इन्होंने वोटिंग राईट के बारे में भी जानना चाहा था।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, उसको वोटिंग राईट यह होगा। He will be a full-fledged member.

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 7)को पारित किया जाए।

अध्यक्षः रवि जी, आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री रविन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, ये जो सहकारी समितियां हैं, इनमें सबसे पहले तो पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय माननीय धूमल जी ने 33 परसेंट महिलाओं को रिज़र्वेशन दे दी थी। जैसे पंचायती राज संस्थाओं व नगर निकायों में दी थी और कॉप्रेटिव सोसायटी में दी थी और उसमें से जो कमेटी बनती थी उन्हीं में से जो चुनाव होता था, उन्हीं में से 33 परसेंट यानि कि पांच मैम्बर की कमेटी होगी तो कम से कम दो महिलाएं चुनकर आएंगी, ऐसी व्यवस्था उस समय कर दी गई थी। अब इसमें सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है, वह यही है कि एक तो जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि कई सोसायटीज़ में, जैसे मैं अपने गांव का उदाहरण दूं , वहां पर शैड्यूल ट्राईब्ज़ है ही नहीं तो आप उनको कहां से ले कर आएंगें?

08.04.2015/1230/केएस/जेटी/3

मुख्य मंत्रीः वहां पर शैड्यूल कास्ट तो होंगें?

श्री रविन्द्र सिंहः अनुसूचित जाति के हैं, अनुसूचित जनजाति के नहीं है। तो आपने जो व्यवस्था की है वह तो एस.टी. के लिए की है।

Chief Minister: It is either Scheduled Caste/Scheduled Tribe or other appropriate interests.

श्री रविन्द्र सिंहः तो फिर तो कुछ भी हो सकता है। वह व्यवस्था तो पहले से करते ही है। जो आप नोमिनेटिड को वोटिंग राईट दे रहे हैं, वह सही नहीं है। जब आपके पास इलैक्टिड 5-7 मैम्बर्ज़ होंगें, पॉपुलेशन के क्राईटेरिया के आधार पर आपने कहा कि 1600 के करीब टोटल पॉपुलेशन होगी तो वहां पांच होंगें, इतने से इतने होंगें तो सात होंगें, 2750 से ऊपर होंगें तो 9 होंगें, 11 होंगें, आदि-आदि, ऐसी आपने व्यवस्था की है। जब आपकी पूरी वहां पर इलैक्टिड मैम्बर्ज़ होंगें तो उनको वोटिंग राईट होना चाहिए । नोमिनेटिड की न तो कहीं व्यवस्था है और न ही होनी चाहिए। यह जो आप संशोधन ला रहे हैं, यह ठीक नहीं है, हम इसका विरोध करते हैं और मुख्य मंत्री महोदय को प्रदेश के हित में और कॉप्रेटिव मूवमैंट के हित में सोचना चाहिए। हमें इसको सशक्त करना है, न कि कमजोर करना है। जो आप वहां पर नोमिनेट करेंगें, वे उसको सशक्त नहीं करेंगें, वे उनके सारे डे-टू-डे- वर्क में दखल-अंदाज़ी करेंगें।

मुख्य मंत्री महोदय, जो ये आप वोटिंग राईट दे रहे हैं, जब आपने पॉपुलेशन क्राईटेरिया इसमें फिक्स किया है, 1675 या 1650 आपने इसमें रखा है कि उसमें पांच मैम्बर होंगें, 1675 से लेकर 2700 तक है तो सात

08.04.2015/1230/केएस/जेटी/4

मैम्बर होंगें, ऐसे आपने बाईफ्रिकेट किया है यानि कि 13 मैम्बर तक वह कमेटी बनाई है।

अ0व0 द्वारा जारी---

8.4.2015/1235/jt/av/1

श्री रविन्द्र सिंह जारी----------

यानि आपने वह कमेटी 13 मैम्बर्ज तक की बनाई है। आपके इतने ज्यादा मैम्बर होंगे और उनको आपने वोटिंग राइट दे रखा है। वह जो अपने समाज के उत्थान के लिए काम करेंगे, आप जो नोमिनेट करेंगे। आपने देखा होगा, नोमिनेटर हमेशा इन्टरफेयरैंस के लिए होते हैं। ये चलते हुए काम में रोड़ा अटकाने के लिए होते हैं। हम विरोध के साथ-साथ आपसे अनुरोध भी कर रहे हैं कि इन नोमिनेटर्ज को आप वोटिंग राइट बिल्कुल न दें। वैद्यनाथन कमेटी की रिपोर्ट को सभी प्रदेशों ने लागू किया है। प्रदेशों की सरकारों को पूछकर उसको इम्पलीमैंट किया है। हम यही कहना चाहते हैं कि आपको तो उसको फोलो करना चाहिए क्योंकि उसको यू.पी.ए. सरकार ने इम्पलीमैंट किया है।

समाप्त

8.4.2015/1235/jt/av/2

श्री रिखी राम कौंडल : अध्यक्ष महोदय, क्लॉज न0 -(4) में मेनेजिंग कमेटी के लिए इन्होंने जो प्रावधान किया है कि - "The managing committee members appointed under this section may or may not be the members of the society but should possess all the qualifications prescribed for membership...." हर सोसायटी का एरिया ऑफ ऑपरेशन होता है। जैसे जोगिन्द्रा बैंक का लिमिटिड एरिया ऑफ ऑपरेशन सोलन जिला है, कांगड़ा बैंक का लिमिटिड एरिया ऑफ ऑपरेशन है। ऐसे ही जितनी भी सहकारी सभाएं हैं उनका एरिया ऑफ ऑपरेशन होता है। हम इसका विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक तो क्लॉज में लिखा है कि वह मैम्बर ही न हो। हमारा यह कहना है कि वह उसी एरिया ऑफ ऑपरेशन का सदस्य हो और सोसायटी का मैम्बर भी हो। इसको इनकलूड किया जाए। हम तब मानेंगे कि आपकी मन्शा बिल्कुल ठीक है और उसको वोटिंग राइट न हो, जैसे दूसरी एन.ए.सी. में मैम्बरों की नोमिनेशन की है मगर उनको वोटिंग राइट नहीं है। आप इस पर सोच-विचार कीजिए। जैसे हमारे विपक्ष के नेता ने कहा, आप इसको अच्छी तरह से स्टडी कर लीजिए। इसमें जल्दी की आवश्यकता नहीं है। गांव के अंदर जो छोटी-छोटी सहकारी सभाएं हैं उनके तहत सारा पी.डी.एस. का वितरण होता है और यह बहुत महत्वपूर्ण है। पहले इसके लिए दो साल का पीरियड होता था। हमारी पिछली सरकार ने उसको 5

साल किया है। जैसे माननीय धूमल जी ने बात रखी है आप इस पर उस हिसाब से सोच-विचार कीजिए। इस बिल को जल्दी में लाने की आवश्यकता नहीं है।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, पहली बात तो यह है कि वैद्यनाथन कमेटी की सिफारिश को हिमाचल प्रदेश में ऐक्सैप्ट नहीं किया गया है। It is not applicable to Himachal Pradesh, one. दूसरा यह है कि जो आपका हाउस सलैक्ट हुआ है उसमें अगर महिला है और वह शैड्यूल कास्ट है तो यह अप्लाई नहीं होता। In case there is no woman in it and there is no Scheduled Caste or Scheduled

8.4.2015/1235/jt/av/3

Tribe in it or whatever the case may be, in that case, the Registrar of Cooperative Societies is being empowered to nominate either of the two or two also as nominated members of the cooperative society to vote. This is to give representation to other class and those who are nominated will have power of voting.

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह जो माननीय मुख्य मंत्री जी चर्चा कर रहे हैं इससे तो सहकारी संस्थाओं का सरकारीकरण होगा। अगर आप इसमें आरक्षण लाना चाहते हैं तो जैसे पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण है।(---व्यवधान---)

Chief Minister: It may apply to some society. मगर भविष्य में इसको ध्यान में रखते हुए पहले ही ऐसे मैम्बर चुनकर आयेंगे कि उसमें शैड्यूल कास्ट का भी हो और वूमन भी हो। They will do it. जिनमें नहीं है उनमें यह प्रोविजन लागू होगा।

श्री रणधीर शर्मा : मुख्य मंत्री जी, मेरा यही कहना है कि अगर शैड्यूल कास्ट का है तो उसको रिजर्व कर दो और यदि शैड्यूल ट्राइब का है तो उसको भी रिजर्व कर दो। महिला का 33 प्रतिशत का प्रोविजन तो पहले ही है। फिर इस नोमिनेशन की जरुरत ही क्या है। अपने आप एक एस.सी.भी चुनकर आयेगा और जितनी पोपुलेशन है उसके हिसाब से एस.टी. भी चुनकर आ जायेगा। महिला भी-------

श्री बी जे द्वारा जारी

08.04.2015/1240/negi/ag/1

श्री रणधीर शर्मा.. जारी...
महिला भी चुन कर आ जाएगी । अध्यक्ष महोदय, यह जो प्रयास है यह सहकारी सभाओं का सरकारीकरण करना है। ...(व्यवधान)..

मुख्य मंत्री : आइन्दा जो इलैक्शन होंगे वो इसी प्रकार होंगे। मगर जिन सोसाइटियों के चुनाव हो चुके हैं उनमें इस संशोधन के द्वारा यह सुधार किया जाएगा। ....(व्यवधान)....

अध्यक्षः रणधीर जी आप बैठिये। धूमल जी आप बोलिए।

प्रो0 प्रेम कुमार धूमल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस बात को माना है कि आइन्दा इलैक्शन होंगे तो उसमें आप वार्ड रिज़र्व करेंगे, जो आपकी बात से झलकती है ।

मुख्य मंत्री : सोसाइटी में कोई वार्ड नही होता है। सोसाइटी ने खुद ही डिसाइड करना होता है, they have to take care कि जो वह चयन करेंगे, इलैक्ट करेंगे उसमें महिला भी हों और उसमें वीकर सैक्शन के लोग, एस.सी. व एस.टी. के लोग भी हों। मगर जहां ऑलरेडी इलैक्शन हो चुके हैं, जहां इनकी रिप्रेजेंटेशन नही है, उनको रिप्रेजेंटेशन देने के लिए this is the purpose of this Bill.

प्रो0 प्रेम कुमार धूमल : अध्यक्ष महोदय, हमारा यही सुझाव है कि जितने माननीय सदस्य इस तरफ से बोले हैं। अगर नोमिनेशन का प्रावधान कर रहे हैं, यह भी आप कह रहे हैं कि अगर उस सोसाइटी का मेम्बर न भी हो तो भी नोमिनेट हो सकता है । हम कहते हैं कि इस डेमोक्रेटिक सैटअप को ज्यादा लोकतांत्रिक बनाने के लिए, जो सदस्य हो, जैसे 5 मेम्बर इलैक्ट होने हैं तो आप यह भी कहें कि इनमें से कम्पलसरिली जहां शैडयूल कॉस्ट की आबादी है शैडयूल कॉस्ट का हो, अगर शैडयूल ट्राइब की आबादी है

तो शैडयूट ट्राइब का हो। अगर 2 महिलाएं हैं तो 1/3 के हिसाब से जितना बनता है महिला हो।

08.04.2015/1240/negi/ag/2

Chief Minister: At least one woman.

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः 33 परसेन्ट है तो ....(व्यवधान)..

मुख्य मंत्री : अगर पहले से है तो नही होगी। अगर लेडी पहले से है तो नही होगी।

प्रो0 प्रेम कुमार धूमल : हमारा सुझाव यह है कि जितना परसेन्टेज करना है उसको आप प्रोवाइड करिये कि let them be elected instead of nominating. Let they be members of the committee and that society. Let them be elected any number of Scheduled Castes, any number of Scheduled Tribes and any number of women, we have no objection. Our only suggestion is that they should be elected and only elected members should have the power to vote and they are to vote later on in the society.

अध्यक्षः एक मिनट आप बैठ जाइये। आप बार-बार क्यों खड़े हो रहे हैं? आपके लीडर बोल रहे हैं । Just a minute. इनका उत्तर सुनने दीजिए। धूमल साहब ने जो बात की है उसका उत्तर तो सुनिए। ...(व्यवधान)... भारद्वाज़ जी आप बोलिए।

श्री सुरेश भारद्वाज़ः अध्यक्ष महोदय, मेरा यह सुझाव है कि यहां पर इस विषय पर काफी चर्चा हो गई है, माननीय मुख्य मंत्री जी भी कंसीडर कर रहे हैं, लीडर ऑफ दि ऑपोजिशन ने सुझाव दिए हैं। इस बिल को सिलैक्ट कमेटी को भेज दिया जाए और उसमें चर्चा हो । क्योंकि इसको बहुत जल्दी में पास करने की आवश्यकता नही है। नोमिनेशन करना है और यह कभी भी हो सकता है। अगर इसको प्रवर समिति को भेज दिया जाए और उसमें चर्चा हो जाए, प्रवर समिति की बैठक इन्हीं की अध्यक्षता में होगी, जिसको यह एप्वॉइंट करेंगे। जो उसमें तय होगा फिर उस हिसाब से अगले सेशन में बिल लाया जाए और उसको पास कर दिया जाए।

Chief Minister: Sir, I may point out that the proposed provision of selection is already existed in Section 34 and rule 39. Just to remove

08.04.2015/1240/negi/ag/3

ambiguity the provision of rule has been proposed to be included under the Act. That's all. But this provision is already there.

अध्यक्षः अब माननीय मुख्य मंत्री जी प्रस्ताव करेंगे कि "हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 7)" को पारित किया जाए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि "हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 7)" को पारित किया जाए।

अध्यक्षः तो प्रश्न यह है कि "हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 7)" को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 4 विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकार

खण्ड-2,3 और 4 विधेयक का अंग बने।

श्रीमती यू.के.द्वारा जारी...

08.04.2015/1245/यूके/1

अध्यक्षः तो प्रश्न यह है कि खंड-1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकार ।

खंड-1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने ।

अब माननीय मुख्य मंत्री जी प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक-7) को पारित किया जाए ।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक-7) को पारित किया जाए ।

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक-7) को पारित किया जाए ।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसायटी (संशोधन), विधेयक 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक-7) को पारित किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकार ।

हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसायटी (संशोधन), 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक-7) पारित हुआ ।

08.04.2015/1245/यूके/एजी/ 2

हिमाचल प्रदेश खेल (संगमों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) विधेयक 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक- 10)

अध्यक्षः अब माननीय मुख्य मंत्री जी प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश खेल (संगमों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) विधेयक 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक-10) पर विचार किया जाए ।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश खेल (संगमों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) विधेयक 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक-10) पर विचार किया जाए।

मैं इस बिल को विचार करने के लिए पेश करता हूं।

अध्यक्षः तो प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश खेल (संगमों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) विधेयक 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक- 10) पर विचार किया जाए।

श्री सुरेश भारद्वाजः अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बिल पेश किया है यह कल की सप्लीमैंटरी लिस्ट में आया था। मुख्य लिस्ट में यह कल नहीं था। जब कार्य-सलाहकार समिति की बैठक हुई तो उस दिन भी यह बिल आया नहीं था। इसलिए इसके लिए उस दिन कोई टाईम फिक्स नहीं हुआ, बाकी बिलों के लिए ऑलरेडी टाईम फिक्स हो रखा है। हमारा कहना है कि हमें इस बिल की कॉपी अभी तक मिली ही नहीं। जो आपके दफ्तर ने कहा कि कल उन्होंने यहां टेबल पर रख दिया था। जो बात ऐक्चुअल हुई है, जो कहा है आपके दफ्तर ने कि हमने टेबल पर रख दिया था। लेकिन हमको कहीं टेबल पर यह मिली नहीं है क्योंकि कल हम

08.04.2015/1245/यूके/एजी/3

क्वैश्चन ऑवर के बाद चले गए थे। आप का अब यहां पर ई-विधान है। ई-विधान के कारण हम क्वैशचन सीधे लैपटॉप पर ही देखते हैं, हम फाईल नहीं निकालते हैं। किसी के भी घरों में, जो सरकारी मकान हैं उनके वहां पर किसी को भी इसकी कॉपी नहीं आयी है। हमारा निवेदन यह है कि यदि आपको टेकअप ही करना है तो इसको परसों टेकअप करिए, कल प्राईवेट मैम्बर-डे है। इसको परसों के लिए पोस्टपॉंड करिए क्योंकि हम इस बिल को पढ़ ही नहीं सके हैं। यह पूरा का पूरा नया बिल आ रहा है, यह अमैंडमैंट नहीं है। नए बिल को पढ़ने का हमको टाईम ही नहीं मिला है। जब बिल ही नहीं मिला तो पढ़ेंगे कैसे ? माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा केवल इतना निवेदन है कि कल प्राईवेट मैम्बर-डे है इसलिए इसको परसों के लिए रख दें।

अध्यक्षः हिमाचल प्रदेश खेल (संगमों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) विधेयक 2015 (2015 का विधेयक संख्या 10) को प्रस्तावित करने की सूचना सरकार से दिनांक 6.4.2015 को सायं 8 बज कर 15 मिनट पर प्राप्त हुई । उसके बाद सचिवालय द्वारा विधेयक की सूचना माननीय सदस्यों को बुलेटिन- भाग-2, संख्या-265 द्वारा उसी दिन प्रेषित कर दी गयी थी । विधेयक की मुद्रित प्रतियां सचिवालय में दिनांक 7 अप्रैल 2015 को प्राप्त हुई है, जिसकी प्रतियां माननीय सदस्यों को सूचनार्थ सदन में 10 बज कर 30 मिनट पर रख दी गई थी । विपक्ष के नेता के कक्ष में भी एक प्रति 10 बज कर 45 मिनट पर दे दी गई थी । कल दिनांक 7.4.2015 को सायं विपक्ष के नेता के निजी सचिव को सायं 6 बजे एक प्रति दी और उसके उपरांत कल रात्रि लगभग 8 बजे विपक्ष के नेता के निजी सचिव के आग्रह पर एक प्रति

एसएलएस द्वारा जारी----

08.04.2015/1250/sls-jt-1

अध्यक्ष ...जारी

विपक्ष के नेता के निजी सचिव को सायं 6.00 बजे एक प्रति दी और उसके उपरांत कल रात्रि लगभग 8.00 बजे विपक्ष के नेता के निजी सचिव के आग्रह पर एक प्रति उनके निजी आवास पर दी गई। विधेयक को अल्पवधि में सदन में स्थापित करने की अनुमति मैंने नियमों में ढील देकर दी है जो कि मेरे अधिकार क्षेत्र में है। यह प्रावधान प्रक्रिया नियमों के निर्देश संख्या 23(2) के अंतर्गत प्रभावी है। माननीय विपक्ष के सभी सदस्य कल दिनांक 07 अप्रैल, 2015 को प्रश्नकाल के तुरंत बाद सदन से बहिर्गमन कर गए और वे पुनः सदन में नहीं आए और विधान सभा की कार्यवाही में भाग नहीं लिया क्योंकि उनके दल का विधान सभा घेराव का कार्यक्रम था। वह कागज़ आपको इसलिए नहीं मिला। हमने वह रख लिया है। हमने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखी है। ...(व्यवधान)...

श्री सुरेश भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, आपने जो कहा उसे हम काट नहीं रहे हैं। आपने जो कहा वह बिल्कुल ठीक कहा है कि 06.04.2015 को शाम के 8.00 बजे बिल आपके पास आया, उसके बाद आपने बुलेटिन इसु किया। कल आपने वह सप्लीमैंटरी लिस्ट में यहां पर लगाया। मेरा कहना केवल इतना है कि आज इसको चर्चा के लिए लगा दिया है जबकि अभी दो दिन हमारे पास बाकी हैं। आप इसको कल लगा सकते हैं क्योंकि कल

केवल 3 ही प्रस्ताव हैं, चौथा प्रस्ताव इस बार नहीं लगा है, या फिर आप इसको परसों के लिए रख लें। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है। अगर इसको पढ़कर सारे सदस्य चर्चा करेंगे तो प्रदेश भर में सारी जनता में इस सदन की गरिमा बढ़ेगी कि हम लोग पढ़-लिखकर कोई बात करते हैं और तब बिल को पास करते हैं। केवल मात्र अधिकारियों ने कुछ लिख दिया और हम उसे सदन में ले आएं और वह हमारी आपत्तियों के बावजूद वैसे ही पास हो गया तो मैं समझता हूं कि इससे सदन की गरिमा नहीं बढ़ेगी। हम यह कह रहे हैं कि आप इसको परसों के लिए रख लीजिए या कल के लिए रख लीजिए तो सदस्य इसको पढ़कर फिर चर्चा करेंगे, उसके बाद यह पास होगा। मैजोरिटी इनकी है और ये कभी भी पास कर

08.04.2015/1250/sls-jt-2

सकते हैं क्योंकि जिसकी मैजोरिटी है, वह इस सदन में बिल पास करेगा। इसलिए पास करने में कोई दिक्कत नहीं है। हमारा कहना मात्र यह है कि परसों के लिए रख लें। Why this hurry? इतनी जल्दी करने की आवश्यकता क्यों है। दो दिन में यह बन भी गया, पुरःस्थापित भी हो गया जबकि हमारी कई चर्चाएं लग नहीं रही हैं जिनका नोटिस हमने 10-10 दिन पहले दिया है। 10 तारीख से आगे अगर आप बैठकें बढ़ाना नहीं चाहते हैं और हम नहीं कह रहे हैं कि आप सदन की अवधि बढ़ाइए, लेकिन आप इसे परसों के लिए रखिए। परसों इस पर चर्चा करेंगे या कल रात को आप सदन को 7.00 बजे तक चलाइए और परसों रात को भी 7.00 बजे तक चलाइए, या आगे तक भी चलाइए और तब इसे सदन में रख लीजिए, इसमें हमें कोई ऐतराज़ नहीं होगा।

अध्यक्ष : आप मेरी बात सुनिए। जहां तक मेरा संबंध है, मैंने इस बिल की सूचना आपको कल सुबह दे दी थी और कॉपी आपके टेबल पर रख दी थी जिसे आप नहीं देख सके हैं। अब सरकार जो भी करना चाहेगी, ...(व्यवधान)...

Chief Minister: Speaker, Sir, keeping in view the suggestion made by the Opposition that they have not given time to read it, I request that this may be taken up tomorrow morning.

अध्यक्ष : ठीक है। ...(व्यवधान)...धूमल साहब, आप कहिए।

प्रो० प्रेम कुमार धूमल : अध्यक्ष महोदय, मैं जिस व्यवस्था की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, वह इसलिए कि मैं चाहता हूं कि यह आगे के लिए प्रैसीडैंट न बन जाए। आपने सीट से बैठकर अभी ओब्जर्व किया कि कल आपने मेरे प्राईवेट सैक्रेटरी के कहने पर एक कॉपी भेजी थी।...(व्यवधान)...

मुख्य मंत्री : धूमल साहब, आप बाल की खाल क्यों उतार रहे हैं?

प्रो० प्रेम कुमार धूमल : मुख्य मंत्री महोदय, मैं और बात कर रहा हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि बाल की खाल बार-बार न उतारी जाए।

08.04.2015/1250/sls-jt-3

अध्यक्ष महोदय, पीठ से यह कहना मुझे अच्छा नहीं लगा कि मेरे प्राईवेट सैक्रेटरी द्वारा मांगी गई बिल की कॉपी आपने दे दी। इसका अर्थ क्या यह होता है कि मेरे यहां कॉपी आ गई तो सारे विधायक दल को उसकी सूचना हो जाएगी। मेरा निवेदन यह है कि सचिवालय को इस तरह की...(व्यवधान)...

अध्यक्ष : आप एक मिनट मेरी बात सुन लें।

प्रो० प्रेम कुमार धूमल : अध्यक्ष महोदय, मेरा आब्जैक्शन यही है कि आप हमारी पूरी बात सुनते नहीं और अपना कमैंट पहले दे देते हैं।

अध्यक्ष : मेरे ज़हन में बात आ गई है और मैं उसका जवाब दे रहा हूं।

प्रो० प्रेम कुमार धूमल : मेरी बात तो सुन लीजिए। मेरा आपसे निवेदन है कि सचिवालय को विशेष स्पष्ट निर्देश दे दें ..

जारी ...श्री गर्ग जी

प्रो. प्रेम कुमार धूमल----क्रमागत
मेरा आपसे यह निवेदन है कि आप सचिवालय को स्पष्ट दिशा-निर्देश दे दें कि ये प्रैक्टिस न बना लें कि मेरे पास यदि कोई नोटिस भेज दिया, तो मैं आपके बिहाफ पर सबको नोटिस देता रहूंगा या मैं बिल सर्कुलेट करुंगा। आपने एक कॉपी दी जो मेरे प्राइवेट सैक्रेट्री ने अपने घर मंगाई और सुबह उसने मुझे दे दी और कहा कि यह कॉपी आई थी, मैंने वह देखी। मैं पिछला बिल और नया बिल कम्पेयर कर रहा था। ऐसा पहली बार हुआ, क्योंकि मैं भी इनकी तरह एक विधायक हूं।

अध्यक्ष : अब आप गलत कोट कर रहे हैं मैं आपको इसका जवाब देता हूं। आप बैठ जाइए, मैं आपको बताता हूं।

प्रो. प्रेम कुमार धूमल : अध्यक्ष महोदय, आपने यहां पढ़ा या नहीं पढ़ा?

अध्यक्ष : नहीं जो आप कह रहे हैं मैं उसका जवाब दे रहा हूं।

प्रो. प्रेम कुमार धूमल : पहले हमारी बात तो सुन लिया करें। मेरी बात तो सुन लो आप।
अध्यक्ष : अगर आप सुनना चाहें, तो ठीक है।

प्रो. प्रेम कुमार धूमल : अध्यक्ष महोदय, अगर आपका यही व्यवहार रहा, तो हम आपका डिनर भी वॉयकॉट करेंगे और हम सदन में भी वॉयकॉट करेंगे। हम एक बार तो वॉयकॉट कर चुके हैं। आपका यही ऐटीटियुड बड़ा अजीब रहता है आप किसी को सुनना ही नहीं चाहते।

अध्यक्ष : आप किसी को भी सुनना नहीं चाहते।

प्रो. प्रेम कुमार धूमल : आप ही नहीं सुनते हैं।

अध्यक्ष : आप जो कह रहे हैं आप मेरी बात सुन लीजिए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जब विपक्ष के सदस्य इसी मुद्दे पर आज सदन से बाहर गए, सुबह ये लॉबी में गए, तो वहां से (आपके) माननीय अध्यक्ष के खिलाफ बहुत अश्लील नारे लगाए गए जो हमको मान्य नहीं हैं। आपका किसी चीज में मतभेद हो सकता है, लेकिन आप चेयर के खिलाफ 'बद्तमीजी' से पेश नहीं आ सकते। बाहर जाकर आपने अश्लील नारे लगाए हैं जोकि अमान्य है।------(व्यवधान)----

(विपक्ष के सदस्य अपने-अपने स्थानों पर खड़े हो गए)

अध्यक्ष : आप लोग एक मिनट बैठ जाइए, कृपया बैठ जाइए। यह छोटी सी बात है, कोई ऐसी बात नहीं है। इतने उत्तेजित मत होइए, आप लोग बैठ जाइए। आप लोग बात सुनने का माद्दा रखिए, थोड़ा टॉलरैंस रखिए, बैठ जाइए, मैं कह रहा हूं कि आप
08/04/2015/1255/RG/JT/2

बैठ जाइए, आपके नेता बैठे हुए हैं, आप भी बैठ जाइए। एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। धूमल साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं वस्तुस्थिति बताता हूं। मैं कल रात को अपने घर बैठा था, मुझे सैक्रेट्री का फोन आया कि ----(व्यवधान)----आप मेरी बात सुनिए, आप बात ही नहीं सुनना चाहते। जब आप मेरी बात सुनेंगे, तो आप कनविंस हो जाएंगे। आपके प्राइवेट सैक्रेट्री का फोन मेरे सैक्रेट्री को आया।

डा. राजीव बिन्दल : अध्यक्ष महोदय, ये बातें यहां करने की नहीं होती हैं।

अध्यक्ष : आप मेरी बात तो सुनिए। बात तो सुनिए, मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं किसी निष्कर्ष पर पहुंच रहा हूं।----(व्यवधान)-----आप मेरी बात सुनिए। मैं किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहता हूं, सुनिए। फिर मुझे विधान सभा सचिव का फोन आया कि धूमल साहब को इस बिल की कॉपी नहीं मिली है, मैंने इनको टेलीफोन पर यह कहा कि आप इनको कॉपी वहां भेज दीजिए। ऐसा न हो कि बिल की कॉपी कहीं उनको मिलने से रह जाए। लेकिन क्योंकि हमने कल सुबह 10.30 बजे बिल की कॉपी आपको यहां टेबल पर दे दी थी, हो सकता है कि आपकी कॉपी गुम हो गई हो, इसलिए आपको बिल की कॉपी भेजी। इसमें क्या बात है? यह छोटी सी बात है। जब धूमल साहब के प्राईवेट सैक्रेट्री का फोन आया तब कॉपी भेजी और किसी ने हमें शिकायत नहीं की। आप कहते, तो आपको भी और भेज देते। ऐसा है कि आप में से किसी ने शिकायत नहीं की कि कॉपी नहीं मिली।

श्री रविन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, किसी माननीय सदस्य को कॉपी नहीं मिली है।

अध्यक्ष : ऐसा है कि आप में से किसी ने हमें शिकायत नहीं की कि बिल की कॉपी नहीं मिली। धूमल साहब की शिकायत आई, तो हमने कॉपी दे दी। इसमें क्या हुआ? यह एक छोटी सी बात है, it is not a big thing. अब बात खत्म हो गई, इसको कल के लिए रख लिया।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हमारे लोगों को शिकायत है कि आप इनकी तरफ ही देखते रहते हैं और यहां देखते ही नहीं हैं और इनको आपसे बड़ी शिकायत है कि आप इनकी ही बात मानते हैं, हमारी बात नहीं मानते।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा कि स्पीकर पार्टी से ऊपर उठकर काम करते हैं और कायदे-कानून के मुताबिक काम करते हैं इसलिए स्पीकर की शान के खिलाफ या चेयर के खिलाफ कोई बात करना मैं समझता हूं कि अच्छा नहीं लगता। जो नारे बाहर से सुनाई दिए और हमने भी सुने, आप अध्यक्ष महोदय की

08/04/2015/1255/RG/JT/3

शान के खिलाफ बातें कर रहे थे जो ठीक नहीं है। यह मेरा आपसे अनुरोध है क्योंकि मैं भी अध्यक्ष रह चुका हूं।

एम.एस. द्वारा अध्यक्ष शुरू

08/04/2015/1300/MS/AG/1

अध्यक्षः आप लोग मेरी बात सुन लिया करो।(विपक्ष के माननीय सदस्यों को कहते हुए) आप लोग हरेक चीज को शोरगुल में खत्म करना चाहते हैं।

अध्यक्षः अब बिल नम्बर 10 को अगले कल के लिए रखा है।

संसदीय कार्यमंत्रीः अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो अभी प्रस्ताव किया था, उस पर यह सहमति हुई थी कि इस बिल नम्बर 10 को कल टेकअप किया जाएगा। क्योंकि कल गैर सरकारी सदस्य दिवस है इसलिए कल माननीय सदस्य यह कहेंगे कि इसको टेकअप नहीं किया जा सकता। क्योंकि मान्य सदन की सहमति हुई है इसलिए इसको कल टेकअप किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि "हिमाचल प्रदेश खेल संगमों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 10)" पर विचार दिनांक 9 अप्रैल, 2015 को किया जाए।

अध्यक्षः धूमल जी आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे?

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः अध्यक्ष जी, जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने "बदतमीज़ी" शब्द इस्तेमाल किया है उसको भी एक्सपंज किया जाए। (व्यवधान)

अध्यक्षः कृपया आप बैठ जाया करें। (व्यवधान) बैठ जाइए। भारती जी, आप बैठ जाइए।

तो प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि "हिमाचल प्रदेश खेल संगमों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 10)" पर विचार कल दिनांक 9 अप्रैल, 2015 को किया जाएगा।

तो प्रश्न यह है कि "हिमाचल प्रदेश खेल संगमों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 10)" पर विचार दिनांक 9 अप्रैल, 2015 को किया जाए?

(प्रस्ताव स्वीकार)

08/04/2015/1300/MS/AG/2

अब इस मान्य सदन की बैठक दोपहर के भोजन के लिए 2.00 बजे अपराह्न तक स्थगित की जाती है।

08.04.2015/1400/जेके/एजी/1

अध्यक्षः अब शहरी विकास मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना(संशोधन) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 8) पर विचार किया जाए।

शहरी विकास मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना(संशोधन) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 8) पर विचार किया जाए।

श्री एस.एस. द्वारा जारी----

08.04.2015/1405/SS-AG/1

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना(संशोधन) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 8) पर विचार किया जाए। श्री सुरेश भारद्वाज जी।

श्री सुरेश भारद्वाजः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी पिछले दो साल से बड़ी कोशिश कर रहे थे, जिसमें इन्होंने एक अध्यादेश भी लाया और कुछ दिन तक वह अध्यादेश लागू भी रहा। फिर अध्यादेश को विदड्रा कर दिया। इस हाउस में बिल लाया गया। बिल सिलैक्ट कमेटी को भेजा गया। माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में डिटेल में चर्चा हुई, उसके बाद वह बिल शायद कहीं अंधेरे बस्ते में इन्होंने बंद कर दिया। वास्तव में ये जो हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना(संशोधन) विधेयक था, सारा हिमाचल प्रदेश एक्सपैक्ट कर रहा था कि जो हमारे मकान बने हुए हैं उनकी रेगुलराइजेशन की दृष्टि से जिसको रिटेंशन पॉलिसी के नाम से आम जनता में जाना जाता है उसके लिए कानून में संशोधन करने का बिल माननीय मंत्री जी इस बार लायेंगे। बार-बार इसकी चर्चा मीडिया में भी होती रही और सरकार के द्वारा भी इस प्रकार की बातें बाहर आती रहीं। लेकिन जो बिल आज लाए हैं नगर और ग्राम योजना(संशोधन) विधेयक, 2015 इसमें उसकी चर्चा ही नहीं है। वह सारा चैप्टर ही कहीं गायब कर दिया है। अब क्यों किया है यह तो माननीय मंत्री जी और सरकार को ही मालूम होगा और जो आज संशोधन करने

के लिए विधेयक लाए हैं ये अब उन्हीं चीज़ों को दोबारा से ऐड करना चाहते हैं जिसके बारे में ये पिछली बार डिमांड करते थे कि हिमाचल प्रदेश में अपार्टमैंट ऐक्ट को रिपील कर दिया जाना चाहिए। उस समय इन्हीं की मांगों पर एक कमेटी बनी थी। कमेटी मेरी ही अध्यक्षता में थी और उसमें आज के जो इनके कांग्रेस कमेटी के प्रधान हैं माननीय सुखविन्द्र सिंह सुक्खू जी, वे भी इस सदन के सदस्य थे और उस कमेटी के मेम्बर थे। बिल्कुल पूरी तरह से छानबीन करके, नीचे क्षेत्र में जा करके अपार्टमैंटस/कॉलोनीज़ के निरीक्षण किये गए और उसके बाद रिक्मेंडेशन दी गई कि कुछ प्रोविजन्ज़ जिनकी ज़रूरत है उनको टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ऐक्ट में डाल दिया जाए तथा बाकी यहां पर अपार्टमैंट ऐक्ट की आवश्यकता नहीं है इसलिए उसको रिपील कर दिया जाए। वह

08.04.2015/1405/SS-AG/2

रिपील भी कर दिया है। अब फिर से अपार्टमैंट ऐक्ट के उसी तरह के प्रोविजन्ज़ को इसमें ला रहे हैं। केवल मात्र बड़े-बड़े बिल्डर्ज़/कॉलोनाइर्ज़ के लिए बिल आया है, हिमाचल प्रदेश की आम जनता का इससे कोई लेना-देना नहीं है। एक इन्होंने बी0पी0एल0 फैमिलीज़ के लिए प्रोविजन रखा था कि कॉलोनाइर्ज़/डिवैल्पर्ज़ को उनके लिए मकान बनाकर देने पड़ेंगे। अब उनको नहीं दिए जा रहे हैं। ये वह भी प्रोविजन हटा रहे हैं। लैंड यूज़ चेंज करने का तीन साल का प्रोविजन था, उसको बढ़ाकर बड़े-बड़े कॉलोनाइर्ज़ के कहने पर पांच साल कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि यह पूरे प्रदेश को इफैक्ट करने वाला बिल है। जब बिल पहले आया था तो उस समय कमेटी में बहुत सीनियर मेम्बर थे। इसी सदन की सदस्य, श्रीमती आशा कुमारी जी, माननीय महेश्वर सिंह जी, ये सब उसमें सदस्य थे। उसमें सारे प्रोविजन्ज़ पर चर्चा हुई थी लेकिन वह सारा-का-सारा गायब हो गया है और इसमें नये प्रोविजन्ज़ ले आए हैं और सीधा कानून लाए हैं।

जारी श्रीमती के0एस0

08.04.2015/1410/केएस/एजी/1

श्री सुरेश भारद्वाज जारी---
मेरा निवेदन इसमें यह है कि इस बिल को प्रवर समिति को भेज दिया जाए। नई प्रवर समिति बनाई जाए जिसमें सारी चर्चा करने के बाद पूरे प्रोविजन्ज़, क्योंकि हिमाचल

प्रदेश के सभी शहरों में चाहे शिमला है, चाहे धर्मशाला है, बाकी सब जगह पर है, वहां पर कुछ मकान आम जनता ने, कर्मचारियों ने व दूसरे लोगों ने बना रखे हैं। जिन्होंने छोटे-छोटे मकान लोन ले कर बनाए हैं, सैट बैक्स के कारण उनकी रैगुलराइजेशन नहीं हो रही है। कहीं पर लोगों ने जिस समय बनाए थे, उस समय उन्होंने सोचा था कि टाऊन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट यहां पर नहीं लगता है, इसलिए मकान बना दिए। आज जहां टाऊन एण्ड कंट्री प्लानिंग एक्ट नहीं लगता है, वहां पर तो सात मंजिला बिल्डिंग बन जाती है और जहां पर नोटिफिकेशन इश्यू हो जाती है, वहां पर आप उनको बनाने नहीं देते हैं। इसमें यह समस्या आ रही है कि जो कानून को बनाने वाले हैं, हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा इरैगुलर बिल्डिंग अगर बनी है तो वह हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की बिल्डिंग बनी है। इन सारी चीजों के बारे में इकट्ठा होकर एक बार चर्चा करेंगें और चर्चा के बाद उसके ऊपर एक कॉम्प्रीहैंसिव बिल सदन में आएगा, तो मैं समझता हूं कि वह ज्यादा उपयोगी होगा इसलिए मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है, माननीय सरकार से भी निवेदन है कि एक प्रवर समिति बनाएं, प्रवर समिति को इसको भेजा जाए और थ्रैडवेयर इस पर चर्चा की जाए और चर्चा करने के बाद वह बिल यहां पर आएगा उस पर फिर से यह सदन चर्चा कर सकता है । क्योंकि मैज़ोरिटी तो आपकी है, जब चाहे आप इसे पास कर सकते हैं,

08.04.2015/1410/केएस/एजी/2

उसमें हम तो अपनी बात ही कर सकते हैं अन्यथा पास तो आपको ही करना है लेकिन मैं समझता हूं कि आपके भी हक में यही होगा कि यह बात सारे हिमाचल में न जाएं कि गरीबों की हक की बात को आपने छोड़ दिया और जो बड़े-बड़े कॉलोनाइजर्ज़ जो हैं, हिमाचल के बाहर के लोग ज्यादातर यहां पर आते हैं और बड़ी-बड़ी बिल्डिंग, बड़े-बड़े अपार्टमैंट्स बना रहे हैं और अपार्टमैंट्स बाहर के लोगों को बेचे जा रहे हैं। एक किस्म से एक्ट 118 का भी वॉयलेशन होता है । उससे सरकार की इमेज़ भी आम जनता में कोई बहुत अच्छी नहीं जाएगी क्योंकि जनता तो बाहर से देखती है। वह एक-एक प्रोविज़न नहीं देखती कि आपने किसके लिए किया है, किसके लिए नहीं किया है। लेकिन यह बिल कॉलोनाइजर्ज़ और डवैल्पर्ज़ के लिए लाया गया है जिसका हम विरोध करते हैं और मैं समझता हूं कि अगर इसको प्रवर समिति को भेजा जाएगा तो निश्चित रूप से वहां पर थ्रैडवेयर चर्चा होने के बाद दोबारा इसको लाया जाएगा तो इस पर सदन

विचार करके पारित कर सकता है । मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि इसको प्रवर समिति को भेजने बारे विचार करें तो ज्यादा उपयुक्त होगा।

08.04.2015/1410/केएस/एजी/3

श्री महेश्वर सिंहः अध्यक्ष महोदय, टाऊन एण्ड कंट्री प्लानिंग एक्ट के संशोधन को लेकर जो मंत्री महोदय ने माननीय सदन में प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उस संदर्भ में बोलने के लिए खड़ा हूं। सर्वप्रथम मैं आपके माध्यम से जो विधेयक का उद्देश्य है उसकी ओर ध्यान आकर्षित करवाना चाहूंगा। जैसा अभी माननीय सुरेश भारद्वाज जी ने कहा, 2005 तक एक अलग से इसके लिए विधेयक था और उस समय उसका समावेश टाऊन एण्ड कंट्री प्लान एक्ट में करने के लिए 2013 में उन सभी बातों का समावेश इसमें कर दिया गया और अब सरकार को लगा कि उसको इम्पलीमैंट करने में कुछ कठिनाइयां आ रही है इसलिए उसमें कुछ और प्रावधान किए जाए। इसमें दो-तीन चीजों को बदलने की बात कही है कि जो यह अपार्टमैंट एवं प्रॉपर्टी रैगुलेशन एक्ट था इसका समावेश तो कर दिया, यह रिपील हो गया और अब क्या दिक्कतें आ रही है इसमें उसका उल्लेख किया गया है कि अपार्टमैंट और कॉलोनी शब्द का आपने इसमें समावेश करना है। दूसरा, विक्रय के परियोजन के लिए विशेष क्षेत्र के बाहर शब्द के पश्चात् विक्रय के परियोजन को एड किया जाए। कुल मिलाकर यह विधेयक ऐसे लोगों के लिए लाया गया जो कि इस प्रकार का बिजनैस करते हैं।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

8.4.2015/1415/jt/av/1

श्री महेश्वर सिंह जारी----------
यह विधेयक ऐसे लोगों के लिए लाया गया है जो कि इस प्रकार का बिजनैस करते हैं। साथ में, जो निजी क्षेत्र में युनिवर्सिटी खुली हैं, कोई मैडिकल कॉलेज खुले हैं या हाइड्रो प्रोजैक्ट्स हैं; उनके हितों का भी ध्यान रखा गया है। ऐसी स्थिति में हम तो सचमुच में उस बात का इंतजार कर रहे थे कि आपने रिटैंशन पॉलिसी जो सिलैक्ट कमेटी को भेजी थी उसका कहीं-न-कहीं समाधान होगा और उस पर भी चर्चा होगी। यह विधेयक कुल मिलाकर सरकार की आय में वृद्धि करेगा और उन लोगों को सुविधा मिलेगी जो अभी तक वर्णित किए हैं। इसमें दूसरे लोगों का कोई लेना-देना नहीं है। अध्यक्ष महोदय,

आज सारे प्रदेश में किस प्रकार की स्थिति है मैं उन बातों को कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं।

आपका जो मूल ऐक्ट है उसके अंतर्गत हर जगह भिन्नता है। लोग मारे-मारे फिर रहे हैं। यहां तक कि नक्शा पास करने के लिए एक ही प्रदेश में दो प्रकार का कानून है। कुछ शहरों में तो टाऊन एण्ड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमैंट का प्रतिनिधि नगर परिषद या नगर पंचायत में आकर बैठता है। अर्थात एक छत के नीचे ही नक्शा पास हो जाता है। मगर कुछ नगर पंचायतें और नगर परिषदें इस प्रकार की भी हैं जहां ऐसा प्रावधान नहीं है। यहां पर संजय रतन जी बैठे हैं, ये मेरी बात से सहमत होंगे क्योंकि इनका ससुराल भी भूंतर में है। लोग परेशान हैं, अपने नक्शे को पास करवाने के लिए कहां जाएं। वे एक दौड़ नगर परिषद की लगाते हैं मगर वहां कहा जाता है कि यह काम तो टाऊन एण्ड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमैंट का है। वहां जाओ तो वे कहते हैं कि नहीं, यह उनका काम है। अन्तोगत्वा, लोगों ने तंग होकर मकान बना लिए। अब जब बना दिए तो बिजली और पानी का कुनैक्शन लेने में फंस गये। जब तक टाऊन एण्ड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमैंट से एन.ओ.सी. नहीं मिलेगा वे लटके रहेंगे। हमने सोचा उनका भी समाधान हो जायेगा। कुल्लू में अखाड़ा बाजार एक बहुत पुराना बाजार है, वहां पर एच.एफ.एल. लगा दिया। अब नदी से सौ मीटर तक कहीं भी कोई मकान कनस्ट्रक्ट नहीं हो सकता। वहां जो पुराने मकान बनाये हैं उनको

8.4.2015/1415/jt/av/2

रिपेयर करना मुश्किल है। लोग लटके हुए हैं। अगर आपने कुल्लू शहर देखा होगा, नहीं तो माननीय संजय रतन जी बता देंगे कि वहां पर कब्रिस्तान भी सौ मीटर से अंदर है। इसका अर्थ यह हुआ कि अखाड़ा बाजार में कोई काम ही नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त मैं यह कहना चाहूंगा कि यहां पर एक माननीय सदस्य ने बद्दी में सैट बेक के बारे में प्रश्न पूछा था कि क्या आप चंडीगढ़ की भान्ति बद्दी के लिए भी प्रावधान करेंगे जो साइड में दो-दो मीटर जगह छोड़नी है। उसकी आवश्यकता नहीं है। तीन आगे, तीन पीछे; उसको हम स्वीकार करते हैं। उसमें कहा गया कि ऐसा कोई मामला विचाराधीन नहीं है। अब क्यों नहीं है, न जाने क्यों नहीं है? अगर जगह कम है और कनस्ट्रक्शन करनी है तो इस चीज का तो प्रावधान करना चाहिए। यह चंडीगढ़ में है। वहां है तो बद्दी में क्यों नहीं, बाकी जगह क्यों नहीं? फिर मंजिलें कितनी हो; इस बारे में भी मामला

लटका हुआ है। कहीं तीन है, कहीं चार है और कहीं पांच है। क्या हम इसमें समता नहीं ला सकते? एक बात बड़ी स्पष्ट है। मण्डी जैसा शहर इतना कनजस्टिड है कि जब तीन या दो बेटे हो गये तो वहां इधर-उधर तो बढ़ने को जगह है नहीं । अगर उसके ऊपर मंजिल उठाते हैं तो विभाग को क्या कष्ट है? मेरी समझ में यह बात नहीं आई, अगर उसके ऊपर मंजिल नहीं बनायेगा तो क्या बेटे को घर से निकालकर बर्खास्त करेगा या कहीं जगह खरीदेगा? इसलिए इस बात पर विचार करना चाहिए कि इनका किस प्रकार से समावेश हो। मेरा केवल इतना निवेदन है कि आप इस पर जितनी जल्दी विचार करेंगे वह जनहित में होगा। केवल बड़े लोगों के लिए कोई बात लायेंगे तो उसको लेकर आलोचना होगी। लोग बड़ी आशाओं और आकांक्षाओं से देख रहे हैं कि जिस रिटैंशन पॉलिसी पर इतनी मेहनत हुई आखिर उसका परिणाम क्या निकला? उसमें सारी चर्चा हो गई, सरकार को चला गया। ऑर्डिनैंस जारी हुआ, ऑर्डिनैंस वापिस लिया। ऑर्डिनैंस वापिस लेने के बाद फिर रूल्ज में परिवर्तन किया। तो जो इस प्रकार के लोग थे---------

श्री बी जे द्वारा जारी

08.04.2015/1420/negi/jt/1.

श्री महेश्वर सिंह.. जारी...

जो इस प्रकार के लोग थे, वे तो सारे लाभान्वित हो गए, अब उनको रिटैंशन पॉलिसी से लेना-देना कुछ नही है। फंसे कौन? छोटे लोग और स्थानीय लोग। इससे पहले कि मेरी वह कहावत चरिताथ हो जाए, मैं आशा ही नही बल्कि पूरा विश्वास रखूंगा कि अब बचे जो लोग हैं उनके पास कोई चारा नही है, अगर वह भूमि के मालिक है तो उसपर विचार करना चाहिए कि किस प्रकार से रेगुलराइज़ किए जाएंगे अन्यथा लोग वही कहेंगेः-

तीन बुलाए, तेरह आए, देखों यहां की रीत1
बाहर के आकर मौज कर गए, घर के गाए गीत।

ऐसा न हो जाए । इसलिए जो यहां बात भी आई है, क्यों न इन दोनों पर इकट्ठा विचार किया जाए ताकि बेलेन्स हो जाए और सरकार की आलोचना न हो। इन्हीं शब्दों के साथ, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आपका आभार व्यक्त करता हूं।

समाप्त

08.04.2015/1420/negi/jt/2

अध्यक्षः श्री राम कुमार जी आप संक्षेप में बोलें।

श्री राम कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, जैसा अभी श्री महेश्वर सिह जी ने भी बताया और मेरा प्रश्न भी था कि चण्डीगढ़ की तर्ज़ पर बद्दी में भी केवल आगे और पीछे सैटबेक छोड़े जाएं। तो माननीय मंत्री जी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में वह कानून लागू नही हो सकता। पूरे हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक परिस्थिति से बद्दी की भौगोलिक स्थिति भिन्न है। वहां प्लेन एरिया को देखते हुए मेरा माननीय मंत्री जी और सरकार से अनुरोध रहेगा कि वहां पर भी चण्डीगढ़ के तर्ज़ पर सैटबेक आगे और पीछे ही छोड़े जाएं ताकि जो छोटे जगह वाले लोग हैं, जिनके पास 150 गज का प्लॉट है, अगर वे चारों तरफ सैटबेक छोड़ते हैं तो कंस्ट्रक्शन करने के लिए उनके पास बहुत कम जगह बचती है। यही मेरा कहना था, धन्यवाद।

समाप्त

08.04.2015/1420/negi/jt/3

अध्यक्षः माननीय शहरी विकास मंत्री जी।

शहरी विकास मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने यहां पर चिन्ता जताई है। यह ठीक कहा श्री सुरेश भारद्वाज़ जी और श्री महेश्वर सिंह जी ने कि जब पहले यह बिल संशोधन के लिए लाया गया था तो उस समय यह बिल सिलेक्ट कमेटी को गया था। लेकिन सिलेक्ट कमेटी में जब चर्चा हुई तो जो सेक्शन-30(b) है उसके ऊपर सभी जो माननीय सदस्य थे उनके सुझाव आए। उसमें मेनली जो रिटैंशन पॉलिसी थी उसके लिए रिकमैंडेशन उस समय सिलेक्ट कमेटी की आई। उन रिकमैंडेशन्ज़ को देखते हुए 6.9.2014 को आर्डिनेंस आया और आर्डिनेंस आने के बाद एक मीटिंग 10.9.2014 को हुई। जो अलग-अलग स्टेक होल्डर्ज़ थे टी.सी.पी. डिपार्टमैन्ट की, उसमें यह पाया गया कि जो मंशा सिलेक्ट कमेटी की थी कि प्रदेश के अधिकांश लोगों को, क्योंकि यह बड़े लम्बे समय से मांग है कि उनको लाभ मिले, वे लोग कवर नही हो पा रहे थे। जिस तरह श्री महेश्वर सिह जी ने कहा कि एच.एफ.एल. में कुल्लू का पूरा

आखाडा बाजार आता है। 100 मीटर रिवर के सेन्टर से दोनों तरफ को वह लगता है। ऐसे ही मण्डी की बात आपने की, शिमला की परिस्थिति ऐसी है, मेरा अपना चुनाव क्षेत्र धर्मशाला है, वहां भी रिटैंशन पॉलिसी की बहुत मांग है। लेकिन जो सुझाव आए और उसके बाद जब निविदाएं मांगी गई उसमें बहुत कम लोगों की फी स्ट्रक्चर के ऊपर आपत्तियां थी और ज्यादा लोग इससे लाभान्वित नही हो पा रहे थे। क्योंकि इसमें हमारा जो मेन कंसर्न सिलेक्ट कमेटी का था और जो सरकार की मन्शा थी उसमें यह था कि अगर एक बार ऐक्ट में अमेंडमैन्ट आ रही है तो पूरे प्रदेश में जहां थोड़े से ले करके बड़ी डेविएशन्ज़ सभी जगह पर हैं वह अटैंड उसमें हो जाए । एक बार यह सारा मसला सैटल हो जाए क्योंकि इससे पहले भी वन टाईम सैटलमैन्ट पॉलिसी आती रही। 6 बार वह आई। उसके बाद हाईकोर्ट का निर्णय आया कि अब पॉलिसी नही लाएंगे। तो हमने यह प्रस्ताव किया कि हम ऐक्ट में अमेंडमैन्ट लाते हैं। उसको देखते हुए हमने दोबारा से जो आपके सुझाव थे उनको भी ध्यान में रख कर और जो स्टेक होल्डर्ज़ हैं जो उनके सुझाव थे उनको ध्यान में रख कर उसको दोबारा से अलग करके लॉ को भेजा हुआ है। लॉ के

08.04.2015/1420/negi/jt/4

पास वह है और जब वह वहां से वापिस आ जाएगा तो दोबारा वह सिलेक्ट कमेटी को रैफर होगा और उसके बाद इस मान्य सदन से वह पास होगा। जहां तक आपने यह कहा कि अभी हम यह जो अमेंडमैन्ट्स लाए हैं यह सिर्फ बिल्डर्ज़ के लिए लाया है, ऐसा नही है। इससे पहले 2009 में ....

श्रीमती यू.के.द्वारा जारी...

08.04.2015/1425/यूके/जेटी/ 1

शहरी विकास मंत्री---जारी-----

इसलिए 2009 में एक सिलैक्ट कमेटी बनी थी, माननीय श्री सुरेश भारद्वाज जी की अध्यक्षता में । उनकी 13 सिफारिशें थीं उन 13 सिफारिशों में से भी जो कुछेक थीं वह इलेबोरेट नहीं की गयीं थी, उसमें कुछ लोग छूट गए थे। जिस तरह से उसमें यह था

कि एक व्यक्ति प्लानिंग एरिया में 8 ही नम्बर के यूनिट्स बना सकेगा, चाहे वह हिमाचली है । तो उसमें हमने यह किया है कि अगर वह हिमाचली है और अपने लिए बना रहा है । तो अगर वह प्रदेश के किसी दूसरे हिस्से में अपने लिए बनाना चाह रहा है तो उसको इसमें एक तो रिलैक्स किया है । दूसरे जो कॉलोनी की परिभाषा थी, उसमें यह था कि कॉलोनी में प्लॉटिड एरिया ही होगा, उसमें अपार्टमैंट्स कवर्ड नहीं थे । उसमें आपके जो कॉटेजिज़ बनते हैं, वह भी कवर्ड नहीं थे । तो उनको भी इस ऐक्ट के अधीन लाया गया है । तीसरा आपने कहा कि आपने बोनाफाईड हिमाचलीज़ और वीकर सैक्शन के हितों को इसमें ध्यान में नहीं रखा । ऐसा नहीं है । पहले जो हमारा मेन ऐक्ट था उसमें यह प्रावधान था कि 25% रिज़र्वेशन बोनाफाईड हिमाचली, EWS और लो इन्कम ग्रुप हाऊसिज़ के लिए रखी जाए । अर्थात् तीनों को आपने 25% में डाल दिया था । मतलब 8.33 either of them उसको बदल कर हमने यह प्रोपोज़ किया है और मेनडेटरी कर दिया है कि जो बोनाफाईड हिमाचली होगा उसको 15% देना ही होगा । दूसरा 10% EWS और LIGH को देना होगा और यदि आप 5 हजार स्क्वेयर मीटर और उससे ऊपर 30 हजार स्क्वेयर मीटर तक बना रहे हैं । तो उसमें आपको जो अधिकतर छोटे हिमाचली बिल्डर्स ही बना रहे हैं और इसमें EWS और LIGH को नहीं दे सकते हैं । तो वह शैल्टर फीस विभाग को जमा करवाएंगे और विभाग प्रदेश में कहीं भी ऐसे वर्गों के लिए उस धनराशि से उनके लिए आवास बनाएगा । जहां तक इसमें यह है कि जो पहले बिल्डर्स होते थे, इनके ऊपर कोई भी ऐक्शन प्रस्तावित नहीं था । उसमें हमने उनको पैनेलाईज़ करने का प्रोवीज़न रखा है और जो अनॉथोराईज्ड कॉलोनी यदि आ जाएंगी तो उनको भी उसमें 3 साल की सजा और कम से कम 5 हजार का जुर्माना होगा, अगर वे वॉयलेशन करते हैं । इसमें सर्विस प्रोवाईडिंग अथॉरिटी को जैसे HPSEB या IPH है उनको यह पॉवर्स भी दी गयी हैं कि वे उनका कनैक्शन काट सके, जो अभी तक नहीं था । इसका भी इसमें प्रावधान किया गया है । एक प्रावधान इसमें और किया गया है कि जैसे आपने कहा कि आप इनको लाईसैंस देते हैं या इनकी रजिस्ट्रेशन

08.04.2015/1425/यूके/जेटी/2

करते हैं, वह पहले 3 वर्ष के लिए करते थे, उसको अब 5 वर्ष कर रहे हैं । 5 वर्ष में इस प्रदेश में कोई भी प्रोजेक्ट बन कर के तैयार नहीं होता । हमारे जो पड़ौसी प्रदेश हैं या देश के अन्य राज्यों में भी अभी तक 5 वर्ष का ही समय है । हालांकि हमारी

ज्योग्राफिकल और क्लाईमेटिकल कंडिशन उनसे ज्यादा टफ है । तो इसलिए इसको 5 वर्ष किया है ।

दूसरा, जो आपने कहा कि बोनाफाईड हिमाचली और वीकर सैक्शन और LIGH के लिए आपने परसंटेज घटा दी । मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने जो प्रस्तावित की है यह देश में सबसे ज्यादा है । इसलिए मेरा निवेदन रहेगा, जिस तरह से मैने आपको आश्वासन दिया है कि जो आपकी मंशा है और सरकार की भी मंशा है जहां तक रिटेंशन का पार्ट है तो लॉ-डिपार्टमैंट से जैसे ही वैट हो कर आता है, वापिव सिलैक्ट कमेटी को जायेगा । उसके ऊपर आपके सुझाव होंगे उनको देखते हुए हम उनको इस प्रदेश में लागू करेंगे । मेरा आग्रह रहेगा कि जो ये अमैंडमैंट्स आई हैं, उनको पारित करने में आप अपना सहयोग दें ।

श्री सुरेश भारद्वाजः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि बाकी अमैंडमैंट्स जो सिलैक्ट कमेटी ने रैफर किया था उन्हें ये प्रॉपरली दोबारा लाएंगे । जो प्रोवीजन इन्होंने यहां पर किया है, जिसके बारे में इन्होंने बताया है कि एक बोनाफाईड हिमाचली को 5 हजार स्क्वेयर मीटर से 20 हजार स्क्वेयर मीटर के बीच में उसका एरिया है, तो या तो उनको प्लाट्स देंगे या बना कर के देंगे ।

एसएलएस द्वारा जारी---

08.04.2015/1430/sls-ag-1

श्री सुरेश भारद्वाज...जारी

या बनाकर देंगे अथवा 15 प्रतिशत् इसकी शैल्टर फी लेंगे। आपके ऑब्जैक्ट्स एंड रीजन्ज में यही है कि आप उसे बनाएंगे और फिर उसे गरीबों को बांटेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि एक तो आप शहरी विकास मंत्री हैं, जे.एन.एन.यू.आर.एम. अर्बन डवलपमैंट डिपार्टमैंट के अधीन इनकी स्कीम है, उसके अंतर्गत ही, जैसे शिमला में आशियाना नाम से डवैलिंग यूनिट्स बने हैं और वह गरीब लोगों को देने हैं, उनसे 2.50-2.50 लाख रुपया म्यूनिसिपल कार्पोरेशन मांग रही है कि तभी यह आपको अलॉट होंगे। जिस गरीब आदमी के पास देने के लिए 2.50 लाख रुपया होगा, वह तो गरीब नहीं रहेगा। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इस पैसे को, जिसे आप शैल्टर फी के रूप में एकत्र करेंगे, जो इनके पास कोलोनाईज़र्ज़ और डवलपर्ज़ ने जमा करवाना है, वह पैसा ऐसे लोगों के आशियाना के लिए देंगे या उनको हिमुडा के थ्रू

मकान बनाएंगे? उसकी इनवैस्टमैंट इन लोगों के मकान बनाने के लिए किस प्रकार से होगी? दूसरे, जो कालोनीज यहां बन रही है उनके लिए सारे के सारे डवलपर्ज़ बाहर से आते हैं। जैसे हमारे माननीय सदस्य सतपाल जी बता रहे थे कि इनके निर्वाचन क्षेत्र में बहुत-सी कालोनीज बन रही हैं। वह आगे कालोनीज बना देते हैं और पीछे जो किसी किसान की ज़मीन होती है, उसके लिए वह रास्ता नहीं छोड़ते। बाद में उस पर दवाब डालते हैं कि इस ज़मीन को सस्ते भाव में दे दिया जाए। हमारे लैंड रैवन्यू एक्ट में जो धारा 118 को प्रोविजन है, उसको बाईपास करने के लिए सारे कोलोनाईज़र्ज और डवलपर्ज़ हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं जबकि हिमाचल प्रदेश में उनकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। शिमला में इनकी जितनी कालोनीज बनी हैं, वे गर्मियों में यहां आते हैं और म्यूनिसिपल कमेटी जो कूड़ा उठाने का पैसा लेती है, वह पैसा भी नहीं देते। अपना सारा कूड़ा यहां फैंक जाते हैं और कोई टैक्स नहीं देते। जो एक्ट डॉ० वाई०एस० परमार ने बनाया था जिसमें प्रोविजन किया था कि हिमाचल प्रदेश के गरीब किसानों की छोटी-छोटी होल्डिंग्ज हैं, उसको अगर धारा 118 के तहत रोका नहीं गया और लोग बाहर से आकर उसको खरीदने

08.04.2015/1430/sls-ag-2

लगें, तो ठीक नहीं होगा। वह एक बार पैसा दे देंगे; पैसा खर्च हो जाएगा और फिर वह आदमी बर्बाद हो जाता है। इस भावना को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के कोलोनाईजर्ज़ और डवलपर्ज़ पर रोक लगाने की व्यवस्था होनी चाहिए न कि उनको और ज्यादा सुविधाएं देने की बात होनी चाहिए। आपने उनका पीरियड़ भी 3 साल से 5 साल कर दिया। वह शैल्टर फी के रूप में पैसा तो दे देंगे क्योंकि वह बनाकर तो किसी को नहीं देंगे बल्कि बड़ी कीमत में बेचेंगे। इसका प्रोविजन इसमें नहीं है कि वह किस आधार पर शैल्टर फी देंगे। वह अपने अपार्टमैंट के 10% की इवैल्युएशन किस प्रकार से करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं समझता हूं कि इस एक्ट को भी प्रवर समिति को भेज दें और वहां पर सारी चर्चा हो। वह प्रवर समिति माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में ही बनती है। उसमें जो भी सदस्य होंगे, वह वहां पर चर्चा कर सकते हैं और चर्चा के आधार पर उसको बनाएं। इस तरह से ये प्रदेश को ज्यादा अच्छा कानून दे सकेंगे। आप बहुत अच्छे मीनिस्टर है, स्मार्ट मीनिस्टर हैं, सबकी बात सुनकर काम

करते हैं इसलिए इस विषय में भी आप हिमाचल प्रदेश की आम गरीब जनता का ध्यान रखें।

शहरी विकास मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा कि जो शैल्टर फी होगी, वह 15% होगी। वह 15% नहीं होगी बल्कि 15% उसमें आरक्षण है। यह 15+10=25 है और the amount of investment, जो आदमी कर रहा है, उसको विभाग देखेगा और उसके ऊपर निर्धारित करेगा। इसको हम आगे रूल्ज में प्रैसक्राईब करेंगे और जो यह पैसा आएगा यह ई.डब्ल्यू.एस. और एल.आई.जी.एच. पर ही खर्च होगा। दूसरे आपने कहा कि इस प्रकार की गई कालोनीज बन जाती हैं और वह लोग उसमें वॉयलेशन करते हैं। जहां भी इस प्रकार की कंस्ट्रक्शन्ज होती हैं, वह आप जानते हैं, आप की ही अध्यक्षता में कमेटी बनी थी, वह डीम्ड अर्बन एरिया हो जाता है, उसमें टी.पी.सी. एक्ट लग जाता है और उसमें प्रॉपर सैटबैक

08.04.2015/1430/sls-ag-3

और रास्तों का ध्यान रखना पड़ता है। धारा 118 की जो अनुमति है, जब कोई डवलपर लैंड परचेज करता है, प्रोजैक्ट को कंसीव करता है, तब लेता है। दूसरी बार, जब वह इनडिविजुअल प्लॉट्स, अपार्टमैंट्स या कॉटेजिज की आगे रजिस्ट्रेशन करता है..

जारी ...श्री गर्ग जी

08/04/2015/1435/RG/JT/1

शहरी विकास मंत्री------क्रमागत

इन्डिविजुअल्ज फ्लोर्ज, अपार्टमेंट्स या कॉटेजिज की अगर वह रजिस्ट्रेशन करता है, यदि उसमें दुबारा 118 अट्रैक्ट होता है, तो दुबारा उसको 118 की परमीशन लेनी पड़ती है। तो इसमें 118 का कहीं भी वॉयोलेशन नहीं हो रहा है। लेकिन माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है कि जो शैल्टर फी के माध्यम से पैसा आएगा, इसको ऐसे लोग जिनके लिए मकान बनने थे और उनको नहीं मिल पाए और उनकी कॉस्टिंग बहुत ऊपर चली गई है, चाहे वह सोलन, शिमला, बद्दी या धर्मशाला था, ये चार प्रस्तावित थे, तो निःसंदेह सरकार उसमें इसको कंसीडर करेगी।

अध्यक्ष : अब माननीय शहरी विकास मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि 'हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 8)' पर विचार किया जाए।

शहरी विकास मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि 'हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 8)' पर विचार किया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि कि 'हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 8)' पर विचार किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि 'हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 8)' पर विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार

अब बिल पर खण्डशः विचार होगा।

इसमें खण्ड 12 पर माननीय शहरी विकास मंत्री जी की ओर से संशोधन प्राप्त हुए है क्या वे इसे प्रस्तुत करना चाहेंगे?

शहरी विकास मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से 'हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 8)' के खण्ड 12 पर संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं जो इस प्रकार है :-

क्रमांक पृष्ठ खण्ड उपखण्ड पंक्तियां प्रस्तावित संशोधन

1 5 12 (ग) 7 "या इससे" शब्दों के स्थान पर "से" शब्द रखा जाएगा।

2 5 12 (ग) 15 "(9)" चिन्हों और अंक के स्थान पर "(8-क)"

चिन्ह अंग और शब्द रखे जाएंगे।

3 5 12 (ग) 21 "(10) चिन्हों और अंकों के स्थान पर "(8-ख)" चिन्ह, अंक और शब्द रखे जाएंगे।

अध्यक्ष : सरकार की ओर से जो संशोधन आया है यह विचार हेतु प्रस्तुत है। क्या माननीय सदस्य इस पर कुछ बोलना चाहेंगे?

08/04/2015/1435/RG/JT/2

सदस्यगण : जी नहीं।

अध्यक्ष : तो प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 11 व 13 से 18 तक विधेयक का अंग बने?

प्रस्ताव स्वीकार

खण्ड 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 विधेयक का अंग बने।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने?

प्रस्ताव स्वीकार

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

अब माननीय शहरी विकास मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि कि 'हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 8)' को संशोधित रूप में पारित किया जाए।

शहरी विकास मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि 'हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 8)' को संशोधित रूप में पारित किया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि 'हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 8)' को संशोधित रूप में पारित किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि 'हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 8)' को संशोधित रूप में पारित किया जाए?

प्रस्ताव स्वीकार

हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधित) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 8)" संशोधित रूप में पारित हुआ।

08/04/2015/1435/RG/JT/3

अब माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि 'हिमाचल प्रदेश पंचायती राज संशोधन विधेयक 2015 (2015 का विधेयक का संख्यांक 9)' पर विचार किया जाए।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि 'हिमाचल प्रदेश पंचायती राज संशोधन विधेयक 2015 (2015 का विधेयक का संख्यांक 9)' पर विचार किया जाए।

अध्यक्ष : इस पर कोई बोलना चाहते हैं। हां, श्री जय राम ठाकुर जी आप बोलिए।

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने इस विधेयक के माध्यम से जो संशोधन यहां पेश किए हैं उसमें एक तो जो ग्राम सभा निर्धारित तारीख को हुआ करती थी, चार ग्राम सभाएं एक वर्ष में होती थीं उसमें परिवर्तन करने का प्रस्ताव रखा है। अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि ग्राम पंचायतें ग्रामीण परिवेश में काम करती हैं यानि कि ग्राम पंचायत का मतलब गांवों में रहकर काम करना है। लेकिन कोरम पूरा नहीं होता, इसलिए सरकार ने बहुत विचार करने के पश्चात यह निर्णय लिया था------जारी

एम.एस. द्वारा जारी

08/04/2015/1440/MS/AG/1

श्री जय राम ठाकुर जारी---------

और कोरम पूरा नहीं होता, जिसके कारण सरकार ने बहुत विचार करने के बाद यह निर्णय लिया था कि हम पहले ही तारीखें निर्धारित करें, जिसमें जनवरी, अप्रैल और

जुलाई का पहला रविवार और उसके बाद दो अक्तूबर गांधी जयन्ती का दिन, ये चार तारीखें हमने निर्धारित की थीं। उसके पीछे यह मंशा थी कि एक अच्छी पब्लिसिटी लोगों के दिल और दिमाग में गांव में रजिस्टर्ड रहे कि इस तारीख को ग्राम सभा होनी है। जिस दिन वह ग्राम सभा होनी है, उस दिन वे अपनी ग्राम सभाओं में आकर हिस्सा लें और जो महत्वपूर्ण निर्णय लेने हैं, उनमें उनकी सहभागिता हो सके। जो प्रस्ताव यहां पर किया गया है उसके अनुसार ग्राम सभाएं तो चार ही दिन की रखी हैं लेकिन उसमें जनवरी का महीना, उसके बाद अप्रैल का महीना, जुलाई का महीना और उसके बाद अक्तूबर का महीना रखा है। इसके पीछे शायद यह मंशा रही होगी कि गांव में ग्राम पंचायतों का कोरम पूरा नहीं होता है। उसकी एक वजह यह भी है कि जो तारीख रखी होती है, उस तारीख को अधिकारी उपस्थित नहीं हो पाते हैं। इसलिए बहुत सारे कामकाज जो वहां होने होते हैं, उनमें थोड़ी दिक्कत आती है क्योंकि तारीख एक होती है। इस बात से हम भी थोड़ा आपसे सहमत हैं, इत्तेफाक रखते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हिमाचल प्रदेश में 3243 पंचायतें हैं और इन पंचायतों में अगर आप एक महीने की रोटेशन का कलैण्डर जारी करने जा रहे हैं तो उसकी पब्लिसिटी के लिए आपको बहुत ज्यादा प्रयत्न करना पड़ेगा कि किस पंचायत की ग्राम सभा कब है। एक मैकेनिज्म उसके लिए खड़ा करना पड़ेगा। वह किस प्रकार से करेंगे, मुझे मालूम नहीं है। इसके साथ-साथ मैं यह भी सुझाव देना चाहता हूं कि 3243 पंचायतों में अगर एक महीने के कलैण्डर में भी आप सारी ग्राम सभाएं करना चाहते हैं तो उसके बावजूद भी सभी ग्राम पंचायतों में आपके जो अधिकारी, जिनकी उपस्थिति आप सुनिश्चित करना चाहते हैं, वे उपस्थित नहीं हो पाएंगे। हमने भी बहुत विचार इन सारी बातों को लेकर किया था लेकिन उसमें भी एक कठिनाई है। मेरा मानना है कि उसके बावजूद भी इसमें कठिनाई आएगी। इसका समाधान आप किस प्रकार से सोचते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूं क्योंकि ऐक्ट में इतनी इलेबोरेट चीजें नहीं आ पातीं। इसकी जानकारी

08/04/2015/1440/MS/AG/2

अगर माननीय मंत्री जी दे दें तो अच्छा रहेगा।

इसके अलावा जो एक विजीलैंस मॉनिटरिंग कमेटी का किया है, यह अच्छी बात है। पंचायत में चुने हुए प्रतिनिधि के परिवार का सदस्य जो वहां विजीलैंस मॉनिटरिंग

कमेटी बनती है, वह उस कमेटी में सदस्य बनने के लिए पात्र नहीं होना चाहिए। यह एक अच्छा निर्णय है। आपके इस निर्णय का स्वागत है।

इसमें एक और एडिशन महिला ग्राम सभा की की गई है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में यह अच्छा कदम है लेकिन इसमें क्या-क्या होगा? जो आपने इस ऐक्ट में जिक्र किया है, वह मैं बताता हूं। उसके मुताबिक महिलाओं और बच्चों से संबंधित मामले इसमें आएंगे लेकिन वे किस नेचर के होंगे? उसके साथ-साथ इसमें इस बात का भी जिक्र नहीं है कि इसमें कोरम रिक्वायर्ड है या नहीं? आपका यह कहना कि ग्राम सभा होगी लेकिन ग्राम सभा के बाद भी जो आम नैक्सट ग्राम सभा होगी, उसमें उस एजैंडे को पारण के लिए प्रस्तुत करेंगे। मुझे लगता है कि शायद इसमें ऐसा ही है, इस तरह से आपने इसमें मंशा जाहिर की है। इसको भी थोड़ा सा स्पष्ट करने की आवश्यकता मुझे लग रही है।

इसमें एक और चेंज फैमिली की डैफिनेशन में पर्टिकुलरली जो हमारा डिस-क्वालिफिकेशन वाला क्लॉज है, उसमें आपने फैमिली की डैफिनेशन का जिक्र किया है। उसमें मैं देख रहा था कि फैमिली डैफिनेशन में बहुत चेंज हुआ है। उसमें आपने ग्रैड फादर से शुरू किया है। उसके बाद ग्रैंड मदर, स्पाउज, सन, अनमेरिड डॉटर, ये बड़ी लम्बी परिभाषा की है और इसके पीछे अध्यक्ष जी, मैं भी इस बात से सहमत हूं कि पर्टिकुलरली जिनका डिस-क्वालिफिकेशन ऐन्क्रोचमैंट वाले इश्यू को लेकर होना होता है।

जारी श्री जे0के0 द्वारा----

08.04.2015/1445/जेके/एजी/1

श्री जय राम ठाकुरः------जारी------

इश्यू को ले कर होना होता है। मंत्री जी हिमाचल प्रदेश में अनेकों इस तरह के मामले हैं, जिन्होंने पंचायत का चुनाव लड़ लिया है। एन्क्रोचमैंट की फाईल उनके ही नाम से बनी है। उनके नाम से होने के बावजूद प्रोसीज़र इतना कॉम्प्लिकेटिड और लम्बा है उसमें पांच साल निकल जाते हैं लेकिन उसके बावजूद भी जो इलैक्टिड रिप्रैज़ैंटेटिव है उसके खिलाफ आप कार्रवाई करने की स्थिति में नहीं हो पाते। इसमें आप क्या सुनिश्चित करेंगे? मुझे लगता है कि इसमें जोड़ने की आवश्यकता है कि इसको टाईम

बाऊंड किया जाए। अगर इसको आप सीरियसली ले रहे हैं। वैसे तो मुझे लगता है कि इसकी डैफिनेशन बहुत लम्बी हो गई है कि अगर दादा ने कोई गलत काम किया तो इसमें पोते को भुगतना पड़ रहा है। एन्क्रोचमैंट यदि दादा ने की तो इसमें पोता-पोती और सारे रिश्तेदार आ गए। लेकिन यदि आपकी मंशा सचमुच में ऐसी है कि जो इस तरह का ओफैंडर है, जो डिस्क्वालिफिकेशन में आता है, अगर सचमुच में आप इसके लिए गम्भीर है, अगर आप इसको लागू करना चाहते हैं तो प्रोविज़न यह होना चाहिए कि एक बार जब नोमिनेशन उनका होता है उस वक्त वह डेक्लेरेशन देते हैं। उसके बाद जब उनका इलैक्शन हो जाता है, इलैक्शन के बाद टाईम बाऊंड होना चाहिए। इसमें जितने भी इलैक्टिड रिप्रैजैंटेटिव्ज़ हैं, इसमें प्रोविजन यह है कि जब तक आप उन पंचायत प्रतिनिधियों के खिलाफ शिकायत लिखित रूप में नहीं देते तब तक उनके खिलाफ कोई मामला ही नहीं बनता है। इस सारी बात को लेकर लोग डरते हैं। लोग लिख कर देने को तैयार नहीं होते क्योंकि वे डरते हैं कि यदि हम पंचायत के प्रधान के खिलाफ लिख कर देंगे तो वह मेरा नाम आई.आर.डी.पी. से काट देगा, मकान काट देगा, मुझे परेशान करेगा और मेरी गली नहीं बन पाएगी। वहां पर इस तरह की सौ बातें होती हैं। लेकिन इसमें यदि इस प्रकार से प्रोविजन करें और ईमानदारी से स्ट्रिक्टली और फोर्सफुली आप इसे लागू करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि इसमें इस तरह की आवश्यकता है कि इसको टाईम बाऊंड किया जाए। पहले 6 महीने के अन्दर-अन्दर इनका रिकार्ड राजस्व

08.04.2015/1445/जेके/एजी/2

विभाग से मंगवा करके कि किसी के नाम से एन्क्रोचमैंट की फाइल उसके दादा के नाम पर, दादी के नाम पर, पिता के नाम पर, माता के नाम पर, पत्नी के नाम पर, पति के नाम पर, बेटे के नाम पर और किसी के भी नाम पर यदि नहीं है तो इस बात को सुनिश्चित करने का इसमें प्रोविज़न करना चाहिए अगर आप इसको लागू करना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय, इसमें जो प्रोविज़न है, बाकी तो मुझे लगता है कि एक तो आपने इसमें इनक्लूजन किए हैं उन चीजों के बारे में ज्यादा नहीं कहूंगा लेकिन मेरा मुख्य मकसद पंचायत में जो ग्राम सभा का कोरम बार-बार नहीं होता यह बहुत बड़ा गम्भीर मामला है। इसको ले करके आपको कोई मेकैनिज्म पब्लिसिटी का और उसके साथ-

साथ में ग्राम सभा में उपस्थिति हो, ग्राम सभा में जो कोरम रिक्वायर्ड है उसको पूरा करने के लिए उसके लिए आप इसमें किस प्रकार से सुनिश्चित करेंगे, इस बारे में मुझे कुछ बात इसमें दिखी नहीं।

08.04.2015/1445/जेके/एजी/3

अध्यक्षः श्री महेश्वर सिंह जी।

श्री महेश्वर सिंहः अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन विधेयक माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ने आज इस माननीय सदन में विचारार्थ रखा है, सर्वप्रथम मैं उनका धन्यवाद भी करूंगा और उनको बधाई भी देता हूं। इस मांग को लेकर अनेकों बार मैंने यहां पर चर्चा उठाई, प्रश्न किए और आपने आश्वासन दिया। यहां तक कि प्रतिपक्ष के नेता ने भी इस बात का समर्थन किया कि जो पिछले अनुभव रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए अगर एक दिन में न करके कोई कलेंडर बनाया जाए तो उचित रहेगा। वह आज रिकॉर्ड पर भी है। इसके लिए जहां आपको धन्यवाद करता हूं वहां नेता प्रतिपक्ष का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने ये शब्द यहां पर कहें। आप लोग रिकॉर्ड देख लीजिए। Record will speak for itself. महोदय, आपने प्रमुख चार बिन्दुओं का इसमें प्रावधान किया। एक तो महिला सशक्तिकरण की ओर है कि महिलाओं को अलग से बैठने का विचार करने का अवसर देगा। उनकी ग्राम सभा होगी। बच्चों के प्रति जो समस्याएं हैं उन पर भी विचार होगा और मुख्य ग्राम सभा में उन चीजों का प्रस्ताव भेजेंगे फिर वहां पर उस पर विचार होगा। इसमें एक शंका का समाधान हो जाए। जैसे यहां कहा गया कि उनका कोरम कितना रहेगा? कहीं ऐसा न हो कि महिलाएं यह कहें कि हमने प्रस्ताव पारित करके दे दिया, अब मुख्य ग्राम सभा से हमें लेना-देना कुछ नहीं तो कोरम की समस्या पैदा न हो। वे महिलाएं फिर---

श्री एस.एस. द्वारा जारी----

08.04.2015/1450/SS-AG/1

श्री महेश्वर सिंह क्रमागतः

वे महिलाएं फिर मुख्य ग्राम सभा में भाग लें, इसको किस प्रकार से सुनिश्चित करना है इस पर विचार करना चाहिए। यह अच्छी बात है कि विकासात्मक कार्यों में उनकी

भागीदारी हो, आपस में बैठकर चर्चा करें लेकिन यह भी सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि गणपूर्ति के लिए इतनी अमुक संख्या में महिलाएं ग्राम सभा में उपस्थित होनी चाहिएं तब उस पर विचार होगा। नहीं तो महिलाएं अपनी अलग से ग्राम सभा करके चली गईं तो कोरम की और समस्या पैदा हो जायेगी। महोदय, जहां तक अलग से कलैण्डर बनाने की बात कही है निश्चित रूप से मैं हृदय की गहराइयों से आपका धन्यवाद करता हूं। मुझे लगता है कि अगर हम पंचायतों को या ग्राम सभाओं को आकर्षक बनायेंगे तो निश्चित रूप से कोरम पूरा होगा। लेकिन यह भी एक सत्यता है कि जो आपने प्रथम बैठक में दो-तिहाई गणपूर्ति रखी है अगर उसमें आवश्यकता है तो विचार करिये क्योंकि अधिकांश पंचायतों में कोरम के अभाव में बैठकें पोस्टपोन होती हैं। वह किस प्रकार से करना चाहिए, उस पर आप विचार करें। थोड़ा बहुत अगर गणपूर्ति की संख्या का प्रतिशत कम किया जाए और ग्राम सभाएं हो सकें तो उस पर विचार करना चाहिए। महोदय, आपने यह भी सुनिश्चित किया है कि उसमें अधिकारी उपस्थित रहेंगे। मैं मानता हूं कि सब अधिकारी नहीं आ सकते। लेकिन कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो ग्राम सभा को आकर्षक बना सकते हैं जैसे पटवारी है। उससे इन्कम सर्टिफिकेट लेने के लिए दर-दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। फिर तहसील वैल्फेयर ऑफिसर है। उसका अपना तहसील तक ही सीमित दायरा है। उसके बाद रेंज ऑफिसर है। यहां टी0डी0 को लेकर प्रश्न आया। टी0डी0 का फार्म खरीदने के लिए अलग टाइम तोड़ो, फिर आर0ओ0 को रिपोर्ट करने जाओ, फिर डी0एफ0ओ0 के पास जाओ, मिन्नतें करो फिर टी0डी0 मिलती है। अगर गांव के क्षेत्र में ग्राम सभा में आर0ओ0 चला जायेगा, पटवारी वहां होगा तो एक ही छत के नीचे बहुत से काम हो जायेंगे।

आई0आर0डी0पी0 परिवार के चयन को लेकर सबसे बड़ी समस्या पैदा होती है। बाद में शिकायत करते हैं कि इन्होंने अपने रिश्तेदार को रख लिया, इन्होंने अमुक व्यक्ति को रख लिया और कहीं-कहीं ऐसा होता भी है क्योंकि प्रथम बैठक मे कोरम नहीं होता और तृतीय बैठक जब आती है तो कोरम की आवश्यकता नहीं है। फिर मिल बैठकर आई0आर0डी0पी0 परिवार का चयन हो जाता है। अगर उसी दिन

08.04.2015/1450/SS-AG/2

पटवारी अपनी जमाबंदी लेकर जाए, अपना सारा रिकॉर्ड लेकर जाए और वहीं पर इंकम सर्टिफिकेट दे दे, तहसील वैल्फेयर ऑफिसर वहीं उसको सम्भाल ले तो लोगों के

चक्कर कम हो जायेंगे तो निश्चित रूप से आपकी ग्राम सभा आकर्षक हो जायेगी। इसमें एक और लाभ होने वाला है। वैसे धूमल जी के समय ये कहा गया था कि विधायकों को भी ग्राम सभा में जाना चाहिए और वे स्वयं भी एक-दो जगह गए थे। जब यह अलग तिथियों में होगी, कलैण्डर होगा तो जो विधायक ग्राम सभा में जाना चाहेंगे तो उनको भी लोगों से मिल बैठने और उनकी समस्याएं सुनने का एक सुअवसर प्राप्त होगा।

महोदय, जहां तक आपने विजीलैंस कमेटियों की बात कही है ये बहुत ही अच्छा कदम आपने उठाया है। ये आरोप-प्रत्यारोप लगते हैं उन पर किसी हद तक विराम लगेगा। विराम लगेगा क्योंकि अब आपने परिवार की परिभाषा भी बदल दी है और यह बदलना आवश्यक था। जो माननीय जय राम जी ने कहा मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि दादा ने एंक्रोचमैंट की होगी, किसी ने की होगी, शर्त यह है कि जो व्यक्ति चुना गया है वह उसका भागीदार है चाहे वह दादे की इंक्रोचमैंट की हुई है, चाहे मां की या बाप की है तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हां, अगर वह उस परिवार से अलग हो चुका था, उस परिवार से लेना-देना कुछ नहीं तो दादे का जो पाप है वह पोते को न भुगतना पड़े, यह मैं मानता हूं। लेकिन अगर उसने विरासत में वह जमीन ली है --(व्यवधान)--नहीं, नहीं, वह तो आपका भाई भी करे तो आप पर भी लागू होगा। हमारे लिए थोड़े है, सब के लिए है। इसलिए मैं कहूंगा कि यह एक अच्छा कदम है और चौथा अत्यन्त महत्वपूर्ण बिन्दु एंक्रोचमैंटस को लेकर है...

जारी श्रीमती के0एस0

08.04.2015/1455/केएस/एजी/1

श्री महेश्वर सिंह जारी---
और इसीलिए आपने परिवार की परिभाषा बदली है और ऐसा हो रहा है। किसी के चाचा के नाम से या किसी की पत्नी के नाम से हैं तो वह तो उऋण हो जाते हैं, कहते हैं कि मैंने नहीं किया, पत्नी ने किया है तो मैं जिम्मेवार नहीं हूं जबकि परिवार इकट्ठा है । मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं, वैसे तो यह इससे सम्बन्धित नहीं है, इसका तो मैं पूरा समर्थन करता हूं कि इतना बढ़िया आप एक संशोधन लाए हैं, लेकिन जहां तक एनक्रोचमैंट्स का सवाल है, यहां पर सुबह भी एक बात आई थी वह राजस्व मंत्री जी से सम्बन्धित है और आपके भी यह काम आएगा जहां पुश्तैनी नाजायज़ कब्जे हैं, उनको रैगुलराईज करने के लिए कुछ कदम उठाने हैं। प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि अगर

तिब्बतियों के लिए,शरणार्थियों के लिए हम एन्क्रोचमैंट रैगुलराईज़ करते हैं तो अपने गरीब लोगों की ओर ध्यान देने में कौन सा हर्ज है? तीन बिस्वा और दो बिस्वा की बात कही भी गई थी लेकिन अभी तक वह फलीभूत नहीं हुई है इसलिए उस पर भी कार्रवाई हो तो निश्चित रूप से जो इस प्रकार के पुश्तैनी कब्जे हैं, वे फिर ऐसे केसिज़ में विवाद नहीं बनेंगें, उस ओर भी ध्यान देना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर दोहराऊंगा कि अगर कोरम में थोड़ी कमी लाने की जरूरत है तो निश्चित रूप से उस ओर भी कदम उठाने चाहिए ताकि कम से कम ग्राम सभाएं सुचारू रूप से हो सके। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं आपका भी आभार व्यक्त करता हूं और एक बार पुनः सरकार को बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं।

08.04.2015/1455/केएस/एजी/2

अध्यक्षः अब माननीय उपाध्यक्ष महोदय अपनी बात रखेंगें।

उपाध्यक्षः अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज संशोधन विधेयक 2015 पर विचार रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं इस संशोधन बिल का स्वागत करता हूं और इसमें पहली बार महिलाओं का अलग से ग्राम सभा का साल में दो बार करने का जो प्रावधान किया है यह स्वागत योग्य है और यह महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत बढ़िया कदम है परन्तु इसमें कोरम के बारे में आपने कुछ नहीं कहा है और अगर फिर एक्ट में जाएंगें और अगर वही कोरम रहेगा जो जनरल ग्राम सभा का है तो 1/3 पहली बार और दूसरी बार में 1/5 और ज्यादातर ग्राम सभा में 1/3 कोरम होता ही नहीं । कोरम ही पूरा नहीं होता और 1/5 भी कोरम पूरा नहीं होता । पहले ही महिलाएं कम होंगी तो इसमें कम से कम 1/15 कोरम या जो ग्राम सभा का 1/20 है, वह आप इसमें रखें तभी महिलाओं का कोरम पूरा होगा और कोरम के बारे में मुझसे पूर्व वक्ताओं ने यहां चिन्ता व्यक्त की । आज कोरम के अभाव में ग्राम सभाएं ही नहीं होती और बहुत सारे महत्वपूर्ण एन.ओ.सी. जो वहां से मिलते हैं, वे इसीलिए नहीं मिल पाते कि ग्राम सभाओं में कोरम नहीं होता। तो कोरम् पूरा करने के लिए एक्ट में कोई भी प्रावधान नहीं है। आजकल हमारे ज्यादातर इलाकों में जहां देव सभाएं हैं, जहां बिना इलैक्शन के कारदार सदियों से चले आ रहे हैं, वहां पर कोरम 100 प्रतिशत होता है क्योंकि एक तो वहां पर सामाजिक बहिष्कार का खतरा है दूसरा वहां पर भारी जुर्माना लगाया जाता है। तो इस एक्ट में

कोरम के लिए एक जुर्माना लगाने की जरूरत है। ग्राम सभा में जिस परिवार से कोई सदस्य नहीं आता है, कम से कम

08.04.2015/1455/केएस/एजी/3

उसको 500 रुपये जुर्माना लगाया जाना चाहिए ताकि ग्राम सभा में कोरम सुनिश्चित हो। साथ में पंचायती राज को अगर और ज्यादा सुदृढ़ करना है तो इसको सैक्रेटरी राज से ऊपर निकालने की जरूरत है। आज पंचायत में सारा काम सैक्रेटरी सम्भालता है और उसकी ए.सी.आर. आगे समिति के अंडर है तो पंचायतों के अंडर सैक्रेटरी को लाया जाए और ए.सी.आर की पावर प्रधान या ग्राम पंचायत को दी जाए तभी ग्राम पंचायतें प्रॉपर फंक्शन कर सकती है। इन्हीं सुझावों के साथ आपने जो बिल लाया है, उसका मैं स्वागत करता हूं।

अगले वक्ता श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

8.4.2015/1500/jt/av/1

श्री जगजीवन पाल : अध्यक्ष महोदय, आदरणीय पंचायती राज मंत्री पंचायती राज ऐक्ट के बारे में जो संशोधन लेकर आए हैं मैं उसका स्वागत करता हूं और उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

आदरणीय पूर्व पंचायती राज मंत्री श्री जय राम ठाकुर जी, सम्मानीय सदस्य श्री महेश्वर सिंह जी और उपाध्यक्ष जी ने अच्छे सुझाव दिए हैं। ठाकुर जय राम जी ने कई विषयों पर शंका व्यक्त की है और आदरणीय महेश्वर सिंह जी का बहुत ज्यादा तुजुर्बा है। मगर पंचायती राज ऐक्ट में जो आप संशोधन लेकर आए हैं वे वाकई काबिलेतारीफ हैं। धरातल पर ऐसा ही महसूस किया जा रहा है। ग्राम सभा का कोरम एक बहुत बड़ी समस्या है। हमारे हिमाचल प्रदेश में लगभग 90 प्रतिशत लोग गांव में रहते हैं और हमारा सारा कामकाज पंचायतों के जरिए चलता है। जब तक ग्राम सभा की बैठक का कोरम पूरा नहीं होगा, वहां से क्लीयरैंस नहीं मिलेगी तब तक कई चीजों में रुकावट है। मैं इस पर ज्यादा नहीं बोलना चाहता क्योंकि यहां पर बहुत अच्छे सुझाव आए हैं। जो शंकाएं हैं

मुझे उम्मीद है कि मंत्री जी उनको पूरी तरह समझा कर सबकी तसल्ली करेंगे। जहां तक ग्राम सभा में कोरम की बात है तो उसको पहली बैठक में ही 1/3 की जगह 1/5 किया जाए ताकि पहली बैठक में ही कोरम पूरा हो जाए और लोगों को उसका पूरा-पूरा फायदा मिले। मैं यही सुझाव देना चाहूंगा, बाकी सुझाव आ चुके हैं। आप योग्य मंत्री है। आप महिलाओं के बारे में जो प्रस्ताव लाये हैं वह बहुत अच्छा है लेकिन इसमें भी एक शंका व्यक्त की गई है। कहीं ऐसा न हो कि जो महिलाओं की पंचायतें होंगी वह अपना प्रस्ताव पास करके अगर ग्राम सभा की बैठकों में नहीं आयेंगी क्योंकि महिलाएं ही ऐसी ग्राम सभा में मैम्बर हैं जो ज्यादा-से-ज्यादा ग्राम सभाओं में आती हैं। ग्राम सभा की बैठक में भाग लेने हेतु उनको प्रेरित करने के लिए आप कोई-न-कोई तरीका ढूंढिए। ग्राम सभाओं में एक ही आकर्षण होता है, जिस दिन बी.पी.एल. के तहत आई.आर.डी.पी. के परिवार चूने जाने होते हैं उस दिन सबसे ज्यादा लोग आते हैं। उसमें यह सुझाव आया है कि उस दिन वहां पटवारी का होना सुनिश्चित किया जाए। अकेले पटवारी गलत रिपोर्ट भी कर सकता है। मगर वह ग्राम सभा की मीटिंग में गलत रिपोर्ट नहीं कर सकता। इन्हीं

8.4.2015/1500/jt/av/2

निवेदनों के साथ जो आपके संशोधन आए हैं मैं उनका समर्थन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

समाप्त

8.4.2015/1500/jt/av/3

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री : माननीय अध्यक्ष जी, मैं उन सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया।

श्री जय राम ठाकुर जी, श्री महेश्वर सिंह जी, उपाध्यक्ष जी, श्री जगजीवन पाल जी; सभी ने अच्छे सुझाव दिए हैं। हमने इस पंचायती राज ऐक्ट में जो संशोधन लाए हैं उसका इन्होंने समर्थन भी किया है और साथ में कुछ सुझाव भी दिए हैं। जय राम ठाकुर जी ने ठीक कहा कि जब भी हमारे कोई प्रावधान किए जाते हैं तो उसके नतीजे क्या होते हैं। उसके नतीजे समय के बाद पता चलते हैं। उसमें जब नतीजे आते हैं तो उसके बारे में हम समय-समय पर अमैंडमैंट लाते रहते हैं। मेरे पास जब यह विभाग आया, उस

समय जब मैं प्रदेश के दौरे पर निकलता था तो जिला परिषद के लोग कहते थे कि एक दिन के अंदर पंचायतों में जब ग्राम सभाएं होती हैं हम उनमें नहीं जा सकते। पंचायत समितियों का भी यही कहना ----------

श्री बी जे द्वारा जारी

08.04.2015/1505/negi/jt/1

मा0 ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री .. जारी..

हम नही जा सकते। पंचायत समितियों का भी यह कहना था । विधायक तो एक विधान सभा क्षेत्र की बात थी । कोरम की बात जब उठी है, कोरम क्यों नही पूरा होता है? क्योंकि एक दिन में सब जगह ग्राम सभाएं होती थी और अधिकारी व कर्मचारी उसमें जाते नही थे । इस तरह से उस ग्राम सभा का महत्व खत्म होता जा रहा था। जैसे आपने कहा, ठीक है कुछ परिस्थितियां ऐसी भी आ सकती है । लेकिन हमारा प्रयास रहेगा। मैं पारदर्शिता लाने की बात कर रहा हूं कि पंचायतों में पारदर्शिता आए। हमारे पी.डब्ल्यू.डी., आई.पी.एच. और राजस्व विभाग के अधिकारी जो पंचायतों से संबंधित हैं, वे कम से कम वहां पर रहें। लोगों की बातें पंचायत प्रधान के सामने आए और उसमें वे चर्चा करें। चर्चा के माध्यम से वे अपने सुझाव और समस्याओं के बारे में विचार करें। मैं चाहता हूं कि पंचायतें अट्रेक्टिव बनें और लोगों को लगे कि इस ग्राम सभा के अन्दर हमने फ्लाने विभाग को काम दिए थे, अगली ग्राम सभा के अन्दर उसमें क्या कार्रवाई हुई उसकी जानकारी मिले । इस तरीके से हम डिस्ट्रिक्ट पंचायत आफिसर की डियुटी लगा करके कि रोटेशन कैसे बने, एक महीने के अन्दर जैसे आपने कहा कि 4 ग्राम सभाएं होती है, हम पंचायत प्रधान की भी डियुटी लगाएंगे। जो आपने 1/3 कोरम की बात की है, मैं चाहूंगा कि हाऊस इसमें सहमत हो तो हम कोरम 1/3 की बजाय 1/5 करने का प्रस्ताव कर सकते हैं। पंचायत प्रधान कोरम पूरा नही करते हैं क्योंकि उनको पता है कि अगर इसमें कोरम नही है तो अगली मीटिंग में देखेंगे। जब कोरम 1/3 नही है तो 1/5 कोरम में इसको करेंगे। इस तरीके से पंचायतों का मैं चाहूंगा कि पहला कोरम 1/5 रखें और दूसरा कोरम भी हम 1/5 ही रखें। क्योंकि किसी कारणवश यदि पहली ग्राम सभा नही होती है, उसमें कारण कोई भी हो सकते हैं। उस ग्राम सभा में यह बताना पड़ेगा कि इस कारण से ग्राम सभा नही हुई। क्योंकि हम 1/5 से कम कोरम नही रखेंगे। पहली ग्राम सभा के अन्दर 1/5 कोरम रखा जाएगा। दूसरी ग्राम सभा के अन्दर भी हम 1/5 कोरम रखेंगे उससे नीचे कोरम नही रखेंगे और यह कोरम पूरा करना पड़ेगा।

पंचायत के अन्दर जो बी.पी.एल. परिवारों का चयन होता है, माननीय मुख्य मंत्री जी भी इस बात से

08.04.2015/1505/negi/jt/2

चिन्तित हैं कि पंचायत के अन्दर बी.पी.एल. परिवार का जो चयन होना होता है उस वक्त कई बार अधिकारी नही जाते, कर्मचारी नही जाते और ग्राम सभाएं एक बार एडजर्न होती है, दो बार एडजर्न होती है और तीन बार एडजर्न होती है। उस वक्त यह भी कहा जाता है कि ग्राम सभाओं के अन्दर पंचायत प्रधान या अधिकारी बैठ करके बी.पी.एल. परिवार की लिस्ट बना देते हैं। मैं आपको इस मान्य सदन के माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो भी हमारी ग्राम सभाएं होंगी और उसके माध्यम से जो बी.पी.एल.परिवारों का चयन होगा उसकी विडियोग्राफी हम किसी इंडिपेंडेन्ट एजेंसी से कराएंगे। जिस दिन ग्राम सभा हुई और उस ग्राम सभा के अन्दर जो-जो भी प्रस्ताव पारित हुए वह विडियोग्राफी के माध्यम से दर्शाए जाएंगे और उस विडियोग्राफी की रिकार्डिंग हम रखेंगे। क्योंकि कई बार ग्राम सभा के अन्दर परेशानियां आती हैं, अगर हम विडियोग्राफी करेंगे तो इससे पंचायतों की महत्वता बढ़ेगी । लोग यह समझेंगे कि पंचायत के अन्दर विडियोग्राफी हुई है, सब कुछ सामने है। बी.पी.एल.परिवार के चयन का नाम भी लिया जाएगा और उससे एक महत्वता बनी रहेगी। हमारा यह प्रयास है कि ग्राम सभाओं में इस तरह का काम हो। आपने यहां पर विजिलैंस कमेटी की बात की। मैं इसमें कहना चाहता हूं कि अपने रिस्तेदारों की विजिलैंस कमेटी बना देते हैं और इसकी वजह से घपले और घोटाले होते रहते हैं। इसलिए हमने इसमें प्रयास किया है कि किस तरीके से विजिलैंस कमेटी से उनके रिस्तेदार हैं, जो क्लोज़ रिलेटिव हैं जिसकी डेफिनेशन भी दी है उनको उससे बाहर करेंगे। तीसरा मुद्दा आपने जो महिलाओं के लिए उठाया, यह ठीक कहा कि महिलाओं के लिए 50 परसेन्ट रिज़र्वेशन पंचायतों के अन्दर है। 50 परसेन्ट रिजर्वेशन के माध्यम से महिलाएं आज ग्राम सभाओं में बाहर आ रही हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। लोग मुझे मिलते रहे हैं कि महिलाओं की ग्राम सभा अलग से हो। हर जगह हिमाचल के अन्दर महिलाएं ग्राम सभा में जाती नही हैं। धीरे-धीरे मैं उनको ग्राम सभा के नजदीक लाने का प्रयास कर रहा हूं। 8 मार्च को हमारा इन्टरनेशनल महिला दिवस है इस वजह से भी हमने इस डेट को डाला है। साथ में, उसमें कोई भी

08.04.2015/1505/negi/jt/3

कोरम की बात नही होगी। कुछ सदस्यों ने इस बात को उठाया कि क्या कोरम होगा? इसमें हमने कोरम का कोई प्रावधान नही रखा है। उसमें केवल महिलाएं होंगी, उसमें कहा है कि यदि प्रधान महिला होगी तो....

श्रीमती यू.के.द्वारा जारी...

08.04.2015/1510/**यूके/जेटी**/1

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री---**जारी**-----

उसमें किया है कि यदि प्रधान महिला होगी तो वह उसको प्रिज़ाईड ओवर करेगी उप प्रधान होगी या सीनियर वार्ड मैम्बर होगा तो उसको प्रिज़ाईड ओवर करेगा । क्योंकि हमने ऐक्ट के अन्दर सारा स्पष्टीकरण रूप से नहीं कहा हुआ है । हम यह कहेंगे कि जो विकास सम्बन्धी बाते हैं वह भी इसमें कर सकते हैं । अपनी पंचायतों में विकास सम्बन्धी सुझाव दे सकती हैं । जब ग्राम सभाएं होंगी तो उनके उस सुझाव को अंकित किया जायेगा कि हमारी महिला ग्राम सभा के माध्यम से यह सुझाव आए थे । तो इस तरीके से पंचायती राज ऐक्ट के अन्दर हमने जो प्रावधान किया है, मैं चाहूंगा कि सभी सदस्यों ने मुझे समर्थन भी किया है । इस पंचायती राज ऐक्ट को लाने के लिए जो हम प्रयास कर रहे हैं, उसमें पारदर्शिता लाने के लिए मैं चाहूंगा कि इस प्रस्ताव को पास करें और जो-जो भी स्पष्टीकरण थे, मैने उसके उत्तर दिए हैं । धन्यवाद ।

श्री जय राम ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, एक तो आपने डिस-क्वालिफिकेशन वाले विषय का जिक्र नहीं किया है । उसमें हमारा जो सुझाव था उस पर आपने अपनी बात नहीं कही । जो फैमिली की डैफिनेशन चेंज की है, इसके साथ-साथ मैने यह बात भी कही थी कि अगर उसमें जो एन्क्रोचर हैं उनके साथ, 5-5 या 7-7 साल हो गए हैं, वे दूसरी बार भी प्रधान बन गए । लेकिन उसके बावजूद भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पायी है । यदि आप इस मामले में सीरियस हैं तो क्या आप इस बात को सुनिश्चित करेंगे? दूसरे, मैं समझता हूं कि आप बहुत डॉयल्यूशन की तरफ ले जा रहे हैं इस चीज को जिसका कि आप जिक्र कर रहे हैं कि जो पंचायत के कोरम को आप सीधा 1/3 से 1/5 कर रहे हैं । हमारी कोशिश यह होनी चाहिए कि पंचायत में ज्यादा सहभागिता हो,

उसके लिए मैकेनिज्म डवेलप करना चाहिए । उसके लिए डिप्टी स्पीकर साहब ने ठीक बात कही है । जिस दिन किसी के फायदे की कुछ बात आती है तो उस दिन सब दौड़ते हैं और ग्राम सभा का कोरम फट से पूरा हो जाता है । जिस दिन IRDP का चयन होता है या जिस दिन कोई ऐसा ईशू होता है, जिसमें लोगों को लगता है कि कुछ बैनिफिट मिलना है तो कोरम पूरा हो जाता है, नहीं तो हमारी ग्राम सभाएं रस्मी ग्राम सभाएं बनती जा रही हैं । तो मुझे

08.04.2015/1510/यूके/जेटी/2

लगता है कि हमको इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कोरम को कम करना समस्या का समाधान नहीं है । उसमें फिर जो पंचायत के इलैक्टिड रिप्रेजेंटेटिव्ज़ होंगे उनकी ही मोनोपली होगी कि जब आप कोरम को 1/3 से सीधा 1/5 पर लाएंगे तो वह तो हो जायेगा, ग्राम सभा तो हो जायेगी । लेकिन उसके बावजूद ग्राम सभा में पार्टिसिपेशन लोगों की जिस प्रकार से होनी चाहिए वह नहीं हो पायेगी । तो मुझे लगता है कि इसमें यह करने की आवश्यकता है कि 1/3 से नीचे नहीं करके मैकेनिजम को डवेलप करना चाहिए । हम यह सुनिश्चित करें कि ग्राम सभा की बैठक में सब लोग जाएं, चाहे इसके लिए थोड़ा सख्ती से कुछ प्रावधान आपको जोड़ने पड़ें, वह जोड़ने चाहिएं । ऐसा मेरा सुझाव है ।

तीसरी बात जो आपने महिला सशक्तिकरण की कही । हम इतना डॉयल्यूशन में क्यों चीज़ें छोड़ दें कि महिला की ग्राम सभा होगी ? वह भी आपकी रस्मी बैठक हो जायेगी । क्योंकि यदि 4 महिलाएं आएंगी तो भी ग्राम सभा मानेंगे और 10 महिलाएं आएंगी तो भी ग्राम सभा मानेंगे । उसमे यदि महिलाओं की आबादी का 50%के लगभग है, मोटे तौर पर, उसमें भले ही आप कोरम कर दो । कोरम कम करना चाहिए लेकिन उनकी जो पॉपुलेशन है, उसकी प्रोपोर्शनेट के अनसार कुछ प्रावधान उसमें जोड़ना चाहिए ताकि उसकी सीरियसनैस्स लगे । नहीं तो मुझे लगता है कि आप जो महिलाओं का पार्टिसिपेशन सुनिश्चित करना चाह रहे हैं, लेकिन आपने उनके लिए ग्राम सभा में कोरम का कोई प्रोवीज़न रखा ही नहीं है । तो यदि 4 महिला भी होगी तो वह तो ग्राम सभा हो गयी, 10 महिलाएं या 20 महिलाएं होंगी तब भी ग्राम सभा हो गयी । तो उस बात को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि महिलाओं की पॉपुलेशन के प्रोपोर्शनेट

पर आप उसमें कोरम पर जाइए । ताकि उसकी सीरियसनैस्स बने । इतना ही मुझे कहना है ।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रीः स्पीकर सर, जो माननीय सदस्य ने कहा है, वाजिब है, हो सकता है । कोरम की बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि यह चर्चा बन चुकी है । जब हम कोरम रखते हैं तो बहुत सी, अधिकतर पंचायतों में कोरम नहीं होता है और पंचायत प्रधान के माइंड में एक चीज़ चली रहती है कि पहली बार में

08.04.2015/1510/यूके/जेटी/3

कोरम तो पूरा नहीं होगा । और वे दूसरी या तीसरी मीटिंग तक कोरम को लटकाने की बात करते हैं । इसमें यदि 1/5 नहीं तो आप 1/4 कर सकते हैं क्योंकि 1/3 कोरम पूरा ही नहीं होता है । जब कि हम प्रयास करते हैं । लेकिन हम 1/4 भी कर सकते हैं । यह तो ओपन हाऊस में मैं इस बात को रखना चाहता हूं कि हम इसको ¼ तक कर सकते हैं । जो आपने डिस-क्वालिफिकेशन की बात की है, इसके लिए in section 122 of the principal Act, in sub-section (1), in clause (c), for the existing Explanation, the following Explanation shall be substituted: "The expression "family member" shall mean grand-father, grand-mother, father, mother, spouse and son(s), unmarried daughter(s)".

एसएलएस द्वारा जारी---

08.04.2015/1515/sls-ag-1

माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ..जारी

यह केवल हमने इसलिए किया है कि जो नजदीक के रिश्तेदार हैं, उन्हीं को इसमें शामिल किया है। दूसरी बात आपने की कि पंचायत प्रधानों पर जो केस बनते हैं उसको एक्सपीडाईट किया जाए। आपने ठीक कहा कि पंचायत प्रधान के खिलाफ़ कोई लिखता नहीं है; उसके ऊपर कोई कार्रवाई करने का प्रयास नहीं होता। क्योंकि सरकार इस पर सुओ मोटो कोई कार्रवाई नहीं कर सकती जब तक कि कोई हमें सूचित न करे।

सूचना के बाद हम यह प्रयास करेंगे कि फ़ैसले जल्दी-से-जल्दी हों जिससे कि इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान भी जल्दी-से-जल्दी हो।

08.04.2015/1515/sls-ag-2

अध्यक्ष : तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 9) पर खण्डशः विचार किया जाए?

प्रस्ताव स्वीकार।

अब बिल पर खण्डशः विचार होगा।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 व 11 विधेयक का अंग बनें?

प्रस्ताव स्वीकार।

खण्ड 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 व 11 विधेयक का अंग बनें।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड-1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बनें?

प्रस्ताव स्वीकार।

खण्ड-1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बनें।

अब माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 9) को पारित किया जाए।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 9) को पारित किया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 9) को पारित किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 9) को पारित किया जाए?

08.04.2015/1515/sls-ag-3

प्रस्ताव स्वीकार।

(हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 9) को पारित हुआ।)

08.04.2015/1515/sls-ag-4

अध्यक्ष : इससे पहले कि नियम-324 के अंतर्गत विशेष उल्लेख किए जाएं, मैं कुछ सूचना यहां पर देना चाहता हूं जो कि मेरे ध्यान में आई है। जो भी बिल विधान सभा में इंट्रोडक्शन के लिए विभागों से प्राप्त होता है, विभाग उसे पहले ही ई-विधान द्वारा ऑन लाईन विधान सभा को भेज देते हैं और वह मोबाईल ऐप के माध्यम से तुरंत मोबाईल और टैबलेट के माध्यम से माननीय सदस्यों के लिए उपलब्ध हो जाता है। इसी तरह हिमाचल प्रदेश खेल (संगमों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 10) भी माननीय सदस्यों को उनके मोबाईल ऐप पर उपलब्ध था। यह सूचनार्थ है। ...(व्यवधान)... बात सुनिए। यह मैंने आपको सूचना दी है। सूचना पर क्या डिसकशन होगी? ...(व्यवधान)... मैं कह रहा हूं कि मैं आपको सूचना दे रहा हूं। There is no discussion on this.

श्री रविन्द्र सिंह : जो सूचना आपने दी, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन जैसे और बिलों की प्रति हमें दी जाती है, इस बिल की प्रति भी हमें क्यों नहीं दी गई?

अध्यक्ष : वह पहले ही आपके टेबल पर रख दी थी।

श्री रविन्द्र सिंह : हमारा कहना यह है कि आप इस विषय को बार-बार मत दोहराइए।

अध्यक्ष : देखिए। मैंने आपको सूचना दी है। आप उसको ग्रहण करें या न करें, यह आप पर है। I have informed you and you note it down. इससे पहले जो आपने कहा, वह मैंने पहले ही कह दिया है कि वह आपके टेबल पर रख दिया है।

08.04.2015/1515/sls-ag-5

नियम-324 के अंतर्गत विषय

अध्यक्ष : अब नियम-324 के अंतर्गत विषय उठाए जाएंगे।

अब श्री रणधीर शर्मा जी नियम-324 के अंतर्गत अपना विषय उठाएंगे।

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से नियम-324 के अंतर्गत महत्वपूर्ण विषय उठाना चाहता हूं जो इस प्रकार से है -

मैं सरकार का ध्यान जिला बिलासपुर के अन्तर्गत नालसू नाला से खारसी चौक तक सम्पर्क स़डक की ओर दिलाना चाहता हूं। उक्त सम्पर्क स़डक की हालत इतनी दयनीय है कि गा़डिया चलाना तो दूर उस पर पैदल चलना भी मुश्किल है। मेरा सरकार से आग्रह है कि जनहित में लोक निर्माण विभाग बिलासपुर मण्डल नं0॥ के माध्यम से इस स़डक की शीघ्रातिशीघ्र मरम्मत करवाई जाये।

जारी ..श्री गर्ग जी

08/04/2015/1520/RG/JT/1

श्री रणधीर शर्मा------क्रमागत

इस सड़क पर बहुत ही ज्यादा वाहन गुजरते हैं क्योंकि इसके आगे बाघा में जे.पी. सीमेंट फैक्ट्री में है और वह बाघा की पंचायत सोलन जिले में आती है। वहां की अधिकतर गाड़ियां अर्की तहसील की जाती हैं उस सड़क से होकर और उस सड़क की इतनी बुरी हालत है कि खड्डे-ही-खड्डे हैं। वहां बहुत गहरे खड्डे पड़े हुए हैं। वहां कई दुर्घटनाएं हो गई हैं।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है।

अध्यक्ष : क्या है?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, नियम-324 के अन्तर्गत जो टैक्स्ट पढ़ने के लिए दिया जाता है सिर्फ उसी को पढ़ा जाता है न कि इसमें सारा भाषण दिया जाता है। इनको सिर्फ अपना टैक्स्ट ही पढ़ना चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त मेरा एक निवेदन यह था कि यदि आपकी व सदन की अनुमति हो, तो नियम-324 के प्रस्ताव पढ़े हुए समझे जाएं, माननीय सदस्यों को इसके उत्तर मिल जाएंगे। इससे विधान सभा का समय बच सकता है।

अध्यक्ष : मेरे पास इसका टैक्स्ट नहीं है। इसलिए माननीय सदस्य से आग्रह है कि जो इसमें लिखा है सिर्फ वही पढ़ें।

श्री रणधीर शर्मा : मैं इसमें सिर्फ दो लाईनें जोड़ना चाहता हूं।

अध्यक्ष : नहीं आप दो लाईनें भी नहीं बोल सकते। जो लिखा है वही पढ़ना है और माननीय मंत्री जी भी जो लिखा है वही पढ़ेंगे।

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से नियम-324 के अन्तर्गत एक विषय उठाना चाहता हूं जो इस प्रकार है :-

मैं सरकार का ध्यान जिला बिलासपुर के अन्तर्गत नालसू नाला से खारसी चौक तक सम्पर्क स़डक की ओर दिलाना चाहता हूं। उक्त सम्पर्क स़डक की हालत इतनी दयनीय है कि गा़डिया चलाना तो दूर उस पर पैदल चलना भी मुष्किल है। मेरा सरकार से आग्रह है कि जनहित में लोक निर्माण विभाग बिलासपुर मण्डल नं0॥ के माध्यम से इस स़डक की षीघ्रातिषीघ्र मरम्मत करवाई जाये।

08/04/2015/1520/RG/JT/2

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, विधायक द्वारा उठाए गए मामले की वास्तविक स्थिति इस प्रकार से है:- नालसू नाला से खारसी चौक तक स़डक की कुल लम्बाई 10.385 कि0मी0 है और यह स़डक नगाब बैरी स़डक (Major District Road) का ही हिस्सा है। जब इस स़ड़क का निर्माण हुआ था तो इस पर Traffic Intensity बहुत ही कम थी परन्तु

जय प्रकाष इन्डसट्रीज के द्वारा बागा में सिमेन्ट प्लॉट स्थापित होने के बाद इस स़डक पर यातायात बहुत ज्यादा हो गया है जिसके कारण स़डक का नुकसान हो रहा है तथा इस स़डक को strengthen करने की जरूरत है ।

दिनांक 21-1-2005 को प्रदेष सरकार के द्वारा जय प्रकाष इन्डसट्रीज के साथ एक Memorandum Sign हुआ था जिसमें कम्पनी द्वारा नालसे नाला से खारसी तक की स़डक की strengthening के लिए धन उपलब्ध करवाने की बात तय हुई थी और विभाग द्वारा मु0 10.92 करो़ड का प्राक्कलन बना कर जय प्रकाष इन्डसट्रीज को दिनांक 30-7-2012 को भेज गया था पर कम्पनी द्वारा अभी तक धन उपलब्ध नही करवाया गया है ।

विभाग द्वारा समय- समय पर स़डक की मरम्मत का कार्य किया जाता है तथा षिघ्र ही इस स़डक पर मौसम साफ होते ही मरम्मत का कार्य पुनः आरम्भ कर दिया जाएगा, परन्तु स़डक पर भारी वाहनो की संख्या के मध्य नजर इस स़डक की strengthening of pavement की आवष्यकता है तथा जय प्रकाष इन्डसट्रीज से पुनः इस स़डक के लिए धन उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया जाएगा ।

अध्यक्ष : अब श्री सुरेश कुमार जी नियम 324 के अन्तर्गत अपना विषय उठाएंगे।

श्री सुरेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से नियम-324 के अन्तर्गत अपना विषय उठाना चाहता हूं जो इस प्रकार है :-

सरकार का ध्यान पच्छाद विधान सभा चुनाव क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति की ओर दिलाना चाहता हूं यह विधान सभा क्षेत्र बहुत विस्तृत है और स्थानीय लोगों को अपने कार्य करवाने के लिए राजग़ढ स्थित S.D.M. कार्यालय जाना प़डता है जोकि

08/04/2015/1520/RG/JT/3

सराहन से लगभग 70 km की दूरी पर स्थित है। मेरा सरकार से आग्रह है कि जनहित में सराहन में भी शीध्र S.D.M. कार्यालय स्थापित करने की कृपा करें |

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में जिलों , उप-मण्डल (नागरिक), तहसीलों तथा उप-तहसीलों के पुनर्गठन एवं सृजन तथा दर्जा बढाने सम्बन्धी प्रस्तावों पर क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, प्रशासनिक व्यवस्था, क्षेत्र के विकास व सबसे प्रमुख जनता की सुविधा को मध्य नजर रखते हुए निर्णय लिया जाता है।

हिमाचल प्रदेश में 12 जिले, 62 उप-मण्डल (नागरिक), 90 तहसीलें एवं 51 उप-तहसीले कार्य कर रही है । जिसमें वर्तमान सरकार द्वारा दिनांक 1.1.2013 के उपरान्त अब तक 7 उपमण्डल, 6 तहसीलें व 18 उपतहसीलों का सृजन किया जा चुका है ।

जहां तक पच्छाद विधान सभा चुनाव क्षेत्र में सराहन में S.D.M. कार्यालय खोलने का सम्बन्ध है इस सन्दर्भ में यह सूचित किया जाता है कि वर्तमान में सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । इस सम्बन्ध में प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार मामले की औचित्यता की जांच उपरान्त उपयुक्त कार्यवाही अमल में लाई जायेगी ।

अध्यक्ष : अब श्री बलदेव सिंह तोमर जी नियम-324 के अन्तर्गत अपना विषय उठाएंगे।

श्री बलदेव सिंह तोमर : अध्यक्ष महोदय, मैं नियम-324 के अन्तर्गत अपना विषय उठाना चाहता हूं जो इस प्रकार है :-

08/04/2015/1520/RG/JT/4

“esjk सरकार से आग्रह है कि उठाऊ पेयजल योजनाएं नैनीधार, बालीकोटी, कांडो भटनाल एवं कांटी माशवा तथा उठाऊ सिंचाई योजनाएं उत्तरी व अपर माशु का काम जनहित में शीघ्रातिशाघ्र शुरू करने की कृपा djsaA”

सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय,वस्तु स्थिति इस प्रकार है:-

उठाऊ पेयजल योजना नैनीधार:- योजना की प्रशासनिक अनुमोदन व व्यय स्वीकृति ए0आर0पी0 के अर्न्तगत प्रधान सचिव द्वारा दिनांक 05-06-2007 को 1 करो़ड 87 लाख 59 हजार रूपये की प्रदान की गई थी। योजना पर मार्च 2015 तक 2 करो़ड 74 लाख 39 लाख रूपये व्यय हो चुके हैं तथा 70 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इस योजना

का कार्य 3 चरणों में प्रस्तावित है। प्रथम चरण कार्य पूर्ण हो चुका है व दुसरे चरण के परीक्षण का कार्य प्रगति पर है तथा तीसरे चरण के लिए विद्युत विभाग द्वारा ट्रास्फॉरमर नही लगाया गया है जबकि विभाग द्वारा विद्युत विभाग केा 95 लाख रूपये जमा करवा दिये गये है। विद्युत कुनैक्शान मिलने के उपरान्त इस योजना को तीन महीनो में चालू कर दिया जायेगा।

उठाऊ पेयजल योजना बालीकोटी :- योजना की प्रशाासनिक अनुमोदन व व्यय स्वीकृति प्रधान सचिव आई0पी0एच0 द्वारा दिनांक 03-07-2006 को 77 लाख 82 हजार रूपये की प्रदान की गई। योजना पर मार्च 2015 तक 98 लाख 57 हजार रूपये खर्च हो चुका है तथा 85 प्रतिशात कार्य पूर्ण कर लिया गया है। विद्युत विभाग द्वारा ट्रास्फॉरमर न लगाने के कारण इस योजना को चालू नही किया जा सका है। विद्युत विभाग द्वारा योजना के दोनो चरणों पर बिजली का कुनैक्शन प्राप्त होने पर इस योजना को दो महीनो में चालू कर दिया जायेगा।

उठाऊ पेयजल योजना कांडो भटनाल :-योजना की प्रशाासनिक अनुमोदन व व्यय स्वीकृति प्रधान सचिव आई0पी0एच0 द्वारा दिनांक 5.6.2007 को 2 करोड 12

08/04/2015/1520/RG/JT/5

लाख 92 हजार रूपये की नाबार्ड आर0आई0डी0एफ0(बारह) के अर्न्तगत प्रदान की गई थी। इस योजना पर मार्च, 2015 तक 2 करोड 47 लाख 44 हजार रूपये खर्च हो चुके हैं तथा 90 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिया गया है। विभाग द्वारा विद्युत विभाग को वर्ष 2007 व 2009 में 22 लाख रूपये जमा करवाये गये थे परन्तु आज तक विद्युत विभाग द्वारा कोई भी कार्य शुरू नही किया गया है। विद्युत कुनैक्शन मिलने के उपरान्त इस योजना को दो महीनो में चालू कर दिया जायेगा।

उठाउ पेयजल योजना कांटी मशवा:- योजना की प्रशासनिक अनुमोदन व व्यय स्वीकृति आर0एस0वी0वाई0 के तहत उपायुक्त नाहन द्वारा दिनांक 22.9.2005 में 27 लाख 90 हजार रूपये की प्रदान की गई थी। योजना पर मार्च, 2015 तक कुल 19 लाख 87 हजार रूपये का व्यय हो चुके हैं तथा 95 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिया गया है, परन्तु सर्तकता विभाग की जॉच के कारण यह योजना पूर्ण नही की जा सकी। वर्तमान में इस

योजना का परीक्षण का कार्य चला हुआ है तथा इस योजना को एक महीने में पूर्ण कर लिया जायेगा।

उठाउ सिंचाई योजनाएं उत्तरीः- योजना की प्रशाासनिक अनुमोदन व व्यय ए0आई0बी0पी0 के अन्तर्गत वर्ष 2008 में सचिव आई0पी0एच0 द्वारा दिनांक 31.3.2008 को 96 लाख 49 हजार रूपये की प्रदान की गई थी। योजना पर 1 करोड 15 लाख 45 हजार रूपये व्यय किए जा चुके हैं तथा 85 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिया गया है। बिजली का कुनैक्शन न मिलने के कारण इस योजना को चालू नहीं की जा सका है। विद्युत कुनैक्शन मिलने के 1 महीने में योजना को चालू कर दिया जायेगा।

08/04/2015/1520/RG/JT/6

उठाउ सिंचाई योजना अपर माशुः- इस योजना की प्रशासनिक अनुमोदन व व्यय स्वीकृति प्रधान सचिव आई0पी0एच0 द्वारा दिनांक 23.10.2007 को 1 करोड 21 लाख 99 हजार रूपये की नाबार्ड आर0आई0डी0एफ0 (बारह) के अर्न्तगत प्रदान की र् थी । योजना पर मार्च, 2015 तक 1 करोड 24 लाख 39 हजार रूपये व्यय हो चुके हैं तथा 90 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिया गया है। विभाग द्वारा विद्युत विभाग को वर्ष 2008 व 2009 में ट्रास्फारमर लगाने के लिए 13 लाख 38 हजार रूपये जमा करवाये गये थे परन्तु अभी तक विद्युत विभाग द्वारा कोई भी कार्य शुरू नही किया गया है। विद्युत कुनैक्शन मिलने के उपरान्त इस योजना को दो महीनो में चालू कर दिया जायेगा।

अध्यक्ष : अब श्री महेश्वर सिंह जी नियम-324 के अन्तर्गत अपना विषय उठाएंगे।

श्री महेश्वर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से नियम-324 के अन्तर्गत अपना विषय उठाना चाहता हूं जो इस प्रकार है :-

"eSa सरकार का ध्यान लग घाटी में सुमा नामक स्थान पर सब्जी मण्डी खोलने के लिए भूमि का चयन करने की ओर दिलाना चाहता हूं। सुमा में भूमि अभी तक सम्बन्धित विभाग को हस्तांतरित नहीं की गई है। मेरा सरकार से आग्रह है कि सुमा में भूमि सम्बन्धित विभाग को शीघ्रातिशीघ्र जनहित में हस्तांरित करवाने के लिए जिलाधीश कुल्लू को आदेश देने की कृपा djsaA"

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री महेष्वर सिहं, माननीय विधायक विधान सभा क्षेत्र कुल्लू ने दिनांक 24-05-2014 को अरण्यपाल (वन)

08/04/2015/1520/RG/JT/7

कुल्लू के कार्यालय में आयोजित बैठक में सुमा नामक स्थान पर सब्जी मण्डी स्थापित करने के निर्देष दिये थे जिसके उपरान्त दिनांक 27-05-2014 को कृशि उपज मण्डी कुल्लू एंव लाहौल स्पिति की त्रैमासिक बैठक में प्रस्ताव संख्याः 25 एंव त्रैमासिक बैठक दिनांक 07-10-2014 को पारित प्रस्ताव संख्याः 7 के तहत निर्णय लिया गया कि सुमा में प्रस्तावित मार्किट यार्ड जिला मुख्यालय से केवल 6 कि0मी0 की दूरी पर स्थित है तथा यह भूमि नदी के बिल्कुल समीप है जो कभी भी बा़ढ आने पर क्षतिग्रस्त हो सकती है तथा कुल्लू के मार्किट यार्ड को मध्य नजर रखते हुये 6 कि0मी0 की दूरी पर सुमा मण्डी का निर्माण करने की आवष्यकता नही है क्योंकि इस मण्डी के निर्माण से कुल्लू एंव भुन्तर की मण्डी को क्षति होगी तथा इस मण्डी के निर्माण पर अधिक व्यय होगा तथा मण्डी षुल्क में छूट देने से समिति की आय में भी भारी कमी आयेगी। उक्त समिति ने दोनो प्रस्तावो में सर्व-सम्मति से पारित किया कि इस स्थान पर सब्जी मण्डी की स्थापना करना कमेटी के हित में नही है। यदि सम्बन्धित विभाग द्वारा भूमि हस्तांरण करने हेतु प्रस्ताव प्राप्त होता है तो नियमानुसार हस्तांरण करने हेतु उपयुक्त कार्यवाई की जाएगा।

अध्यक्ष : अब श्री कुलदीप कुमार जी नियम-324 के अन्तर्गत अपना विषय उठाएंगे।

श्री कुलदीप कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से नियम-324 के अन्तर्गत अपना **विषय उठाना चाहता हूं जो इस प्रकार है** :-मैं सरकार का ध्यान ऊना जिला के चिन्तपुर्णी बाजार में 6 अप्रैल, 2015 के सुबह 2 बजे लगी आग के बारे में दिलाना चाहता हूं। आग से दुकाने व दुकानदारों का लाखों का रूपये का सामान जल गया है। मेरा सरकार से आग्रह है कि दुकानदारों को फौरी राहत शीघ्रातिशीघ्र प्रदान करें ।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह सत्य है कि दिनांक 6 अप्रैल, 2015 को प्रातः 2 बजे ऊना जिला के चिन्तपुर्णी बाजार में 6 दुकानों को अचानक आग लग गई। इनमें से एक दुकान जिला ऊना मे आती है तथा 5 दुकानें जिला कांगड़ा में आती हैं।

उप मंडलाधिकारी (ना0) अम्ब द्वारा मौके का जायजा लिया गया तथा यह पाया कि श्री संजीव कुमार सपूत्र श्री तिलक राम निवासी छपरोह, तहसील अम्ब की दुकान को आंशिक रूप से, दुकान के बाहरी भाग को ही नुकसान हुआ है और दुकान का सारा सामान सुरक्षित है ।

08/04/2015/1520/RG/JT/8

इसके अतिरिक्त जिला कांगड़ा में पड़ने बाली 5 दुकानों को हुए नुकसान का व्यौरा इस प्रकार हैः-

क्रम संख्या	नाम	पता	प्रारम्भिक अनुमानित आंकलन
1	संजीव कुमार पुत्र राधेश्याम	मोईन तहसील देहरा जिला कांगड़ा	5.00 लाख रुपए
2	अजय कालिया पुत्र राम विनोद	मोईन तहसील देहरा जिला कांगड़ा	5.00 लाख रुपए
3	जमीत कुमार पुत्र रामदयोग गुप्ता	मोईन तहसील देहरा जिला कांगड़ा	5.00 लाख रुपए
4	राज कुमार पुत्र हरी दास	मोईन तहसील देहरा जिला कांगड़ा	2.50 लाख रुपए
5	राकेश कुमार पुत्र प्रकाश चंद	मोईन तहसील देहरा जिला कांगड़ा	2.50 लाख रुपए

प्रारम्भिक आंकलन के अनुसार लगभग 20.00 लाख रुपये के नुकसान होने कि सूचना सरकार को प्राप्त हुई है । सरकार द्वारा आगजनी की घटना से हुए नुकसान की विस्तृत रिपोर्ट मँगवाई गई है । इस घटना मे हुए नुकसान की भरपाई के लिए संबन्धित जिलाधीशों को हिमाचल प्रदेश, आपदा प्रबंधन एवं राहत नियमाबली के

अनुसार आगजनी की घटना से प्रभावित हुए लोगों को मुआबजा देने के आदेश जारी कर दिये गए हैं।

ऐसी घटनाओ की रोकथाम के लिए राजस्व विभाग, आपदा प्रबंधन द्वारा विभिन्न शिविरों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है । Mockdrills द्वारा आग को बुझाने का प्रशिक्षण भी समय समय पर दिया जा रहा है ताकि ऐसी घटनाओं कि पुनरावृति ना हो तथा कम से कम नुकसान हो ।

अध्यक्ष : अब श्री कृष्ण लाल ठाकुर जी नियम-324 के अन्तर्गत अपना विषय उठाएंगे।

श्री कृष्ण लाल ठाकुर : "I would like to draw the attention of the Government to the recent directions given by the Hon'ble High Court to construct Gaushallas in every Panchayat. Accordingly, the administration/Gram Panchayats have come to the action and most of the Panchayats have identified the land and the cases for its transfer stand

08/04/2015/1520/RG/JT/9

referred to the Deputy Commisssioners concerned and in few cases the construction work has been started/near completion after the transfer of the land but the matter of great concern is that the electric connection for these Gaushallas is being sanctioned as commercial. Therefore, I request the Government to issue electric connection to these Gaushallas as domestic in public interest and no commercial activities are carried out here".

Rural Development Minister: Speaker Sir, The factual position is as under:

Under section 86 of electricity act 2003 the determination of tariff for supply of electricity is within the preview of State Electricity Regulatory Commission. The applicable tariff to various categories of consumers is accordingly determined by Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission on year to year basis after following the due process.

As per prevailing tariff orders issued by the Regulatory Commission, the electric connection for Gaushallas has not been covered in any category of the notified schedule of tariff. However, in the schedule for commercial supply it has specifically been mentioned that *" this schedule shall also include all other categories which are not covered by any other tariff schedule".* Therefore, commercial tariff has been applied for Gaushallas where ever asked for by any consumer/ Gram Panchayat.

The tariff petition for the year 2015-16 is under finalization in the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission and Himachal Pradesh State Electricity Board Ltd. has already taken up the matter for categorization of applicability of tariff in case of Gaushallas under domestic supply schedule on the analogy of Religious places, Panchayat Ghars and Patwarkhana etc. with connected load up to 5 KW. This issue shall be settled in public interest by the Regulatory Commission and accordingly the applicability of tariff shall be amended by HPSEBL, for all existing as well as future connections for these Gaushallas.

अध्यक्ष : अब श्री सुरेश भारद्वाज जी नियम-324 के अन्तर्गत अपना विषय उठाएंगे।

श्री सुरेश भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से नियम-324 के अन्तर्गत अपना विषय उठाना चाहता हूं जो इसप्रकार है :-

08/04/2015/1520/RG/JT/10

eSa सरकार का ध्यान लोअर खलीनी में सीवरेज की सुविधा न होने के कारण लोगों को हो रही परेषानी की ओर दिलाना चाहता हँू। अभी तक भी आधे वार्ड मे सीवरेज की सुविधा नहीं है और लोगों के सीवरेज टैंक भर चुके हैं, जिसका रसाव पीने के पानी के चष्मों में हो रहा है जिस कारण वार्ड में बीमारी फैलने की आषंका बनी हुई है। सीवरेज की मैन लाईन पिछले दो महीने से खुली प़डी है। एक स्थान पर श्री खेम चन्द द्वारा

इसके बारे में नगर निगम से कई बार षिकायत की गई लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। जिसके कारण इस क्षेत्र की जनता में भारी रोश व निराषा व्याप्त है।

अतः मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि इस सीवरेज लाईन को षीघ्रातिषीघ्र ठीक करवाने व वार्ड में लाईन बिछाने का कार्य किया ।

शहरी विकास मंत्री : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, लोअर खलीनी क्षेत्र नगर निगम में नया सम्मिलित हुआ है तथापि इस क्षेत्र में सीवरेज सुविधा नहीं थी जिसके कारण लोगों ने अपने-अपने भवन के सैप्टिक टैंक बना रखे हैं। नगर निगम शिमला में सम्मिलित होने के बाद उक्त वार्ड में काफी हद तक सीवरेज सुविधा उपलब्ध करवा दी गई है तथा नगर निगम शिमला उक्त वार्ड के शेष बचे क्षेत्रों में भी धन की उपलब्धता अनुरूप सीवरेज सुविधा उपलब्ध करवाने में प्रयासरत है। उक्त क्षेत्र में जहां-जहां नगर निगम द्वारा सीवरेज लाईन बिछा दी गई है उन क्षेत्रों में लोगों को सीवरेज कुनैक्शन स्वीकृत कर सीवरेज लाईनों से जुडवाया जा रहा है। नगर निगम शिमला के ध्यान में जब भी पानी के स्त्रोतों को मल निकासी से प्रदूषित होने का मामला आता है नगर निगम

08/04/2015/1520/RG/JT/11

शिमला इस तरह के मामले में सजगता से उचित कार्यवाही करने के लिए तत्पर रहता है।

जहां तक श्री खेम चन्द ठाकुर के घर के समीप मैन सीवरेज लाईन के खुली होने का प्रश्न है इस सन्दर्भ में अवगत करवाया जाता है कि जब-जब भी उक्त सीवरेज लाईन में रिसाव की शिकायत नगर निगम के कार्यालय में प्राप्त हुई निगम कर्मचारियों द्वारा इसे सुचारू करने का प्रयास किया जाता रहा है किन्तु यह लाईन काफी पुरानी होने के कारण इसे सुचारू रूप से चलाने में दिक्कत का सामना करना प़ड रहा है। नगर निगम शिमला द्वारा इस लाईन के रिसाव का स्थाई समाधान करने की दृष्टि से एक प्राक्लन राशि रूपये 3.50 लाख का तैयार कर स्वीकृत किया जा चुका है तथा इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर कर दिया जायेगा।

अध्यक्ष : अब श्री रविन्द्र सिंह जी नियम-324 के अन्तर्गत अपना विषय उठाएंगे।

श्री रविन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं नियम-324 के अन्तर्गत अपना विषय उठाना चाहता हूं जो इस प्रकार है :- ग्रामीण विकास विभाग में महिला ग्राम विकास संयोजिकाओं (LVDC) के 176 पद सृजित / स्वीकृत है व षतप्रतिषत सीधी भर्ती से भरे जाते है । विभागीय भर्ती एवं पदोन्नति नियम अनुसार उक्त संवर्ग की पदोन्नति मुख्य सेविका (LSEO) के पद पर 90:10 के अनुपात में होती है। (90 प्रतिशत पद पदोन्नति द्वारा व 10 प्रतिषत पद सीधी भर्ती।s)

मुख्य सेविका (LSEO) के भर्ती एवं पदोन्नति नियम अनुसार 90 प्रतिषत पद महिला ग्राम विकास संयोजिकाओं जिसकी षैक्षणिक योग्यता मैट्रिक व जिसने अपने संवर्ग में आठ वर्श का सेवाकाल पूर्ण किया हो, को उनकी वरिष्ठता

08/04/2015/1520/RG/JT/12

अनुसार ही पदोन्नत किये जाने का प्रावधान है जबकि 10 प्रतिषत पद सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाते हैं जिनकी शैक्षणिक योग्यता स्नातक हो ।

वर्तमान में मुख्य सेविकाओं (LSEO) के 79 पद सुजित है जिसमें से 73 पद भरे हुए हैं व 06 पद सेवा विस्तार की समाप्ति उपरान्त दिनांक 31.03.2015 को रिक्त हुए है। रिक्त हुए पदों में से 04 पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने हैं जबकि षेश 02 पदों को पोशक संवर्ग से पदोन्नति द्वारा भरा जाएगा व पदोन्नति हेतू प्रक्रिया आरभ्भ कर दी जाएगी। विभाग द्वारा सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों को वित्त विभाग के अनुमोदन हेतू प्रस्तुत किया गया था जिसपर वित्त विभाग ने विभाग को परामर्ष दिया है कि अपनी वर्तमान संवर्ग (strength) से आन्तरिक व्यवस्था (internalise) कर ली जाये

संसदीय कार्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों की सहमति है कि इन नियम-324 को पढ़ा हुआ समझा जाए।

अध्यक्ष : ठीक है, मैंने यह इसलिए नहीं कहा था कि क्योंकि पिछली बार कुछ सदस्य नाराज हो गए थे और कहने लगे कि हमें इन्हें पढ़ने का समय नहीं दिया। अगर माननीय

सदन की अनुमति है, तो ये सभी पढ़े हुए समझे गए। श्री रणधीर शर्मा, श्री सुरेश कुमार, श्री बलदेव सिंह तोमर, श्री महेश्वर सिंह, श्री कुलदीप कुमार, श्री कृष्ण लाल ठाकुर, श्री सुरेश भारद्वाज और श्री रवीन्द्र सिंह जी के नियम-324 के प्रस्ताव पढ़े हुए समझ जाएं और इनका उत्तर भी इनको मिला हुआ समझा जाए।

अब इस माननीय सदन की बैठक वीरवार, 9 अप्रैल, 2015 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित की जाती है।

दिनांक : 08 अप्रैल, 2015 **सुन्दर सिंह वर्मा,**
शिमला-171004 **सचिव।**